लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 30 जुलाई, 1969/8 श्रावण, 1891 (शक)
No. 8, Wednesday, July 30, 1969/Sravana 8, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
211. मद्रास को कच्ची फिल्मों के कोटे का आवंटन	Allotment of Quota of Raw Films to Madras	1—4
212. जापान को लोहे के अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	5—11
214. भारत के लिये रूसी जंगी जहाज	Russian Warships for India	11—16
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
2. पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers Employed in Jute Mills in West Bengal ..	16—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
213. कीनिया में रहने वाले भारतीयों को कीनिया छोड़ने के लिये दिये गये नोटिसों का वापस लिया जाना	Withdrawal of quit Notices on Kenya Indians ..	27
215. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	UNCTAD II ..	27—28
216. भारत रूस व्यापार करार	Indo-USSR Trade Agreement ..	28

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
217. विदेशी लोगों को जाली परमिट जारी करना	Issue of Forged Permits to Foreigners ..	29
218. स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण हानि	Loss suffered due to closure of Suez Canal	29
219. सस्ते रेडियो सेटों का निर्माण	Manufacture of Cheap Radio Sets	29—30
220. भारत नेपाल सम्बन्ध	Indo-Nepal Relations ..	30
221. सुपारी और लौंग के आयात के लिये लाइसेंस	Licences to import Betel Nuts and Cloves ..	30—31
222. तमिलनाडु में स्टेनलैस स्टील के लिए आयात लाइसेंस मंजूर करना	Grant of Import Licences for Stainless Steel in Tamil Nadu ..	31
223. संकटग्रस्त कपड़ा मिल	Sick Textile Mills	31—32
224. रूसी विमान चालकों द्वारा नेफा के ऊपर उड़ान करने से इन्कार	Refusal by Russian Pilots to fly over NEFA	32—33
225. मूल्य लागत तथा शुल्क संबंधी आयोग	Commission on Prices, Costs and Tariff ..	33
226. सिख यात्रियों को 18 मई, 1969 को पाकिस्तान स्थित डेरा साहिब गुरुद्वारा की यात्रा करने के लिये अनुमति का न दिया जाना	Refusal of Permission to Sikh Pilgrims to visit Dehra Sahib Gurdwara on 18-5-69 in Pakistan ..	33
227. भारतीय नौसेना का विस्तार	Expansion of Indian Navy	34
228. कपड़ा मिलों सम्बन्धी समिति	Committee on Textile Mills ..	34
229. भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार	Review on Indian Citizenship and Nationality Rules ..	34—35
230. ताशकंद करार में गोपनीय खण्ड	Secret Clause in Tashkent Agreement ..	35
231. भुवनेश्वर में अमरीकी सूचना सेवा कार्यालय	USIS Office in Bhubaneshwar ..	35—36
232. भारत बर्मा व्यापार	Indo-Burma Trade ..	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
233. पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यापार का विस्तार	Expansion of India's Trade in West Asian and African Countries ..	36—37
234. नागा समस्या	Naga Problem ..	37—38
235. सेना में सेवा निवृत्ति आयु	Retirement Age in Army ..	38
236. वैमानिकी समिति का प्रतिवेदन	Aeronautics Committee's Report ..	38
237. निपुण शिल्पियों को पेंशन लाभ	Pension benefits to Master Craftsmen ..	39
238. मोटर कारों का निर्यात	Export of Motor Cars ..	39
239. यूनाइटेड प्राविंसेज कार्मशियल कारपोरेशन से रोडरोलरों की खरीद	Purchase of Road Rollers from the United Provinces Commercial Corporation ..	40
240. दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर का पाकिस्तान भाग जाना	DMC Engineers' Flight to Pakistan	40
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1401. पोलैण्ड को रेल के माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Rail Wagons to Poland	40—41
1402. दालों का निर्यात	Export of Pulses	41
1403. तमिलनाडु में चमड़े के व्यापारियों से आयात लाइसेंसों के खरीदे जाने के समाचार	Alleged Purchase of Import Licences from Leather Merchants in Tamil Nadu ..	42—43
1404. अफगानिस्तान को विमानों से माल भेजना	Air Lifting of Goods to Afghanistan	43
1405. सामुदायिक विकास तथा सहकार सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Community Development and Cooperation ..	43
1406. अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले देशों की यात्रा	Visits to Hostile Countries	43—44
1408. भारतीय प्रव्रजकों का ब्रिटेन में अवैध प्रवेश	Illegal Entry of Indian Migrants to U.K. ..	44
1409. भारतीय प्रव्रजकों का ब्रिटेन में अवैध प्रवेश	Illegal Immigration of Indian Migrants to Britain ..	44—45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1410. पड़ोसी देशों के साथ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में झगड़े	Territorial Dispute with Neighbouring Countries ..	45
1411. इंगलैंड में नागालैंड के डाक टिकटों का परिचालन	Nagaland Stamps in circulation in the United Kingdom ..	45—46
1412. फरक्का बांध के बारे में भारत पाक वार्ता	Indo-Pak talks on Farrakka Barrage ..	46
1413. अपंग सैनिकों के लिये कल्याण केन्द्र	Welfare Centres for Disabled Soldiers	46—47
1414. टेपरिकार्डर रेडियो रिसीवर आदि बनाने के लाइसेंस	Licences for Manufacture of Tape Recorders, Radio Receivers ..	47
1415. कांग्रेस संसदीय दल के चुनाव में सरकारी लेखन सामग्री का प्रयोग	Use of Official Stationery in the Election of Congress Parliamentary Party ..	48
1416. भारत द्वारा जनेवा में हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेना	Participation by India in Disarmament Conference held in Geneva	48—49
1417. निर्यात हकदारी/प्रोत्साहन सम्बन्धी दावों का निपटारा	Settlement of Claims for Export Entitlements/Incentives	49
1418. बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों की सम्पत्ति का देश में लाया जाना	Repatriation of Assets of Repatriates from Burma ..	50
1419. पर्वतारोहण एककों को हटाकर अन्यत्र ले जाना	Shifting of Mountaineering Units	50
1420. इसरायल के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Israel	50—51
1421. कच्छ पंचाट	Kutch Award	51
1422. क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला जोरहाट	Regional Research Laboratory at Jorhat ..	52
1423. चाय उद्योग में रोजगार	Employment in Tea Industry	52—53
1424. नेस चाय	Nes-Tea	53
1425. हांगकांग में भारत सप्ताह मनाना	Celebration of India Week in Hongkong ..	53—54
1426. चीन और नेपाल के बीच व्यापार	Trade between China and Nepal ..	54—55

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1427. प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तर्गत भारतीय सैनिकों के प्रशिक्षण कार्यों को दर्शाने वाले चलचित्रों का प्रदर्शन	Films Produced Showing Acts of Bravery of Indian Soldiers during First and Second World Wars ..	55
1428. चाय उद्योग पर बरुआ समिति का प्रतिवेदन	Barooah Committee's report on tea industry	55
1429. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के विद्यार्थियों को डिग्रियां देने के बारे में महाजन समिति की सिफारिशें	Recommendations made by Mahajan Committee re. award of degrees to NDA students ..	55—56
1430. अनुसूचित आदिम जाति अनुसंधान संस्थाएं	Scheduled Tribes Research Institutes..	56
1431. दलाई लामा के नेपाल से निष्कासित प्रतिनिधि को राजनैतिक आश्रय प्रदान करना	Political Asylum for Dalai Lama's Representative Expelled from Nepal	56—57
1432. भारतीय वायु सेना द्वारा लड़ाकू विमानों का प्रयोग	Use of fighter planes by Indian Air Force	57
1433. अणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb	57—58
1434. कागज का निर्यात	Export of Paper ..	58
1435. राजकीय व्यापार निगम के कार्य की समीक्षा समिति	Review Committee on State Trading Corporation	58—59
1436. छोटे पैमाने पर रबर की खेती करने वालों के सम्बन्ध में अब्दुल्ला समिति का प्रतिवेदन	Abdullah Committee's Report on Small Scale Rubber Cultivators ..	59
1437. माडल वूलन मिल्स, बम्बई	Model Woollen Mills, Bombay ..	59
1438. शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	Sholapur Spinning and Weaving Mills ..	60
1439. जेट विमानों का निर्माण	Manufacture of Jet Aeroplanes	60
1440. भारत-अमरीका व्यापार	Indo-US Trade	61
1441. कलकत्ता में पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन	Demonstrations before Deputy High Commissioner of Pakistan's Office in Calcutta ..	61—62

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1442. काश्मीर प्रश्न पर ईरान का पाकिस्तान को समर्थन	Iran's support to Pakistan on Kashmir Question	..	62
1443. भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया जाना	India's participation in International fairs	..	62—63
1444. नाइजीरिया को निर्यात	Exports to Nigeria	..	63
1445. अमरीका को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles to USA	..	63—64
1446. तारापुर परमाणु बिजलीघर	Tarapur Atomic Power Plant	..	64
1447. जबलपुर में प्रतिरक्षा संस्थानों में रद्दी धातु	Scrap material in Defence Establishment at Jabalpur	..	64—65
1448. उड़ीसा में मछली पकड़ने का पत्तन	Fishing port in Orissa	..	65
1449. विमानों के पुर्जे	Aircraft Spares	..	65
1450. पाकिस्तान को रूसी शस्त्रों के सम्भरण के बारे में रूस के प्रधान मंत्री से बातचीत	Discussions with Soviet Prime Minister re. Soviet Arms Supply to Pakistan		66
1451. फैजाबाद में स्टेडियम का निर्माण	Construction of a Stadium at Faizabad	..	66
1452. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सामान गिराने के लिये सेना की सहायता के लिये प्रार्थना	Request for Army Assistance for dropping of supplies in Drought Affected areas of Rajasthan		67
1453. भारतीय ईसाइयों को पाकिस्तान जाने के लिये वीजा देना	Visas to Pakistan for Indian Christians	..	67
1454. विदेशों में भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक विमानों का पुनर्गठन	Reorganisation of Commercial Wing of Indian Embassies Abroad	..	67—68
1455. पाकिस्तान को भारतीय माल का पुनः निर्यात	Re-export of Indian Goods to Pakistan	..	68
1456. प्रतिरक्षा मंत्रालय में काम करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार	Scientific Advisers attached to Defence Ministry	..	68—70
1457. पश्चिम एशिया पर भारतीय नीति की आलोचना	Criticism of Indian Stand on West Asia Problem	..	70

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1458. पटसन मिलों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Jute Mills ..	70—71
1459. संयुक्त राष्ट्र में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में संसद् सदस्यों के चयन का मानदंड	Criteria for selection of M.Ps. for UN Delegations ..	71
1460. भारत-नेपाल व्यापार	Indo-Nepal Trade	71—72
1461. रूई के निर्यात में कमी	Fall in export of Cotton	72
1462. रूई के निर्यात की नीति में परिवर्तन	Changes in Cotton Export Policy	72—73
1463. रूस को केले का निर्यात	Export of Bananas to USSR	73
1464. दिल्ली की योजना की वित्त सम्बन्धी आवश्यकता	Plan requirement of Delhi	73—74
1465. वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण संस्था	International supervisory body in Vietnam ..	74
1466. जाम्बिया के लिये भारतीय शस्त्रास्त्र सहायता	Indian Assistance to Zambia ..	74—75
1467. जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में भारत तथा नेपाल के बीच सहयोग	Indo-Nepal Cooperation on Hydel Projects	75
1468. गाडन रीच वर्कशाप लिमिटेड	Garden Reach Workshop Ltd.	75—77
1469. निर्यात सम्बन्धी नीति	Export Policy ..	77—78
1470. सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना	Rehabilitation of retired employees	78—80
1471. भारत एलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Ltd. ..	80—82
1472. रुई का निर्यात	Export of Cotton ..	82
1473. सूडान तथा अन्य देशों को रेल के डिब्बों का निर्यात	Export of coaches to Sudan and other Countries	82—83
1474. ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन	Violation of Tashkent declaration ..	83—85
1475. पूर्वी यूरोपीय देशों को माल के निर्यात के लिये कमीशन एजेंट	Commission Agents for Export of Goods to East European countries ..	85—86

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1476. पुनरीक्षित छावनी बोर्ड अधिनियम	Revised Cantonment Boards Act ..	86
1477. प्रतिरक्षा पूर्ति प्रतिष्ठानों पर खर्च	Expenditure on Defence supplies Establishment ..	86
1478. इंगलैंड में स्थल सेना और नौसेना पर व्यय	Charges for army and Navy in UK ..	87
1479. माल जमा हो जाना	Accumulation of stores ..	87
1480. नियत अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना	Completion of works in time ..	87—88
1481. प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी में सरकारी कार्य	Official work in Hindi in Defence Ministry	88
1482. चाय के निर्यात के लिए भारत व श्रीलंका का संयुक्त प्रयास	Indo-Ceylon joint ventures for export of Tea	89
1483. विजयंता टैंक के लिये तोपें	Guns for Vijayanta tanks ..	89—90
1484. भारत में चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये विदेशी विद्यार्थियों को सुविधा	Facility to Foreign students to study Medicine in India	90
1485. काश्मीर के बारे में रूस की नीति	Russian stand on Kashmir	90—91
1486. अंतरिक्ष खोज सम्बन्धी कार्यक्रम	Space exploration Programme ..	91
1487. अंतरिक्ष सम्बन्धी खोज	Exploration in space	91—92
1488. चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु शक्ति परियोजनाओं का स्थापित किया जाना	Setting up of atomic power projects during Fourth Plan ..	92
1489. लातीनी अमरीका के देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Latin American countries	92—93
1490. पूना छावनी बोर्ड	Poona Cantonment Board	93
1491. कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना	Take over of Textile Mills	93
1492. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल	Delegations sent abroad by Defence Ministry ..	94—95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1493.	राक्सौल में पीकिंग समर्थक विद्यार्थी की गिरफ्तारी तथा रिहाई	Arrest and release of Pro-Peking student at Raxaul ..	95
1495.	चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिये धन का नियतन	Allotment of funds for Madhya Pradesh during the Fourth Plan ..	95—96
1496.	भारतीय दूतावासों में हिन्दी की पुस्तकें	Hindi Books in Indian Embassies	96
1497.	मध्य प्रदेश के विकास के लिये योजना में आवंटन	Plan allocations for development of Madhya Pradesh ..	96—97
1498.	कांडला अबाध व्यापार जोन	Kandla Free Trade Zone	97
1499.	सरकारी क्षेत्र के अभिकरण के माध्यम से रुई का वितरण	Distribution of cotton through Public Sector Agency ..	98
1500.	रेडियो सक्रिय धूल	Radio Active fallouts ..	98
1501.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को आयात सम्बन्धी लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of import licences to SC and ST Businessmen ..	98—99
1502.	तारापुर नाभिकीय रिऐक्टर	Tarapur Nuclear Reactor	99—100
1503.	संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल पर दबाव डालकर अतिक्रमण को समाप्त करने का भारत का प्रस्ताव	Indian Move in UNO to exert pressure on Israel to vacate Aggression ..	100
1504.	अधिक दबाव वाले गैस सिलेंडरों का आयात	Import of High Pressure Gas Cylinders ..	100—101
1505.	बर्मा को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to Burma ..	101—102
1506.	हेयर बैल्टों का निर्माण	Manufacture of Hair Belting ..	102—103
1507.	नायलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn	103
1508.	फ्रांस के सहयोग से दूरी वाले प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Wide Range Missiles in Collaboration with France	104
1509.	लघु उद्योगों को प्राथमिकता	Priority to Small Scale Industries ..	104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1510.	चौथी योजना के लिए संसाधन	Resources for Fourth Plan ..	104—105
1511.	बर्मा से प्रत्यवर्तन करने वाले भारतीयों को मुआवजा	Compensation to Indian Repatriates from Burma	105
1512.	तामिलनाडु में तालुकों का विकास	Development of Taluks in Tamil Nadu ..	105—106
1513.	अफगानिस्तान को कपड़े का निर्यात	Export of Cloth to Afghanistan ..	106
1514.	शेख अब्दुल्ला की पाकिस्तानी उच्चायुक्त से नई दिल्ली में बातचीत	Sheikh Abdullah's Talks with Pak. High Commissioner in New Delhi ..	106—107
1515.	पाकिस्तानी वायु सेनाध्यक्ष नूर खां की शेख अब्दुल्ला से मई, 1969 में दिल्ली में भेंट	Air Marshal Noor Khan's meeting with Sheikh Abdullah in Delhi in May, 1969 ..	107
1516.	लन्दन में भारतीय उच्च आयोग के कार्यालय से ब्रिटिश राज चिह्नों का हटाया जाना	Removal of British Emblems from Office of Indian High Commission, London ..	107
1517.	बोहरा सम्प्रदाय के धर्मगुरु को केनिया छोड़कर जाने का नोटिस	Quit Notice of Bohra Religious Leader from Kenya ..	108
1518.	नागाओं के स्वकथित उपायुक्त का सैनिक हिरासत से भागना	Escape of Self Styled Deputy Commissioner of Nagas from Army Custody ..	108
1519.	परमाणु शक्ति संस्थान के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Quarters for Atomic Energy Establishment ..	108
1520.	सौराष्ट्र में अणुशक्ति केन्द्र	Atomic Energy Station in Saurashtra	109
1521.	भारत-नेपाल व्यापार	Indo-Nepal Trade ..	109—110
1522.	दिल्ली छावनी में भूमिगत नाले नालियां	Underground Drainage in Delhi Cantonment ..	110
1523.	दिल्ली छावनी में पानी की समुचित सप्लाई	Adequate Supply of Water in Delhi Cantonment ..	110—111
1524.	इस्पात की ट्यूबों का निर्यात	Export of Steel Tubes ..	111

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1525.	भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कुमारमंगलम द्वारा पत्रकारों के साथ बातचीत	Press interview given by General Kumaramangalam, Former Chief of Army Staff ..	111—112
1526.	सेना के रिजर्व सैनिकों को दी गई पेंशन	Pensions Paid to Reservists in Army ..	112—113
1527.	चन्द्रशेखर के मामले के बारे में उप प्रधान मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया पत्र	Deputy Prime Minister's letter to Prime Minister re. Chandrashekhar Affairs	113
1528.	लोहा तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात का कम होना	Declining Export of Iron and Manganese ..	114
1529.	तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र	Tarapore Atomic Power Plant ..	114—115
1530.	वैदेशिक व्यापार से सम्बन्धित आंकड़े	Data Relating to Foreign Trade	115
1531.	व्यापार संतुलन	Balance of Trade ..	115—116
1532.	कोककर कोयले का निर्यात	Export of Coking Coal ..	116—117
1533.	चाय बोर्ड के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Tea Board's Employees	117
1534.	बरेली अमीनगांव सड़क का निर्माण	Construction of Bareilly Amingaon Road ..	117
1535.	इन्दौर में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Indore ..	118
1536.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	118
1537.	पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा के आस पास बांधों का निर्माण	Construction of Embankments by Pakistan around Tripura ..	118—119
1538.	मैथिली के लिये पृथक राज्य	Separate State for Maithila ..	119—120
1539.	एशियाई प्रशान्त परिषद् का मंत्री स्तर का सम्मेलन	Ministerial Conference of Asian Pacific Council	120
1540.	अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी द्वारा रासायनिक तथा कीटाणुयुक्त हथियारों का तैयार किया जाना	Development of Chemical and Biological weapons by U.S.A. and West Germany ..	120—121
1541.	हिन्दमहासागर के देशों को सहायता	Aid to Indian Ocean Countries	121
1542.	प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान की सिफारिशें	Recommendations made by Institute of Defence Studies and Analysis ..	121—122

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1543.	उड़ीसा के लिये चौथी योजना	Fourth Plan for Orissa	122
1544.	पारपत्र के लिये यात्रा अभिकरणों द्वारा आवेदन-पत्र दिया जाना	Filing of applications by Travel Agencies for Passports ..	122
1545.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड द्वारा कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material by Hindustan Aeronautics Ltd. ..	123
1546.	संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सैनिक स्कूल	Sainik Schools for Union Territories ..	123—124
1547.	हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली	Hyderabad House, New Delhi ..	124
1548.	बम्बई में भारतीय वायु सेना के मौसम विज्ञानालय में भूकम्प लेखों यंत्र के बिना कार्य का किया जाना	IAF Meteorological Office in Bombay Working without Seismograph ..	124
1549.	भारी पानी संयंत्र	Heavy Water Plants ..	125
1550.	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा नारियल जटा सम्बन्धी अनुदान	Research on Coir by Food and Agriculture Organisation ..	125—126
1551.	स्वतः आयोजन परिकलन पद्धति (आटोमैटिक सिस्टम आफ प्लानिंग कैलकुलेशन)	Automatic System of Planning Calculation..	126
1552.	सिंगापुर में एशिया के विकासशील देशों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करना	Implementation of Decision taken at the Conference of Asian Developing Countries at Singapore ..	126—127
1553.	पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods to West Germany	127
1554.	इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods ..	127—128
1555.	अंग्रेजी के बिल्लों के स्थान पर हिन्दी के बिल्ले लगाना	Replacement of English Badges by Hindi Badges ..	128
1556.	नायलान धागे की कताई मिलें	Spinners of Nylon Yarn ..	128—129
1557.	रेयन सूत के मूल्य	Prices of Rayon Yarn ..	129—130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1558.	चीन द्वारा बनाये जाने वाले परमाणु प्रक्षेपणास्त्र	Nuclear Missile being produced by China ..	130
1559.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Ltd. ..	130
1560.	विमानों के पुर्जे बनाना	Manufacture of Aircraft Accessories	130—131
1561.	पटसन उत्पादों के आयात सम्बन्धी ब्रिटेन की नीति	U.K. Policy for Import of Jute Manufactures ..	131—132
1562.	निर्यात किये जाने वाले माल के लिये क्षेत्रीय जांच गृह (टैस्ट हाउस)	Regional Test House for Export goods ..	132—133
1563.	एशिया के लिए सामुहिक सुरक्षा	Collective Security Plan for Asia ..	133
1564.	आयुध कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अन्य कार्यालयों में भेजना	Forwarding of applications of Employees Working in Ordnance Factories ..	133—134
1565.	आयुध कारखानों में चार्जमैनों के मकान किराये भत्ते का भुगतान	Payment of House Rent Allowance in Ordnance Factories ..	134—135
1566.	करनाटक सहकारी कपड़ा मिलें	Karnatak Cooperative Textile Mills ..	135
1567.	जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सम्पति का गबन	Embezzlement of Jammu and Kashmir State Property ..	135
1568.	सेना के सेवा निवृत्त अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था	Accommodation for Retired Officers of Armed Forces ..	136
1569.	सैनिक कर्मचारियों के मकानों का अधिग्रहण	Requisition of Houses of Army Personnel ..	136—137
1570.	चौथी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना	Annual Plan of Fourth Five Year Plan ..	137
1571.	पटसन का उत्पादन	Production of Jute	138
1572.	भारतीय राजदूत को पेकिंग में इधर उधर जाने की अनुमति	Permission to Indian Envoy to move about in Peking	138

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1573. भारत के प्रति चीन का रवैया	Chinese Attitude towards India	139
1574. जहाज रानी के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartite Talks on Shipping ..	139
1576. हिंडन वायु सेना केन्द्र में सेवानिवृत्त वायु सेनाध्यक्ष अर्जन सिंह के सम्मान में हुआ विदाई समारोह	Farewell Function held in Honour of Retired Air Chief Marshal Arjan Singh at Hindon Air Force Station ..	140
1577. ब्रैडफोर्ड ज्यूरी की सूची से भारतीयों का निष्कासन	Exclusion of Indians from Bradford Jury List ..	140
1578. राज्यों द्वारा संसाधन जुटाया जाना	Raising of resources by states ..	140—141
1579. बल्गारिया के साथ व्यापार	Trade with Bulgaria ..	141
1580. इथोपिया के साथ करार	Agreement with Ethiopia ..	141—142
1581. जापान के सहयोग से चाय के बागान लगाना	Setting up of Tea Plantations in Collaboration with Japan ..	142
1582. चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सिपाहियों पर गोली चलाई जाना	Firing by Chinese Troops on Indian Soldiers ..	142—143
1583. पारे का आयात	Import of Mercury ..	143
1584. विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा में उनके साथ अधिकारियों का जाना	Official accompanying Foreign Minister during his tour to U. S. A. ..	143—144
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भारत पाक सम्बन्धों के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भारत के प्रधान मंत्री को पत्र	Pakistan President's letter to Prime Minister of India re. Indo-Pak Relations..	144—149
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	..144,146—147
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	144—145
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	150—151
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions ..	151
51 वां प्रतिवेदन	Fifty-first Report ..	151

शीरे के मूल्य उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी याचिका	Petition re. price, production and distribution of Molasses	..	151
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	..	151—168
खण्ड 2 और 3	Clauses 2 and 3	..	151—168
आधे घण्टे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—		
पटसन उद्योग में संकट	Crisis in Jute Industry	..	168—172
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	..	168—169
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	..	169—170 171—172

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 30 जुलाई, 1969/8 श्रावण, 1891 (शक)
Wednesday, July 30, 1969/Sravana 8, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Ram Sewak Yadav : In this question also, there is an 'insinuation' against Bombay. This very objection was raised in regard to Shri Molahu Prasad's question that day.

श्री शिव नारायण : मैं श्री राम सेवक यादव की बात का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में भेदभाव की कोई बात नहीं है । केवल 'मद्रास फिल्म कम्पनीज' का उल्लेख है ।

Shri Ram Sewak Yadav : It amounts to discrimination between two Hon. Members.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अन्य प्रश्न को अस्वीकार नहीं किया है ।

श्री शिव नारायण : आपने उस दिन इसकी अनुमति क्यों नहीं दी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों को उसके बारे में आपत्ति थी ।

मद्रास की कच्ची फिल्मों के कोटे का आवंटन

+

*211. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास की कई फिल्म कम्पनियों ने बम्बई फिल्म उद्योग को आवंटित कोटे की तुलना में कच्ची फिल्मों के कोटे के आवंटन के बारे में सरकार से शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है ;

(ग) सरकार द्वारा देश में प्रत्येक फिल्म कम्पनी के लिये कच्ची फिल्म का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) जी हां। आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को उनकी हाल ही की मद्रास यात्रा के दौरान कतिपय फिल्म उत्पादकों द्वारा उन्हें एक मौखिक अभ्यावेदन दिया गया था।

(ख) दक्षिण क्षेत्र के फिल्म उत्पादकों की सम्पूर्ण मांग को अभी हाल तक पूरा किया जाता रहा, जब तक कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के उत्पादन कार्यक्रम में गिरावट नहीं आई। यह कमी अस्थायी है। आयातों द्वारा इस कमी को पूरा किए जाने हेतु उपाय किए जा रहे हैं और प्राप्य सम्पूर्ण स्टाक का सम्यक वितरण सुनिश्चित करने हेतु सावधानी रखी जायेगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(ग) इस पर विचार किया जा रहा है और स्थिति को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : I want to know the gap between supply and demand? It is not hidden from the Government that Hindi films are also reaching that area and it is also clear that wherever sympathy for China has been created, it is among the English speaking people, not among the Hindi speaking people. I want to know what is the Government doing to wipe out this sympathy and to meet this demand ?

Shri Choudhary Ram Sewak : The consumption at present is about 15,000 rolls per month, but our production is 12,000 rolls p.m. which means there is a shortage of 3,000 rolls per month. This shortage arose in 1967 also which we met by imports. After this the Hindustan Photo Films raised their production and imports were also allowed resulting in glut in the market and they had to abandon the 44-44-12 formula at three places, Bombay, Calcutta and Madras. Now to meet the shortage being faced for the last two months we are importing 15,000 rolls.

Shri Yashpal Singh : The disputes leading to strikes could not be settled because in the public sector everybody reaps the harvest; responsibility has not been fixed on anyone. I want to know whether arrangements are being made for making imports by setting up an Ad Hoc Committee ?

Shri Choudhary Ram Sewak : The position will ease after the imports of 15,000 rolls.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that there is shortage of X-ray films also at the moment ? Hospitals are facing great difficulty. Have Government given any thought to this matter as well ?

Shri Choudhary Ram Sewak : Hindustan Photo Films have now started the manufacture of X-ray films as well which has resulted to some extent in shortage for the film industry.

Shri Atal Bihari Vajpayee : He has given an astonishing reply? It is a very serious matter and I want that Shri Bhagat should answer this question. I am myself a patient and I go to the Medical Institute and I know that there is acute shortage of X-ray films in the hospitals. What steps are the Government taking to remove this shortage ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : It is true that complaints have been received from the Medical Institute, other hospitals and doctors as well that there is shortage of X-ray films. As my colleague has told, Hindustan Photo Films have started production of X-ray films as well in order to meet this shortage to some extent. It is also under consideration—if this shortage is not met—imports should also be made and foreign exchange for the purpose asked for, but they said that these would be manufactured here. This has resulted in shortage of film rolls. A 40-day strike in the Hindustan Photo Films also resulted in fall of production from 15,000 to 12,000 rolls per month.

Shri Prem Chand Verma : What is the criterion of allotment of films? How much foreign exchange was spent on films in 1967-68 and 1968-69. Are Government aware that some film companies which had been granted licences have not actually gone into production but sold their quota in black market? If so, what action has been taken against such firms and if no action has been taken, will any inquiry be made into such complaints?

Shri Choudhary Ram Sewak : The second part of his question relates to the Ministry of Information. He can get the correct information from that Ministry.

Shri Prem Chand Verma : But licences are granted by his Ministry.

Shri B. R. Bhagat : In part (c) of the question, I have stated that the information regarding licences given to film industry is being collected and will be placed on the Table of the House. So far as their sale in black market is concerned, it is the concern of my Ministry. But we have not received such complaints.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि फिल्मों का उत्पादन कम हुआ है। क्या उन्हें पता है कि श्री जी० डी० नायडू नाम के एक व्यक्ति कच्ची फिल्मों का निर्माण करने के लिये प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने एक कारखाना भी बनाया है और वह लाइसेंस लेने के लिये 10 वर्ष से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। परन्तु सरकार उन्हें लाइसेंस नहीं दे रही है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री चौधरी राम सेवक : यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री मनुभाई पटेल : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि आवंटन में कठिनाई कम उत्पादन के कारण उत्पन्न हुई है। क्या सरकार अधिक फिल्म निर्माण हेतु एक कारखाना स्थापित करने की सरकारी कोई योजना है ताकि फिल्म उद्योग को अधिक आवंटन किया जा सके और अस्पतालों में भी एक्स-रे फिल्मों की कमी दूर की जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : यदि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म पूरी क्षमता से उत्पादन आरम्भ कर देता है तो मांग पूरी की जा सकेगी। वह जून तक मांग पूरी करता रहा था। उसके बाद हड़ताल शुरू हो गई और उत्पादन कम हो गया। एक्स-रे फिल्मों की भी कमी है। यह कारखाना एक्स-रे फिल्मों का भी निर्माण करता है और आवश्यकता पड़ने पर इनका आयात भी किया जाता है।

Shri George Fernandes : There is shortage of photo films as well as X-ray films and this shortage has not been met by the Hindustan Photo Films as well as by imports. Has the Hon. Minister been informed by the Health Minister that major operations are not being performed in Bombay Hospitals for the last three months due to shortage of X-ray films? If he has received such an information, what steps have been taken by him to import X-ray

films immediately so that they may be supplied to Government and municipal hospitals in Bombay?

Government has now taken a decision to import 15,000 film rolls from Rupee-area countries. It is a fact that Cine Laboratories of Bombay have requested the Government to import the same immediately by air in order to save the industry from closing down and to save the workers employed in the film industry from being thrown out of employment? I also want to know as to what is the requirement of X-ray films and of raw films for the film industry and what steps Government are taking to meet this shortage?

Shri B. R. Bhagat: The Health Minister has not conveyed anything to me. I therefore do not possess any information at the moment whether any demand for X-ray films has been received from the Health Ministry in my Ministry or not. But it is a fact that there is shortage of X-ray films and steps are being taken to meet it.

श्री समर गुह : यह बड़ी शर्म की बात है कि बम्बई जैसे बड़े शहर में एक्स-रे फिल्मों की कमी के कारण आपरेशन बन्द करने पड़े हैं और इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने की जरूरत पड़ी है। उन्हें स्वत: ही यह जानकारी होनी चाहिये थी।

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि श्री गुह जैसे अनुभवी सदस्य ने ऐसी टिप्पणी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मैं प्रभारी नहीं हूं। यदि माननीय सदस्य इस ओर मेरा ध्यान दिलाते हैं तो मैं और क्या उत्तर दे सकता हूं? यदि मेरा ध्यान दिलाये जाने के बाद मैं कुछ नहीं करता तो यह मेरे लिये शर्म की बात हो सकती है। परन्तु अब यह शर्म की बात नहीं है।

Shri George Fernandes: I rise on a point of order.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। यदि अन्य मंत्रालय को सूचना दी जाती है क्या माननीय सदस्य से यह आशा नहीं की जाती कि वह उन्हें भी यह जानकारी देते?

श्री जार्ज फरनेंडीज : मैंने तीन पत्र भेजे हैं।

श्री ब० रा० भगत : स्वास्थ्य मंत्री से मुझे कोई सूचना नहीं मिली है इसलिये मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब माननीय सदस्य ने मुझे बता दिया है और मैं तुरन्त इसकी जांच करूंगा।

Shri George Fernandes: What action Government have taken on the demand of the Cine Laboratories to arrange immediate imports by aeroplanes?

Shri B. R. Bhagat: We shall think over it. But transportation by air will cost more and if the industry is prepared to bear the additional freight, we shall certainly consider it.

So far as the demand is concerned, the demand for raw films was being met by the Hindustan Photo Films till a few months back when the production received a setback because of strike. It came down from 16,000 to 12,000 rolls which created a temporary shortage. We are importing 15,000 rolls which is likely to meet all our requirements.

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

+

*212. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

श्री एस० आर० दामानी : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को लौह-अयस्क के निर्यात के लिए जापान के इस्पात उद्योग और भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच सौदों के कुछ करार हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात कब आरम्भ किया जायेगा और कुल कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) इस सौदे में जापान से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है अथवा क्या इसका आधार-विनिमय होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी हां। अप्रैल/मई, 1969 में टोक्यो में गये खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमंडल ने 1969-70 में संभरित किये जाने के लिए 33 लाख टन बेलाडिला अयस्क तथा तीन वर्षों (1969—71) में संभरित किये जाने के लिए 40 लाख टन किरिबुरू अयस्क की पूर्ति के लिए संविदाएं की हैं।

(ग) बिक्री नकद आधार पर है। उपार्जित विदेशी मुद्रा अमरीकी डालरों में होगी जो कि 48 करोड़ रुपये से कुछ अधिक के बराबर है।

श्री सु० कु० तापड़िया : विश्व में प्राय: प्रत्येक देश में इस्पात के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित करार में क्या व्यवस्था की गई है जिससे कि मूल्यों में वृद्धि होने पर, जैसाकि गत कुछ महीनों में हुआ है, इसका हमारे देश को भी लाभ हो क्योंकि यदि तैयार माल के मूल्य में वृद्धि होती है, तो यह उचित ही है कि कच्चे माल अर्थात् लौह-अयस्क के संभरणकर्ता के रूप में हमें भी कच्चे माल का मूल्य उसके अनुसार अधिक मिलना चाहिए।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सामान्यत: हम मूल्य प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे हित में नहीं हैं। लेकिन बेलाडिला और किरिबुरू दोनों करार लम्बी अवधि के लिये हैं। दीर्घकालीन करार हमारे लिये लाभदायक हैं क्योंकि अन्य देशों आस्ट्रेलिया अथवा ब्राजील के साथ प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है और विदेशों में प्रति यूनिट मूल्य के कम होने की प्रवृत्ति है। मूल्यों में परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने केवल एक पहलू, इस्पात के मूल्य, का उल्लेख किया है। मैंने अन्य अधिक महत्वपूर्ण पहलू बताये हैं। इस कच्चे माल के अन्य प्रतियोगी हैं और आस्ट्रेलिया तथा ब्राजील के प्रतियोगी मूल्यों के कारण भविष्य में मूल्यों के कम हो जाने की संभावना है।

उन्हें पत्तन सुविधायें उपलब्ध हैं और भाड़े की दरें कम हैं। इन कारणों से मूल्य कम होते हैं। हमने इससे बचाव करने का प्रयास किया है चाहे तैयार माल का मूल्य कुछ भी हो। यदि सप्लाई अधिक होगी, तो मूल्य घट सकते हैं। हमारा दीर्घकालीन करार इसका जवाब है। मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री पीलु मोडी : इसका अर्थ तो यह हुआ कि करार में कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : प्रश्न खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात के बारे में है। यह एक सरकारी उपक्रम है। मैं देखता हूं कि सभा में कुछ माननीय सदस्यों को सरकारी उपक्रम शब्द से एक प्रकार की एलर्जी है। मेरा निवेदन है कि हमें नाम से नहीं बल्कि उपक्रमों की अकुशलता और कुप्रबन्ध से एलर्जी होनी चाहिये चाहे वे सरकारी उपक्रम हों अथवा गैर-सरकारी। इस उपक्रम द्वारा अब तक लौह-अयस्क के इस निर्यात में करोड़ों रुपयों की हानि हो चुकी है। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन नये करारों से देश को कुछ मुनाफा होगा अथवा हानि होगी? यदि हानि होगी, तो कितनी और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा? क्या नई दरों पर हानि होगी?

श्री ब० रा० भगत : नई दरें हमें मिलीं दरों में से सबसे अच्छी हैं। उनकी हानि अथवा लाभ की बात मेरी समझ में नहीं आई है। यूनिट मूल्य को लीजिये। उदाहरण के लिये 1965 में हमने 110 लाख टन निर्यात किया और हमें मूल्य के रूप में 31 करोड़ रुपये मिले। 1968 में 150 लाख टन के निर्यात का 87 करोड़ रुपये मूल्य मिला। माननीय सदस्य स्वयं हिसाब लगा लें कि यह लाभ है अथवा हानि है। उनका अभिप्राय क्या है, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री रा० कृ० बिड़ला : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री महोदय नहीं जानते कि किसी वस्तु के और उसका एक विशिष्ट मात्रा के निर्यात में निर्यातक कम्पनी को लाभ होगा अथवा हानि। फिर आप उनसे क्या आशा कर सकते है? जब मैं किसी वस्तु की एक लिटर मात्रा निर्यात करता हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे लाभ हो रहा है या हानि। मेरा प्रश्न है कि इस सौदे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हानि होगी अथवा लाभ और कितना लाभ अथवा हानि होगी?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य को मालूम है कि जहां तक खानों के मुहानों पर लौह अयस्क की लागत का प्रश्न है, कोई हानि नहीं होती है। परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई परिवहन पत्तन शुल्क तथा भाड़े की है। उदाहरण के लिये आस्ट्रेलिया 2 डालर प्रति टन देता है। हम कलकत्ता आदि पत्तनों से 7 डालर प्रति टन दे रहे हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम को मुख्य रूप से पत्तन तथा भाड़ा शुल्क और ढुलाई शुल्क के कारण भारी हानि हो रही है। विशाखापत्तनम के मामले में हानि सबसे कम है क्योंकि वहां पर कुछ फायदे हैं। परन्तु कुल मिलाकर इस मूल्य पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हानि है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में आपका ध्यान एक अत्यन्त

गम्भीर बात की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या एक सरकारी उपक्रम, इस मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का सम्बन्ध है, प्रादेशिक भेदभाव और व्यक्तियों के बीच भेदभाव कर सकता है ? यदि मंत्री महोदय को आपने सुना है, तो आपने देखा होगा कि निगम ने केवल बेलाडिल्ला और किरिबुरु के सम्बन्ध में ही 1969-70 के लिये जापान के साथ करार किया है। आप देखेंगे कि उन्होंने जापान को 1969-70 अथवा 1970-71 में निर्यात के लिए पारादीप पत्तन के सम्बन्ध में कोई करार नहीं किया है। इस निगम के अध्यक्ष एक वर्ष में नौ महीने देश से बाहर रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि क्रयादेश प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष महोदय दिसम्बर, 1968 में अमरीका गये और एक व्यापार गृह ने इस सम्बन्ध में मनोरंजन पर 40,000 रुपये खर्च किये और इस व्यापार गृह का नाम है राम बहादुर ठाकुर एण्ड कम्पनी, जिसकी ओर कुछ महीने पहले श्री सोमानी इस सभा का ध्यान दिलाना चाहते थे। सरकार इस मामले में सोती रही है। वे एकाधिकार गृहों को प्रोत्साहन देकर उनके माध्यम से निर्यात करते हैं। राम बहादुर ठाकुर ने 1.80 लाख टन के मैंगनीज क्रयादेश प्राप्त किये और किस लिये ? 60 लाख रुपये का लाभ कमाने के लिए और यह सारा लाभ एक व्यापार-गृह को जाता है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में आपका और आपके जरिये इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले की, इस प्रकार के भेदभाव और एकाधिकार गृहों को प्रोत्साहन देने तथा इस प्रकार प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न करने के बारे में जांच करेगी। माननीय मंत्री इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें।

श्री ब० रा० भगत : मैं इस प्रश्न पर चर्चा के समय मैंगनीज अयस्क के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। वे एक पृथक प्रश्न दे सकते हैं, मैं उत्तर दे दूंगा। यदि मैंने ठीक समझा है, तो उनका प्रश्न है कि इन अयस्कों की बिक्री में चाहे लौह अयस्क हो अथवा मैंगनीज अयस्क हो, प्रादेशिक असन्तुलन होने के क्या कारण हैं। जहां तक लौह अयस्क का सम्बन्ध है, जापान के साथ किरिबुरु और बेलाडिला अयस्क के लिए करार हुआ है बड़ाजामदा और दायतारी के लिये नहीं। जापान, जो हमारा सबसे बड़ा खरीदार है और जिसे आस्ट्रेलिया और ब्राजील से सप्लाई के अन्य साधन उपलब्ध हैं, अब शायद साइबेरिया से उपलब्ध हो, अब ऐसी स्थिति में है कि हम उसके सामने अपनी मर्जी की शर्तें नहीं रख सकते हैं बल्कि वे अधिक अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि उन्हें अब अन्य प्रतियोगी साधन उपलब्ध हैं। इसीलिये उन्होंने इस बेलाडिला और किरिबुरु अयस्क को पसंद किया है क्योंकि 1968 में एक समझौता हुआ था और सम्भवतः उस समझौते का पालन करने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। वे दायतारी और बड़ाजामदा अयस्कों को हाथ तक लगाने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं इस वक्तव्य को चुनौती देता हूं।

श्री ब० रा० भगत : हम भी इस राष्ट्रीय विनियोजन में बराबर की रुचि रखते हैं। हम भी चाहते हैं कि इन अयस्कों को भी बेचा जाये क्योंकि इनमें भी पूंजी लगी है। लेकिन चेयरमैन को दोष देना कि उसने ऐसा नहीं किया है, जैसे कि बेलाडिला और किरिबुरु उनकी निजी खानें हैं, ठीक नहीं है। मुझे इस पर आपत्ति है। उन्होंने इन्हें बेचने के भरसक प्रयत्न किये हैं परन्तु जापानी उसे लेने के लिये तैयार नहीं हैं। उन्होंने बातचीत खुली जारी रखी है।

हम उन्हें सहमत कराने के प्रयत्न कर रहे हैं। हम यूरोप में भी उन्हें बेचने के प्रयत्न कर रहे हैं। स्वेज नहर की समस्या के कारण कठिनाइयां बढ़ गई हैं। हाल में यूरोपीय देशों ने इन्हें खरीदने में कुछ रुचि दिखाई है, जहां पर वे इन अयस्कों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं लेकिन इस बात से कि हम बड़ाजामदा अथवा दायतारी से अयस्कों को नहीं बेच सके हैं, यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि किसी ने कोई लापरवाही की है अथवा अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय वह पत्र सभा-पटल पर रखेंगे, जिसमें जापानियों ने बड़ाजामदा और दायतारी के अयस्कों को घटिया बताया है? वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री ब० रा० भगत : यदि माननीय सदस्य मेरे इस कथन को कि जापानी बेलाडिला अयस्क पसंद करते हैं, सभा को गुमराह करना बताते हैं, तो मुझे दुख है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को किसी फर्म द्वारा किसी विशिष्ट अयस्क को घटिया बताये जाने सम्बन्धी अपनी कथन की ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय सदस्य उक्त वक्तव्य को चुनौती देते हैं। अब केवल इस बात के बारे में उन्हें संतुष्ट करें। यदि आप चाहें, तो सूचना मांग सकते हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह घटिया अथवा बढ़िया होने का प्रश्न नहीं है। यह तो खरीदार की पसन्द का प्रश्न है। बेलाडिला अयस्क की अपनी विशिष्टता, जो जापान की इस्पात मिलों को पसन्द है। उन्होंने पूंजी लगाई है और काफी रुचि ली है। किरीबुरु अयस्क भी बहुत कुछ दायतारी और बड़ाजामदा अयस्क के समान है, लेकिन चूंकि एक पहला समझौता है, इसलिये वे इसे ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस अयस्क में मिलिका और एल्यूमीना का अंश अधिक है और वे इसे नहीं चाहते। वास्तविकता यह है कि सारी परियोजना में चार वर्ष का विलम्ब हुआ है। इस बीच उन्होंने करार कर लिया है। विलम्ब क्यों हुआ, यह उड़ीसा सरकार ही बता सकती है, क्योंकि यह उड़ीसा सरकार की परियोजना है। यह 1965 में पूरी हो जानी चाहिए थी परन्तु यह चार वर्ष बाद पूरी हो रही है। हम जापानियों पर जोर दे रहे हैं कि वे हमसे अयस्क लें। हमारी भावना वही है जो माननीय सदस्य ने व्यक्त की। उनका कहना है कि इस बीच उन्होंने आस्ट्रेलिया और ब्राजील को वचन दे दिया है और अभी तक वे इस अयस्क के लिए कोई सहमति नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे द्वारा प्रतियोगी मूल्य न रख सकने और साथ हानि होने का एक कारण हमारे पत्तनों की ढुलाई क्षमता में कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि देश में किस-किस पत्तन से कितना-कितना लौह अयस्क जापान भेजा जा रहा है और क्या निकट भविष्य में उनकी ढुलाई क्षमता बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री ब० रा० भगत : पत्तनों के नाम हैं, कलकत्ता, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया,

मद्रास और मारमागोआ। कारबार जैसे कुछ छोटे पत्तन भी हैं। कलकत्ता में डुबाव (ड्राफ्ट) न होने के कारण केवल 10,000 टन के जहाजों में लदान हो सकता है जबकि आस्ट्रेलिया में यह 80,000 टन अथवा 1,50,000 टन भी है इसलिए आप भाड़ा लागत अधिक होने को समझते हैं। विशाखापत्तनम में केवल 30,000 टन के लौह अयस्क वाहक जहाज आ सकते हैं। हम वाह्य-विशाखापत्तनम बन्दरगाह परियोजना आरम्भ कर रहे हैं और तीन वर्षों में विनियोजन के बाद 10,000 टन के लदान की व्यवस्था हो जायेगी। तब वहां से भेजा जाने वाला अयस्क अधिक प्रतियोगी होगा। पारादीप में सारी व्यवस्था का तो विकास किया गया है, परिवहन का विकास नहीं किया गया है।

पत्तन तो चालू है परन्तु परिवहन लाइन का विकास नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप यद्यपि इसका निर्यात तो किया जा सकता है परन्तु निर्यात की लागत अधिक होगी। इसी प्रकार हम मारमागोआ में पत्तन की क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और 60,000 टन के लदान की व्यवस्था करना चाहते हैं। यदि यह हो जाता है, तो हम 100,000 टन के लदान की व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि जापान ने बेलाडिला अयस्क विशाखापत्तनम से भेजा जाना अधिक पसन्द किया है क्योंकि विशाखापत्तनम में अन्य पत्तनों की अपेक्षा अधिक सुविधायें हैं ? क्या यह सच है कि रूमानिया ने उड़ीसा क्षेत्र से अयस्क लेने का प्रस्ताव रखा है ? क्या यह भी सच नहीं है कि रूमानिया को उड़ीसा क्षेत्र का अयस्क भेजने और ट्रैक्टर आयात करने के लिये, जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, सरकार सहमत नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : जापान के साथ किरीबुरु और बेलाडिला अयस्क के लिये करार है, जो विशाखापत्तनम से भेजा जायेगा। उड़ीसा के अयस्क के लिये हम खरीदार ढूंढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसे खरीदने के इच्छुक देशों के साथ बातचीत करने के लिये चेयरमैन यूरोप गये हुए हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : श्रीमन्, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या रूमानिया ने उड़ीसा क्षेत्र का अयस्क खरीदने की पेशकश की है ?

श्री ब० रा० भगत : रूमानिया यूरोप में है। मैंने कहा था कि चेयरमैन वहां विद्यमान है तथा खरीदने वालों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय के प्रश्न से यह बात स्पष्ट होती है कि कुछ स्वार्थी लोग पर्दे के पीछे इस उद्योग को नष्ट-भ्रष्ट करने की कार्यवाही कर रहे हैं। उड़ीसा में देतारी खानों का विकास जापानी सहयोग से किया गया था और वे वर्ष 1954 में ही एक समझौता करने को तैयार थे। उन्होंने मशीनरी सप्लाई की तथा चाहते थे कि उन्हें धातुक की सप्लाई की जाये। परन्तु अब वे इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं हालांकि खानें अब उत्पादन करने की स्थिति में हैं। अब तक हमें बताया गया है कि ये उत्पाद घटिया किस्म के हैं, परन्तु ऐसा नहीं है। मैं विशिष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जब उड़ीसा के

मुख्य मंत्री ने जापान का दौरा किया तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) ने यह दलील रखी कि वे उनकी बात-चीत स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वह जापानी सहयोग-कर्ताओं से बात-चीत करना चाहते थे परन्तु खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उन्हें रोक दिया।

परन्तु परिवहन के बारे में मार्ग खुला हुआ है। मेरे विचार से परिवहन व्यय बहुत अधिक नहीं होगी क्योंकि केवल चुंगी ही घटानी पड़ेगी। जापानी आरम्भ में इसमें बड़ी रुचि रखते थे। यह देखते हुए कि यह खान उन्हें काफी समय तक उनकी आवश्यकतानुसार धातुक उपलब्ध कर सकेगी, उन्होंने मशीनरी सप्लाई कर दी। इसलिये मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार तथा विशेष रूप से खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने यह प्रयत्न नहीं किया कि जापानी अपने वायदे का पालन करें। यह वही खान है जिसका उन्होंने स्वयं विकास किया है और क्या यह बात सच नहीं है कि जापानियों द्वारा अन्य स्थानों पर अन्य आसामियों के साथ करार करने से पूर्व इस निगम ने उन्हें यह बताने का कभी प्रयास नहीं किया कि हम इन खानों से धातुक सप्लाई करने की स्थिति में हैं।

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इसको बेचने के लिये हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं, कठिनाई यह है कि जापानी इसके लिये तैयार नहीं हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष ने इस बारे में प्रयास किया है। हमने भी .... **(व्यवधान)**

श्री रंगा : वह प्रश्न को टाल रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री .... **(व्यवधान)**

श्री ब० रा० भगत : आप चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से उत्तर दूं और मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से उत्तर दूं। मुझे दुःख है कि वाक्य के बीच में ही माननीय सदस्य कह बैठते हैं कि मैं प्रश्न को टाल रहा हूं। मैं ऐसा करने का आदी नहीं हूं। हमें एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करना चाहिये।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया था। जब मुख्य मंत्री वहां गये तो उन्होंने इच्छुक आसामियों से भेंट की। निगम ने तो केवल यही कहा था कि क्योंकि निगम इस मामले में कार्यवाही कर रहा था और मुख्य मंत्री को पिछले आघात का सम्भवतः ज्ञान नहीं था तो सम्भव है वह कोई वायदा कर बैठते।

Shri Rabi Ray : Will you not permit him even to talk to them ?

श्री रंगा : क्या उन्होंने कोई वायदा किया था ?

श्री ब० रा० भगत : बात-चीत करना भिन्न बात है। मुख्य मंत्री ने बात-चीत की थी। निगम उड़ीसा सरकार तथा मुख्य मंत्री से सम्पर्क बनाये हुए था। मुख्य मंत्री ने मुझसे भी बात की थी और मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि इसमें हमारी कोशिश तथा बड़ी रुची है कि ये धातुक बिक जायें। इस के पीछे हमारा कोई स्वार्थ निहित नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें दो तथ्यों

पर ध्यान देना चाहिये। पहला यह कि जापान अपनी मनचाही बात करने की स्थिति में है क्योंकि उन्होंने साइबेरिया समेत और उनके स्रोत ढूंढ लिये हैं। इस के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया और ब्राजील भी हैं। दूसरी बात यह है कि स्वेज नहर के बन्द हो जाने से यूरूपीय राजधानियों में माल का निर्यात करने में कठिनाइयां तथा अधिक खर्च आने लगा है। परन्तु फिर भी अध्यक्ष ने रूमानिया से देतारी अयस्क के बारे में ट्रेक्टरों के बदले में अयस्क की बिक्री सम्बन्धी बातचीत की थी। इससे स्पष्ट है कि इनदोनों खानों के अयस्क भी बिक जायें।

भारत के लिये रूसी जंगी जहाज

+

*214. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस भारत को कुछ आधुनिक जंगी जहाज तथा अनेक पनडुब्बियां देने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) क्या ये जहाज सप्लाई किये जा चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां। सोवियत संघ से हम कुछ नौसैनिक पोत प्राप्त कर रहे हैं। और अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : तथ्य भले ही सारी दुनिया को मालूम हों परन्तु मंत्री महोदय बड़ी सरलता से कह देते हैं कि उन्हें बताना लोकहित में नहीं होगा। सोवियत नौसेना पोत की हिन्द महासागर में सक्रियता बड़ी सन्देहास्पद तथा आपत्तिजनक रही है। मैं 24 जून के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित कुछ तथ्य उद्धृत करता हूं जबकि उन्होंने पेकिंग रेडियो का नाम लिया तथा पेकिंग रेडियो ने रूसी प्रसारण का हवाला दिया था : उसके अनुसार रूसी पनडुब्बियां हिन्द महासागर में आ गई थी ; 14 पोत तो स्थायी रूप से हिन्द महासागर में रह रहे हैं ; 50 विध्वंसक तथा 100 पनडुब्बियां प्रशान्त महासागर में हैं, इस संदर्भ में एक समाचार था जिसे हम सब जान लें, कि समाचार मिला है कि पाकिस्तान ने सोवियत को ग्वादूर में नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दे दी है, इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सोवियत संघ की इन गतिविधियों को वह कहां तक भारतीय हितों के तथा उनकी इच्छा विरुद्ध समझते हैं तथा क्या उन्होंने इन गतिविधियों के बारे में सोवियत संघ से विरोध प्रकट किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : वर्तमान प्रश्न सोवियत संघ से नौसैनिक पोत प्राप्त करने से सम्बन्धित हैं हिन्द महासागर में सोवियत संघ की गतिविधियां एक अति व्यापक प्रश्न है जिसका सम्बन्ध सिद्धान्ततः वैदेशिक कार्य मंत्रालय से है। फिर भी इस बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध थी

वह सभा के सामने पेश कर दी गई है। यह कई बार स्पष्ट किया गया कि हिन्द महासागर के बारे में हमारी सच्ची कोशिश यह हैं कि उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई तनाव न पैदा किया जाए और यह अच्छी बात होगी यदि बड़ी शक्तियां चाहे वह सोवियत संघ हो चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, हिन्द महासागर में बड़े स्तर पर नौसैनिक पोत न लाये क्योंकि इससे निश्चय ही अनेक प्रकार के तनाव पैदा होंगे। तथापि यह एक कठोर सत्य है कि हम कितना भी चाहें महासमुद्रों के सम्बन्ध में मिली स्वतंत्रता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत परम्परा के अनुसार हम हिन्द महासागर में, गहन समुद्र में विभिन्न देशों के नौसैनिक पोतों का आना जाना नहीं रोक सकते चाहे वे सोवियत संघ के हों, अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस अथवा ब्रिटेन के हों। यह गहरे समुद्रों के लिये स्वतंत्रता की बात है।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है इस बारे में है कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ को कुछ सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है। यह एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट है। इसकी पुष्टि किसी भी साधिकारिक स्रोत से नहीं हुई है।

श्री रंगा : क्या इसकी पुष्टि करने के लिये आपने कोई प्रयत्न किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने प्रयत्न अवश्य किया है तथा इसके अतिरिक्त भी ऐसे किसी समझौते की खबर की पुष्टि नहीं हुई है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या इसका खण्डन किया गया है ? अब हिन्द महासागर में हुई इन घटनाओं को देखते हुए रूस से युद्ध पोत लेने के प्रश्न का रूप ही बदल जाता है। क्या अभी हाल ही में, कुछ मास पूर्व, बम्बई से लगभग 20 मील दूर एक रूसी जहाज देखा गया था और अब उनसे पूछ ताछ को तो उन्होंने अपनी वास्तविकता बताने से इन्कार कर दिया, और दूसरे क्या यह सच है कि अभी हाल ही में सोवियत संघ ने अन्दमान द्वीप समूह को अपना नौसैनिक अड्डा बनाने के लिये भारत से अनुमति मांगी थी, और यदि हां तो इस बारे में भारत सरकार ने क्या रवैया अपनाया है तथा क्या यह बात मान ली गई है अथवा अस्वीकार कर दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि उनका प्रश्न सभा के समक्ष मुख्य प्रश्न से कैसे सम्बन्ध रखता है। यह बिलकुल सम्बन्धित विषय नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं। युद्ध पोत खरीदने के इस प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से इस कारण है कि रूस हमारी सीमा पर हर प्रकार से अपनी गतिविधियां चला रहा है और हमसे यह मांग भी कर रहा है कि उसे अन्दमान द्वीप समूह का उपयोग करने दिया जाये। इस संदर्भ में इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से पूरा संबंद्ध जुड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दूंगा। कोई भी सदस्य इस प्रश्न को पढ़ सकता है। मुख्य प्रश्न में माननीय सदस्य ने मूल्य आदि के बारे में पूछा है। माननीय सदस्य का प्रश्न इसलिये असम्बन्धित है।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ !

Shri Mahant Digvijay Nath : As the Government are requesting the USSR Government to supply warships and submarines, what steps are the Government taking to manufacture these items in India itself? It is said that Russian ships are sailing in the Indian Ocean. Now, if Pakistan and China collectively attack India, how many warships will we need, and keeping that in view, do we have adequate fleet of those warships ?

श्री स्वर्ण सिंह : दो प्रश्न पूछे गये हैं। देश में ही कई प्रकार के नौसैनिक पोत बनाने का कार्यक्रम हमने तैयार किया है। सभा को याद होगा कि अभी कुछ मास पूर्व ही प्रधान मंत्री ने हमारे एक फ्राईगेट प्रकार के जहाज को समुद्र में उतारा था। हम दूसरे प्रकार के नौसैनिक पोतों का भी निर्माण कर रहे हैं। परन्तु फिर भी मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमारी निर्माण क्षमता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य नहीं है चाहे वह सामग्री पारम्परिक प्रकार की हो अथवा आधुनिक ढंग की हो। यही कारण है कि हमें विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में, हम हर सम्भव स्रोत से नौसैनिक पोत प्राप्त करके अपनी आवश्यकताएं पूरा करने को तत्पर हैं। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यद्यपि हमने इस दिशा में कई देशों से प्रयत्न किये परन्तु केवल सोवियत संघ से ही हमें स्वीकारात्मक उत्तर मिला और हम अन्य किसी स्रोत से अपनी आवश्यकताएं पूरा नहीं कर सकते। अतः हमें इस प्रस्ताव की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। यही हमारे लिये सहायक है।

Shri Mahant Digvijay Nath : The Hon. Minister has not stated whether Government are going to manufacture submarines or not.

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि क्या हमने अपनी सुरक्षा तथा नौसैनिक पोतों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबन्ध कर लिया है यदि पाकिस्तान और चीन एक साथ हम पर आक्रमण करें। हमारा अनुमान है कि उनके गठजोड़ से हमें खतरा केवल स्थल की ओर से हो सकता है तथा इस समय जल की ओर से नहीं परन्तु हम सारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुये हैं तथा प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या मैं जान सकतीं हूं कि ब्रिटेन के समाचार पत्रों में इसका बड़ा प्रचार हुआ है कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी पोर्टसमाउथ में नौसैनिक प्रशिक्षण लेने जाते हैं वे वहां से सीधे मास्को जाते हैं ? क्या यह सच है ? दूसरे क्या मैं जान सकती हूं कि क्या 1963 में हमने ब्रिटिश ओबिरोन श्रेणी की पन्डुब्बियों के बारे में बातचीत की थी, परन्तु अगस्त, 1965 में प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि ये पन्डुब्बियां हम रूस से प्राप्त कर रहे हैं तथा हमने ओबिरोन श्रेणी को खरीदने का विचार छोड़ दिया। समाचार पत्रों में इसका भी प्रचार किया गया है कि हम बम्बई में लीडर प्रकार की पन्डुब्बियां बना रहे हैं। यह सच है या नहीं ? यदि यह सच है तो वहां कितनी बनाई जा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : क्या मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि लियेडर फ्राइगेट की एक किस्म है पनडुब्बी की प्रकार नहीं। हम लियेडर टाइप की फ्राइगेट बना रहे हैं और उन में से एक को तो बम्बई में प्रधान मंत्री ने समुद्र में उतारा था।

सोवियत संघ द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं का हम लाभ उठा रहे हैं। सावधानी से चयन करके तथा नवीनकरण पाठ्यक्रम कराने के बाद ही हम अपने प्रशिक्षणार्थी समय-समय पर वहां भेजते हैं। इस सम्बन्ध में कार्यकुशलता अथवा सावधानी के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

पनडुब्बियां प्राप्त करने के बारे में ब्रिटेन के साथ किसी बात-चीत की मुझे जानकारी नहीं है। माननीय सदस्या इस विषय के बारे में जिक्र कर रही थीं जो कि कुछ वर्ष पूर्व विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में कुछ कानाफूसी हुई होगी परन्तु हम ब्रिटेन से अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त नहीं कर सके और अन्त में हमने सोवियत संघ से पनडुब्बियां प्राप्त करने का निश्चय किया। सभा निस्सन्देह इस तथ्य से अवगत है कि पनडुब्बियां आज नौसेना का आवश्यक अंग हैं। आपकी अनुमति से तथा इसका ध्यान रखते हुए कि आपने एक प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी थी, यह भी कह दूं तथा स्थिति स्पष्ट कर दूं ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम न रह जाये, कि सोवियत संघ ने अन्दमान में कोई सुविधा देने के लिये हम से नहीं कहा है तथा किसी बाहरी देश को किसी प्रकार का भी कोई नौसैनिक अड्डा बनाने की बात को स्वीकार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ महीने पहले कुछ भारतीय समाचार-पत्रों ने ब्रिटेन के समाचार-पत्र **यार्कशायर पोस्ट** तथा **बर्मिंघम पोस्ट** के काफी उद्धरण देते हुए कहा था कि सोवियत संघ भारत को पहले ही कम से कम 24 आधुनिक युद्धपोत दे चुका है जिनमें आधुनिक लम्बी रेंज की पारम्परिक एफ मार्का पनडुब्बियां भी शामिल हैं। इन दो समाचार-पत्रों में विभिन्न प्रकार के जलपोतों की एक ओर सूची भी दी गई है : परन्तु **यार्कशायर पोस्ट** और **बर्मिंघम पोस्ट** इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन जलपोतों को पाकर भारत के पास हिन्द महासागर में एक शक्तिशाली जल-गत फ्लीट हो जायेगी जो कि ब्रिटिश द्वारा सिंगापुर के आस पास के सुदूर पूर्व नौसैनिक बेड़े को वापस बुला लेने के पश्चात स्वेज नहर में सबसे शक्तिशाली नौ सेना होगी। यही समाचार ब्रिटिश समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। मैं यह आशा नहीं रखता कि मंत्री महोदय इन पोतों की संख्या के बारे में 'हां' करेंगे अथवा 'न' कहेंगे, क्योंकि वह तो यही आड़ लेंगे कि ऐसा कहना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह कम से कम मोटे तौर से तो यह संकेत दे सकते हैं कि जो कुछ ब्रिटिश अखबारों में कहा जारहा है जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में सोवियत संघ से पोत प्राप्त करके भारत के पास नौ सनिक शक्ति हो गई है तथा हमारे तथा इस क्षेत्र के अन्य देशों के मध्य नौ सैनिक शक्ति के सन्तुलन हमारे पक्ष में काफी सीमा तक परिवर्तित हो गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सोवियत संघ से नौ सैनिक पोत प्राप्त करके तथा साथ ही अपने देश में भी नौ सैनिक पोतों का निर्माण करके हमने निश्चय ही अपनी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाई है तथा अब हम अपने तटों की किसी भी विदेशी आक्रमण से रक्षा करने की ओर भी अधिक अच्छी स्थिति में हैं।

यह बात सही है।

जहां तक कुछ विदेशी समाचार पत्रों में समय समय पर छपने वाले समाचारों का सम्बन्ध है मैं उनके बारे में केवल खबरदार ही करना चाहता हूं। यह एक आम प्रथा सी बन गई है कि आंकड़े दे दिये जाते हैं तथा उनकी पुष्टि करने अथवा उसका खण्डन करने का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाल दिया जाता है। हमें इस जाल में न फंसने के लिये पूरी तरह से सावधान रहना चाहिये तथा किसी मामले पर जो भी जानकारी हमें मिले उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिये तथा ऐसे समाचारों में छपने वाले समाचारों की पुष्टि अथवा खण्डन करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।

श्री पीलु मोडी : दूसरे शब्दों में यह सही नहीं है।

श्री समर गुह : उस प्रश्न के बारे में आपका क्या विचार है कि क्या इससे क्षेत्रीय संतुलन भारत के पक्ष में होगा ?

श्री क० प्र० सिंह देव : विगत काल में जब कभी भी कठिन समस्या उत्पन्न हुई है तथा भारत सरकार ने उसके बारे में गलती की है तो उन्होंने यह कहा है कि उसे बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। मंत्री महोदय के एक प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि केवल रूस ने ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात के लिए हमारे पास क्या गारंटी है कि यह युद्ध सामग्री जो हमें मिल रही है वह पुरानी अथवा घटिया किस्म की नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम जानते हैं कि पुरानी चीज क्या होती है। हम इतने अनभिज्ञ नहीं हैं जितने यह माननीय सदस्य।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया।

श्री पीलु मोडी :*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोडी को नहीं बुलाया है। उनका प्रश्न कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सीताराम केसरी : मेरा यह सुझाव है कि प्रश्नों के लिये कुछ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अन्यथा सारा प्रश्न काल केवल एक अथवा दो प्रश्नों पर ही व्यतीत हो जायेगा तथा अन्य प्रश्नों पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। यह सुझाव मेरे पास आ गया है। यदि माननीय सदस्य सहयोग दें तो इस सुझाव को कार्य रूप दिया जा सकता है। परन्तु माननीय सदस्य सहयोग नहीं देते।

श्री ए० श्रीधरन : अब हमें अल्प सूचना प्रश्न लेना चाहिए। पहले ही 12 बज चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। श्री पाटोदिया।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।
*Not recorded.

श्री पाटोदिया : चूंकि मुझे दूसरा प्रश्न पूछने से रोक दिया गया था जिसे पूछने का मुझे हक था इसलिये उसके विरोध में मैं अब प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

+

अ० सू० प्र० सं० 2. श्री ए० श्रीधरन :
श्री स० कुण्डू :
श्री देवेन सेन :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों ने 4 अगस्त, 1969 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस बारे में पश्चिम बंगाल के मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उनकी किसी भी मांग को माने बिना हड़ताल न होने देने का प्रयास करने का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा उस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारियों की मांगों को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कर्मचारियों की मांगों में निम्नलिखित मांगें शामिल हैं :

(1) प्रति मास कम से कम मजूरी 264 रुपये ।

(2) जीवन निर्वाह में होने वाली वृद्धि के तुल्य अनुपात वेतन वृद्धि अर्थात वृद्धि अथवा कमी के प्रत्येक प्वाइंट के लिये 35 पैसे ।

(3) सभी कर्मचारियों को कम से कम 8 प्रतिशत बोनस ।

(4) रात्रि-पारि भत्ता

(5) उपदान व्यवस्था लागू करना ।

(6) 1-1-68 को प्रत्येक मिल में दर्ज वास्तविक औसतन दैनिक उपस्थिति के अनुसार 100 प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी करना ।

(7) क्वार्टरों में सुधार तथा क्वार्टरों के बदले में मकान किराया भत्ता देना ।

(8) भविष्य निधि की कटौती की दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना ।

(9) जीवन निर्वाह सूचकांक में सरकार द्वारा हाल में की गई शुद्धि के अनुसार जुलाई 1963 से मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान ।

(10) वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण तथा आधुनिकीकरण के नाम पर कोई छंटनी न करना ।

(ग) और (घ). मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को दो टेलेक्स संदेश भेजे जिनमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे हड़ताल को रुकवाने के लिए और पटसन उद्योग तथा उसके श्रमिकों को अपने मतभेद दूर करने में सहायता देने के 'लिये भरसक प्रयत्न करें ताकि पटसन के माल जैसे आवश्यक उत्पाद के उत्पादन को हानि न पहुंचे, हमारी विदेशी मुद्रा की आय में हानि न हो और कच्चे पटसन के मूल्य न गिरें क्योंकि उससे पटसन उगाने वालों का अहित होगा । मेरे दूसरे टेलेक्स संदेश में, जो 29 जुलाई, 1969 को भेजा गया था, मैंने यह सुझाव दिया था कि श्रमिकों की मांगों पर विचार करके शीघ्र अपनी सिफारिशें देने के लिये एक समिति बनाई जाये । मेरे दूसरे टेलेक्स संदेश का अभी अभी उत्तर आया है और मैं उस पर विचार कर रहा हूं । मुझे विश्वास है कि उद्योग तथा श्रमिकों दोनों के प्रतिनिधि कोई ऐसी चीज नहीं करगे जिससे राष्ट्रीय हितों को हानि हो और मुझे पूरी आशा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की सहायता से इस कठिनाई का कोई हल निकल जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल में किसी भी व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री स० मो०. बनर्जी : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं चाहता था कि श्रम मंत्री यहां उपस्थित होते । यह औद्योगिक विवाद का प्रश्न है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : हमें बहुत खेद है । जब कभी प्रश्न पूछा जाता है तो कांग्रेस के सदस्यों को घाटा रहता है । प्रश्न काल में श्री बनर्जी उठ जाते हैं और अनुचित बातें करने लग जाते हैं तथा आप उसकी अनुमति दे देते हैं । उससे हम घाटे में रहते हैं । अब श्री श्रीधरन को प्रश्न पूछने दिया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बहुत उचित प्रश्न है ।

श्री ए० श्रीधरन : जो श्री बनर्जी ने कहा है वह बहुत उचित है । यह श्रम विवाद का प्रश्न है । पटसन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : आज शाम को हम पटसन उद्योग के संकट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं । इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप देखें कि उस आधे घण्टे की चर्चा में कुछ प्रश्न रह न जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे केवल यही कहा है कि एक ही बात नहीं की जानी चाहिये ।

श्री ए० श्रीधरन : इस प्रश्न को बनाने से पहले माननीय मंत्री ने यह अनुमान लगा लिया कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं । उन्हें ऐसा अनुमान नहीं लगा लेना चाहिये तथा प्रश्न पूरा करने का मेरा अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ को यह कहना उनका अधिकार था कि चर्चा की जाये ।

श्री सु० कु० तापड़िया : उन्हें यह पता होना चाहिये कि केवल चार व्यक्ति भाग ले सकते हैं । उन्हें अध्यक्षपीठ को गुमराह नहीं करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह गुमराह नहीं कर रहे हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : भारतीय पटसन मिल संघ तथा पटसन उद्योग के नेता भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार पर नाजायज दबाव डालना चाहते हैं । भारतीय पटसन मिल संघ के श्री बिड़ला ने कहा है कि मैं मजूरी बढ़ाने अथवा पहले कोई वचन देने के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं हूं । यह एक दस्तावेज है जिसे भारतीय पटसन मिल संघ ने समाचारपत्रों में विज्ञापन के रूप में छपवाया है । वे लोग श्रमिकों के विरुद्ध एक मामला तैयार कर रहे हैं । श्रमिकों की मांग बिल्कुल जायज है । उनकी यह मांग है कि कलकत्ता तथा उसके आसपास जहां गत दस अथवा पन्द्रह वर्षों में जीवन निर्वाह बहुत बढ़ गया है, कम से कम 264 रुपये प्रति मास के हिसाब से मजूरी दी जाये । दूसरी ओर मिल-मालिक कहते हैं कि यह उद्योग इस समय निर्यात शुल्क के रूप में 27 करोड़ रुपये तथा उत्पादन शुल्क के रूप में 21 करोड़ रुपये दे रहा है इसलिये यह उद्योग जिसे बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, यह बात बर्दास्त नहीं कर सकती ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वह प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा भाषण दे रहे हैं । क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं । कुछ समय पहले पटसन पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया था तथा यह कभी पटसन पर निर्यात शुल्क कम किये जाने के बाद की गई थी ।

एक माननीय सदस्य : क्या वह अपना प्रश्न पूछ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है । आपके प्रश्न की पृष्ठभूमि के लिये कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये । जब मंत्री महोदय प्रश्न स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें पृष्ठभूमि का पता होता है । अतः अब आप अपना प्रश्न पूछिये । मैंने पांच मिनट दिये हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : मैं 15 मिनट ले सकता हूं । वे सभी 15 मिनट ले रहे हैं । क्या मैं दो मिनट नहीं ले सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं । अब आप अपने प्रश्न पर आ जायें ।

श्री ए० श्रीधरन : पहले उन्होंने उत्पादन शुल्क कम किया और फिर निर्यात शुल्क । क्या सरकार का अब भी यह मत है कि उत्पादन शुल्क लगाये जाने के बाद भी पटसन मिलों को काफी मुनाफा हो रहा है और यदि हां, तो वे मजूरी क्यों नहीं बढ़ाते ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या यह उचित है ।

श्री हेम बरुआ : उचित है अथवा नहीं, यह देखना अध्यक्षपीठ का काम है । यह काम किसी अन्य सदस्य का नहीं है । प्रश्न मंत्री महोदय से पूछा गया था तथा मंत्री महोदय ने उत्तर देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुनाफे आदि के बारे में नहीं है । मुख्य प्रश्न पटसन के संकट तथा वर्तमान स्थिति के बारे में है । यदि वह अन्य मामलों को बीच में लाते हैं तो वह अनुचित है । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह समय की बचत करें । मंत्री महोदय उनके उचित प्रश्न का उत्तर दे दें । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मिल मालिकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा है अतः इसलिये वे कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं कर सकते । माननीय सदस्य का प्रश्न है कि सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है अर्थात् कि नियोजकों को मुनाफा हो रहा है अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुख्य प्रश्न पढ़ें, केवल तब आप को पता लगेगा । मैंने प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ा है ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने पहले भी यह कहा है कि जहां तक निर्यात शुल्क का सम्बन्ध है, उसका सम्बन्ध उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा से है । हमने पिछले बजट में भी देखा है कि कुछ उत्पाद बेचना मुश्किल हो गया तथा हमने निर्यात शुल्क लेना बन्द कर दिया । परन्तु देश की मांग तथा मजूरी में वृद्धि अथवा कर्मचारियों के अन्य लाभों को निर्यात शुल्क से मिलाने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । शुल्क इसलिये हटाया जाता है कि विदेशों में कीमत कम की जाये ताकि वह विदेशी बाजार का मुकाबला कर सके ताकि इसलिये कि उसका लाभ उद्योग को हो ।

जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, जिसका भी उन्होंने उन्होने उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य भी यही होता है कि वह उपभोक्ता पर पड़े । इसलिये भुगतान करने की उद्योग की क्षमता का सीधा सम्बन्ध निर्यात शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क से बिल्कुल नहीं है ।

श्री ए० श्रीधरन : पटसन मिल संघ का मुख्य दावा यह है कि मुनाफा न होने के कारण वे कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं कर सकते । मेरे विचार में मंत्री महोदय इस बात को समझते हैं । अतः मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं । निर्यात की एक मुख्य मद गलीचे का अस्तर होती है जिसे गलीचों के नीचे लगाया जाता है । अत. मंत्री महोदय को सभा को यह बताना चाहिये कि निर्यात किये जाने वाले गलीचे के आज बनाने से उद्योग को गत दस वर्षों में कितनी आय हुई ?

श्री सु० कु० तापड़िया : यह प्रश्न उचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह पूछ रहे हैं कि यह प्रश्न उचित है अथवा नहीं । हर बार यह सम्भव नहीं । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मुख्य विवाद भुगतान करने की क्षमता के बारे में है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह एक विचित्र सी चीज है। यदि ऐसा चलता गया तो सभा में कोई भी बात नहीं कर सकेगा। माननीय सदस्य ने केवल एक वाक्य कहा है तथा वह बिल्कुल उचित है जैसा कि आपने कहा है। यदि माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है तो वे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु यदि वे इस प्रकार बाधायें करते गये तो इसकी कोई समाप्ति नहीं हो सकती।

श्री बासुदेवन नायर : उनसे संसद् में लोगों के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करने की आशा की जाती है।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा प्रश्न यह है। पटसन मिल संघ का मुख्य दावा यह है कि मुनाफा न होने के कारण वे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं कर सकते। पटसन निर्यात की एक मुख्य मद गलीचे का अस्तर है तथा यह अमरीका तथा अन्य देशों में गलीचे के नीचे लगाने के काम में लाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका अमरीका को निर्यात करके गत दस वर्षों में कितना मुनाफा हुआ, इसके आंकड़े मंत्री महोदय सभा को बतायें।

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये मुझे पूर्व नोटिस चाहिए। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वह सभा को आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देने को तैयार हैं।

श्री स० कुण्डू : अच्छा होता यदि यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से पूछ लिया जाता। फिर भी अच्छा है कि यह प्रश्न इस मंत्रालय से पूछा गया है क्योंकि उचित उत्तर देने के लिए आवश्यक आंकड़े इस मंत्रालय के पास हैं। पटसन मिल संघ गत कुछ दिनों से सभी समाचार-पत्रों के पहले पृष्ट पर यह छाप रहा है कि वे कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उत्पादन शुल्क तथा निर्यात शुल्क के रूप में 44 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गत कुछ वर्षों से सरकार इस तरह की बड़ी रियायतें नहीं दे रही हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : बड़ी रियायतें नहीं हैं।

श्री स० कुण्डू : जी हां, वे बड़ी रियायतें हैं। क्या मंत्रालय उनको यह कह सकता है कि जो रियायतें उनको दी गई हैं, वे श्रमिकों को अधिक मजूरी देने के लिये पर्याप्त हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह पर्याप्त नहीं है।

श्री स० कुण्डू : अतएव मिल मालिक श्रमिकों को कुछ रियायतें दें और उनकी उचित मांगों को पूरा करें। यह मेरा पहला प्रश्न है, दूसरा, गत कुछ वर्षों में, ठीक 1954 से, हमारे निर्यात का 38 प्रतिशत जूट के कारण कम हो गया है। यह एक ओर तो सरकार के हठपूर्ण रवैया के कारण है और दूसरी ओर इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रबन्धकों के गल्त योजना, द्विविधा, अनिश्चितता और विलम्ब के कारण हुआ है। सरकार और प्रबन्धक की आपराधिक उपेक्षा के शिकार श्रमिक होते हैं; दूसरा, सरकार काफी समय से जानती थी कि श्रमिकों ने हड़ताल का नोटिस दिया हुआ है तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने

पश्चिमी बंगाल सरकार के श्रम मंत्रालय को श्रमिकों के प्रतिनिधियों को बुलाने का अनुरोध किया थ ाताकि बातचीत द्वारा श्रमिकों की उचित मांगों को मानने के लिये प्रबन्धकों पर दबाव डाला जाये ? क्या प्रबन्धक यह कह रहे हैं कि वे श्रमिकों के साथ बातचीत के लिये तैयार हैं परन्तु बढ़ी हुई मजूरी को देने का वचन देने को तैयार नहीं हैं। श्रमिक उस बैठक में मौसम पर चर्चा करने को नहीं जाना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री महोदय ने इस मामले में क्या किया है ?

श्री ब० रा० भगत : पहला प्रश्न पटसन उद्योग को रियायतें देने के बारे में है। जैसा कि सभा को विदित है कि गत वर्ष के बजट में हमने बोरियों जैसे उनकी पैकिंग और सूत को बांधने पर, जो कि पूर्णतया अप्रतियोगी हो गई हैं, निर्यात शुल्क पर रियायत दी है। हैसियन के निर्यात के मामले में हमें पाकिस्तान से कठोर प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ रही है। अतएव विदेशी मण्डियों में उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिये रियायतें दी गई थीं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निर्यात शुल्क का सम्बन्ध हमारे उत्पादन के प्रतिस्पर्द्धात्मकता से है जिससे कि हमारा निर्यात प्रभावित न हो। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने जूट उद्योग के कार्य संचालन के बारे में चिन्ता प्रकट की है। जैसा कि मैंने पश्चिमी बंगाल सरकार को लिखे पत्र में बताया है कि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि उससे सौहार्दपूर्ण समझौता का रास्ता निकाला जा सके क्योंकि इस सभा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार के उद्योग में अगर हड़ताल होती है तो हमें हर महीने 18 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक विदेशी मुद्रा का नुकसान उठाना पड़ेगा। जब जूट की फसल मण्डी में आती है तो राजकीय व्यापार निगम जूट की कीमतों को और अधिक गिरने से रोकने के लिये मंडी में क्रय के लिए आता है। अतएव हड़ताल का न होना राष्ट्र के हित में होगा। मैं जानता हूं कि श्रमिकों की मांग उचित है। यह विवाद सौहार्द से सुलझाना है। श्रमिक विवादों को सुलझाने के लिये विभिन्न मशीनरी हैं। मेरे सहयोगी श्रम मंत्री महोदय उनको साथ लाने के लिये हर प्रयत्न कर रहे हैं। कल उनकी पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री के साथ बातचीत हुई थी। वे जो कुछ कर सकते हैं, उसको करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनको कलकत्ता जाना चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : मेरे सहयोगी श्रम मंत्री ने इस समस्या को सुलझाने के हर संभावना समझौता, मध्यस्थता का प्रयोग किया है। दुर्भाग्यवश कोई समाधान अभी दिखाई नहीं देता।

मैंने कल यह सुझाव दिया था कि एक समिति को इसकी जांच करनी चाहिए और सम्भवत: एक महीने के अन्दर ही शीघ्र ही कुछ सिफारिशें करनी चाहिए। इससे आसमान नहीं गिरने वाला है। अगर कोई भूतलक्षी प्रभाव पड़ता है तो हम इसकी जांच करेंगे। अगर यह हड़ताल एक-आध महीने के लिये टल जाती है और कोई अच्छा समाधान निकल आता है तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। मैं इस बात से चिन्तित हूं कि हमारी निर्यात आय गिरनी नहीं चाहिए, जूट का व्यापार अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए और उत्पादकों के हितों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं केवल इस तरह का वातावरण बनाना चाहता हूं ताकि हम हड़ताल को टाल सकें

और यथाशीघ्र हम बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण समझौता कर सकें। मैं इसके लिये समूची सभा की सर्वसम्मति और सहयोग चाहता हूं। अतएव यह दलगत मामला नहीं है।

श्री स० कुण्डू : मैं ने विशिष्ट प्रश्न पूछा था ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आगे और प्रश्न नहीं होगा, श्री देवेन सेन।

श्री स० कुण्डू : आपने पहले ही प्रबन्धकों को रियायतें दे दी हैं। कृपया कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा था। उसका उन्होंने उत्तर दे दिया है। कृपया अपनी जगह बैठिये। श्री देवेन सेन

Shri Deven Sen : I want to know whether the letter which was sent to Chief Minister of West Bengal, for making an effort to avert the strike contained the plea not to listen to the demands of workers. If so, then the Hon. Minister may please clarify it.

Whether it is a fact that all the union organizations like I. T. U. C., U. T. C., I. N. T. U. C. have strongly opposed the letter for encouraging the employers not to concede the demands of workers. There is a reserve of crores of rupees in Jute Mills. If the demands of the workers are to be met then there is a need of only 36 crores of rupees and they have this money. May I know whether the Hon. Minister knows that Jute Mills have no money to give 36 crores of rupees. And if they have no money then it is easy to pay Rs. 36 crores from the reserve fund. The employers of Jute Mills spend crores of rupees every year. It comes to more than 50 crores of rupees and they can spend Rs. 36 crores out of it. Does the Hon. Minister think that the Mill owners cannot give Rs. 36 crores from Reserve fund or by rationalization? I want to know whether the Hon. Minister had written a letter asking to avert the strike and not to concede any demands of workers.

Shri B. R. Bhagat : It is not possible that we should write letter asking them to avert the strike and to concede the demands of workers. It was written that this matter should be settled by sitting together and without strike because it involved growers, Foreign Exchange and Export.

As far as the Labour Minister is concerned, he himself invited them for talks. So what the Hon. Member has said that the Jute industry cannot pay is baseless. He called them and conveyed to them the sympathy with the demands of workers, also the employers of Jute Mills were told that the demands of the workers was just. So there is no point of dispute over this question whether the demands of workers are just or not.

The question is that instead of resorting to strike, all the people should solve the question by sitting together so that the production of Jute industry may not be dislocated and all may not suffer and this problem may be settled peacefully. The West Bengal Government is also doing the same thing and talking to both parties. Some time back the Labour Minister called both of them and we asked them to form a committee to settle the matter within a month. And if it is possible then the strike can be averted for a month. It is the suggestion and we are trying to find out some way.

Shri Gunanand Thakur : The so called Industry has, in fact, exploited the poor in the country. During the last twenty to twenty-five years, the Jute Mill-owners paid to the

farmers for their produce in an arbitrary manner. The Government did not give any protection or incentive to the growers and these Jute Mill-owners always made huge profits. Still their contention is that they are not in a position to pay minimum wages to the farmers and workers and the Government have always sided with them. I want to know what the minimum wage is and whether Government propose to pay the difference between the minimum wage and the actual wages being paid to the workers without any delay so that the industry has a smooth sailing ?

May I know the steps being taken to realise the arrears of export duty amounting to about Rs. 45 crores outstanding against these Jute Mill-owners and whether Government propose to nationalise this industry in the interest of workers and if not what are the reasons therefor ?

Shri B. R. Bhagat : So far as the jute growers are concerned, I agree that they did not get reasonable prices. That is why we have constituted a committee under the chairmanship of Hon. my friend Shri Bibhuti Mishra to suggest the reasonable wages for the workers. At the same time I would like to announce that Government have decided to take up state trading in jute industry and ensure payment of reasonable wages to the workers.

उपाध्यक्ष महोदय : जूट उद्योग में संकट के बारे में इसी विषय पर आज शाम साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा है। इस अल्प सूचना प्रश्न पर पहले ही आधा घंटा लग चुका है। अब मैं और कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। अब सभा ध्यान दिलाऊ सूचना लेगी।

श्री नन्दकुमार सोमानी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, you are doing injustice to our party by denying us the opportunity of asking questions. You call communist members and others who are in the habit of misbehaving and obstructing the proceedings. Do you want to run dictatorship here in this fashion ? I rose several times and tried to catch your eye, but you were reluctant to give me an opportunity of asking a question. We will not tolerate this behaviour on your part.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दल-नेताओं से एक बात कहना चाहूंगा। जब वे ऐसे अवसरों पर अपने किसी सदस्य की ओर से बीच बचाव करने आते हैं, यदि वे इस किस्म के बर्ताव के लिये अपने सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते, तो मुझे उनके तथा दल-नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री रंगा : आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा ? मैंने आपको कई बार चेतावनी दी है लेकिन आपने मेरी राय पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप समाजवादी, साम्यवादी तथा पी० एस० पी० के सदस्यों को मौका दे रहे हैं और इस ओर से किसी को मौका नहीं दे रहे हैं.... **(अन्तर्बाधाएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे अपने स्थान से डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं इस तरह उनकी मर्जी के अनुसार नहीं चलूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : You cannot overawe me by staring at me.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि हम इस प्रश्न पर 35 मिनट खर्च कर चुके हैं और मैंने

कांग्रेस बैंचों से किसी सदस्य को नहीं पुकारा है और इसके लिये 40 मिनट का और समय शाम को मिलेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : खड़े हुए ···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी कंवर लाल गुप्त से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय सदस्य पर कुछ नियंत्रण रखें । वे इतनी देर से देख रहे हैं कि वह किस तरह बर्ताव कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर गौर नहीं किया है ।

श्री रंगा : हमने इस सभा में आपके बर्ताव पर गौर कर लिया है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : You cannot overawe me by staring angrily at me. It will not yield good result.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुकमचन्द कछवाय सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, वह सभा छोड़कर बाहर चले जायें ·····

श्री रणधीर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि श्री हुकम चन्द कछवाय को शेष दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

Shri Rabi Ray : Sir, I have a submission to make.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि श्री हुकम चन्द कछवाय को शेष दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

लॉबी खाली करवायी जाये ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, I want to make a request.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर मतदान कराने से पूर्व मैं श्री मधोक की बात सुनना चाहूंगा ।

श्री बलराज मधोक : जो कुछ हुआ है, उसका मुझे बहुत खेद है । जैसे ही मैंने सुना कि सभा में रोष की लहर चल रही है, मैं दौड़कर सभा में आया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । स्पष्ट है कि श्री कछवाय क्रोध में थे । उनका क्रोध उचित था । यह प्रश्न लगभग 40 मिनट से चल रहा है । वह मजदूरों का नेता है । उन्हें भी प्रश्न करने का अधिकार है । अल्प सूचना प्रश्न पर प्रत्येक सदस्य को प्रश्न करने का अधिकार है । यदि किसी व्यक्ति को उसके बार-बार खड़ा होने पर भी मौका नहीं मिलता है, तो उसे दुःख होता है और वह क्रोधित हो जाता है । दस सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े थे । अनेक सदस्य असंतुष्ट हैं । पिछले 10 दिन से हम यह महसूस करते आ र हे हैं कि आपका एक पक्ष की ओर अधिक झुकाव है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

श्री एन० शिवप्पा : इस प्रकार की भावना का पूर्ण औचित्य है । हम स्वयं इस बात को जानते हैं ।

श्री बलराज मधोक : क्या मैं पूछ सकता हूं कि हम इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं । यह एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें एक सदस्य को अत्यन्त दुःख पहुंचा है । हम

अपनी ओर से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु आपने इसी बीच में मतदान का आदेश दे दिया है। आपको मेरी बात सुननी चाहिये थी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्री मधोक सभा में उपस्थित नहीं थे। उन्हें पूरे तथ्यों का पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप एक नई परम्परा बना रहे हैं। मत-विभाजन का आदेश देने के बाद आप मतदान से पहिले चर्चा की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सम्भव होता है हम किसी सदस्य को सभा से बाहर जाने का आदेश नहीं देते हैं। इस विशेष मामले में, मैंने ऐसा किया है। अब भी हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस प्रकार की दुःखद परिस्थिति को कैसे रोका जा सकता है। यह कठोर कार्यवाही करने से पहले मैंने 15 मिनट तक प्रतीक्षा की है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्री मधोक सभा में नहीं थे। इस मामले में, उन सदस्यों को पुकारा गया था जिनके नाम सूची में थे। मैं खड़ा हुआ था और आपने कहा था कि आज सायं साढ़े पांच बजे चर्चा होगी और जो सदस्य इस समय प्रश्न नहीं पूछ सके हैं, वे चर्चा में भाग ले सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : आपने किसी भी सदस्य को, जिसका नाम सूची में नहीं था, मौका नहीं दिया। श्री मधोक का आपके समक्ष यह कहना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, वह एक प्रकार का गतिरोध पैदा कर रहे हैं जिससे हमारे अन्दर रोष उत्पन्न हुआ है। इसीलिये हमारे दल की ओर से एक सदस्य खड़ा हुआ था और उसने कहा कि उनको सभा की कार्यवाही से निलम्बित कर दिया जाय। जैसाकि आपने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको ऐसा आदेश दिया जाय और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य खेद प्रगट करें और आपसे क्षमायाचना करें और इस मामले को इसके बाद समाप्त कर देना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Deputy Speaker, I donot want to cast any aspersion on the Chair and in fact, no member should try to do so. You are right that this question has been going on for the last half an hour. But only four or five members have asked questions. The reason why it took so much time was that the members asked long questions and the Hon. Minister gave long replies. We were not at fault in it. I have been watching for the last 2 years a practice prevailing in this House that members other than those who have tabled short notice question are also allowed to put supplementary questions. No member from my party asked a single question. Since Shri Kachwai works in this sector, he tried to stand several times but you did not allow him. Because of his strong feeling, he said this thing. Shri Madhok tried to pacify him. In the meanwhile, you ordered for voting. This is not fair. We all share your feeling that such things should not happen here. We donot want to see that any kind of aspersion should be cast against the Chair, whatever the behaviour of the Chair might be.

The resolution by any member to suspend a member is not proper. This sort of thing has never happened in the last 2 years. I hope that this thing would be revised because it

does not seem proper. Such types of incidents occur daily. I donot want to go in detail about them. Therefore, I would urge that whatever has happened, it should end there and further proceedings may go on.

उपाध्यक्ष महोदय : इस ओर से यह कहा गया है कि कम से कम माननीय सदस्य खेद तो प्रगट करें। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। मैंने बहुत संकोच के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। मैं जानता हूं कि श्री रणधीर सिंह भी काफी क्रोधित थे।

श्री रणधीर सिंह : मैं इसके लिये उत्सुक नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इन बातों को न दुहरायें कठिनाई यह है कि एक माननीय सदस्य खड़े होते हैं और दूसरे माननीय सदस्य उसमें बाधा डालते हैं। इस पर नियन्त्रण करना कठिन हो जाता है। मेरा सभा के समस्त वर्गों से अनुरोध है। इसमें केवल अध्यक्ष की गरिमा का प्रश्न नहीं है। अपितु इसमें सभा की गरिमा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। मैंने 15 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद बहुत संकोच के साथ यह कदम उठाया था। मेरा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा की प्रतिष्ठा को कायम रखने में मेरी सहायता करें। मिसाल के तौर पर, श्री ठाकुर, श्री दांडेकर के बराबर शिक्षित नहीं हैं। अतः यदि वे थोड़ी सी असंगत बातें कर जातें हैं, तो वह बहुत मुश्किल है। (**अन्तर्बाधा**)

अनेक माननीय सदस्य उठे।

Shri Ramavatar Shastri : You should withdraw these words (**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप बैठ जाइये। उन्होंने वह नहीं सुना है, जो मैंने कहा है। इस मामले में माननीय सदस्य थोड़ा अशिक्षित थे और इसीलिये 20 मिनट लग गये। कृपया मेरी बात सुनें। आप इस घटना की पृष्ठभूमि तथा अन्य बातों पर गौर करें। यदि सभा के सब वर्गों की इस बारे में सहमति है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस आश्वासन पर प्रस्ताव को वापस ले लें।

Shri Randhir Singh : Mr. Deputy Speaker, I have no grievance at all against Shri Kachwai or against his party. I was perturbed because it was an aspersion on you and despite the fact that other members of Jan Sangh tried to pacify him, he did not listen. Only after that in consultation with other friends and with great reluctance, I moved this motion in the House. This episode will lead to good result. We are usually disciplined but the disturbance is there on the other side. We should learn a lesson from it and the Chair must have more and more cooperation in future. Shri Kanwar Lal Ji and other friends have asserted that they have realised it. It is more than enough. There is no doubt in it that the House has been put to great inconvenience and an unprecedented thing was going to take place. We donot want to offend any member. With due respect to my friends and my leader as also the Chair, I want to withdraw my motion.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह समझता हूं कि सभा श्री रणधीर सिंह को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देने के लिये तैयार है।

माननीय सदस्य : जी, हां।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया

The Motion was, by leave, withdrawn

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Deputy Speaker, we wish that the dignity of the Chair should be maintained. I would call upon the Hon. Member to express regret.

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Deputy Speaker, I did not mean anything bad against you. Since when this question was going on, I stood several times. But when I saw that the tradition, which was hitherto followed, was being broken I was highly agitated. I am sorry for my agitated words. I believe in keeping the dignity of the House. I hope that you would give me opportunity for asking questions.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कीनिया में रहने वाले भारतीयों को कीनिया छोड़ने के लिये दिये गये नोटिसों का वापस लिया जाना

*213. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया सरकार ने कीनिया में रहने वाले गैर-नागरिक व्यापारियों को कीनिया छोड़ने के लिये दिये गये नोटिस वापस ले लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश से कीनिया में रहने वाले कितने भारतीयों को लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या इन नोटिसों को वापस लिये जाने से गैर-कीनियाई लोगों के प्रति कीनिया सरकार के रवैये में किसी परिवर्तन का संकेत मिलता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). 1968 में गैर-नागरिक व्यापारियों को जारी किये गये 3762 वार्षिक लाइसैंसों के मुकाबले में, कीनिया सरकार ने 1969 में गैर-नागरिकों को 2670 वार्षिक लाइसैंस जारी किए। इनमें से अधिकांश व्यक्ति एशियाई मूल के हैं। जनवरी 1969 में जिन व्यक्तियों को देश छोड़ने के नोटिस दिये गये थे उनमें से 28 के व्यापार परमिटों की म्याद बढ़ा दी गई है। ऐसा लगता है कि कीनिया सरकार की इस कार्रवाई में दूसरी बातों के अतिरिक्त एक यह इच्छा भी रही है कि ऐसे क्षेत्रों में वाणिज्य में कोई अव्यवस्था न की जाए जिनमें कीनियाई नागरिकों के पास पूंजी अथवा जानकारी की कमी है।

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

*215. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री अदिचन :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर विभिन्न देशों ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इन प्रस्तावों से भारत को किस हद तक लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या विभिन्न देशों द्वारा इन प्रस्तावों को क्रियान्वित किये जाने के बारे में सम्मेलन द्वारा कोई समय-सीमा नियत की गई थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में पारित किये गये प्रस्तावों पर विभिन्न देशों द्वारा की गई कार्यवाही पर जानकारी उनके द्वारा अंकटाड के महासचिव को दी जाती है। इस विषय में अंकटाड के महा-सचिव के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। द्वितीय अंकटाड की सिफारिश की क्रियान्विति की समीक्षा व्यापार तथा विकास बोर्ड के आगामी अधिवेशन में की जायेगी।

(ख) इन प्रस्तावों से भारत को वाणिज्यिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उसकी द्विपक्षीय तथा बहुउद्देशीय वार्ताओं में सामान्यतः सहायता मिली है। वस्तुतः, भारत को हथकरघा, हस्त-शिल्प, ईस्ट इण्डिया किप्स, चाय, काली मिर्च, नारियल जटा का माल तथा सूती वस्त्रों जैसे अपने निर्यात उत्पादों के लिये कुछ विदेशी व्यापारों में प्रवेश के लिये अच्छी शर्तें प्राप्त हो गई हैं। निर्यात संवर्धन कार्यों के लिये और भी अधिक तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है।

(ग) कुछ प्रस्तावों की क्रियान्विति के लिये नियत समय-सीमा अधिकांश मामलों में अभी समाप्त नहीं हुई है। इस विषय पर आगामी बोर्ड अधिवेशन में समीक्षा किये जाने की आशा है।

भारत-रूस व्यापार करार

*216. **श्री रा० बरुआ :**
श्री स० कुन्दू :
श्री नी० रा० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री एम० एस० ओवराय :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह क्या सच है कि भारत और रूस के बीच नया दीर्घावधि करार करने के बारे में बातचीत का पहला दौर जून, 1969 में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर बातचीत की गई थी और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस सम्बन्ध में करार को अन्तिम रूप कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) करार को लगभग 1970 के अन्त तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

विदेशी लोगों को जाली परमिट जारी करना

*217. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री गु० च० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में हाल ही में एक ब्रिटिश राष्ट्रजन इस आरोप पर गिरफ्तार किया गया था कि वह विदेशियों को सिक्किम जाने के लिये जाली परमिट देता था ;

(ख) यदि हां, तो उस ब्रिटिश राष्ट्रजन का नाम क्या है ;

(ग) क्या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्री आर्थर मैलोनी।

(ग) श्री मैलोनी को विदेशी अधिनियम की धारा 14 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत, अपराध करने के लिये, 14-5-1969 को दार्जिलिंग में कठोर कारावास की सजा दी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Loss suffered due to closure of Suez Canal

*218. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the annual loss, in terms of rupees, in trade suffered by India due to the closure of Suez Canal ; and

(b) the scheme being drawn up by Government to make good this loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) It is not possible to estimate accurately the loss, in trade, suffered by India due to the closure of the Suez Canal.

(b) Does not arise

सस्ते रेडियो सेटों का निर्माण

*219. **श्री हिम्मतसिंहका** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सस्ते रेडियो बनाने वाले बड़े कारखानों का उत्पादन सीमित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(c) In the case of two mills for which State Textile Corporations have been appointed as Authorised Controllers, the National Textile Corporation has agreed to provide 51% of the funds required for the running of the mills.

(d) National Textile Corporation will undertake modernisation of the mills for which Authorised Controllers have been appointed after these mills are handed over to the N.T.C. on completion of action under Cotton Textile Companies (Management of Undertaking and Liquidation or Reconstruction) Act, 1967. In the case of mills which are managed in a manner highly detrimental to the textile industry or to public interest, management will be taken over by the Government provided the mills can be run as viable units after reasonable investments. Government will also assist the mills in suitable cases to take advantage of the lowering of margins on advances and term loans, for which instructions have been issued by the Reserve Bank to the scheduled banks. Certain other measures are also under consideration of Government.

रूसी विमान चालकों द्वारा नेफा के ऊपर उड़ान करने से इन्कार

*224. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री रा० वें० नायक :
श्री झा० सुन्दरलाल :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री शारदा नन्द :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हेमराज :
श्री प० मु० सईद :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री बलराज मधोक :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री समर गुह :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वेणी शंकर शर्मा
श्री जय सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विमान चालक ने यह कहकर नेफा पर से एक डाक हैलीकोप्टर की एक परीक्षण उड़ान करने से इन्कार कर दिया कि वह क्षेत्र रूसी नक्शों में चीन का क्षेत्र दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला रूस सरकार की जानकारी में लाया गया है;

(ग) क्या उस हैलीकोप्टर का परीक्षण किसी अन्य स्थान पर किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो विशिष्ट प्रकार के हैलीकोप्टरों के बारे में सरकार की क्या राय है तथाकथित विमान-चालक के आचरण पर रूसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (घ). हाल ही में एक रूसी दल एक एम० आई० 8 हैलीकोप्टर को भारतीय स्थितियों में उसका आंकन परीक्षण करने के लिए लाया था। परीक्षणों के दौरान कई क्षेत्रों के ऊपर हैलीकोप्टर को उड़ाने के लिए वह सहमत नहीं हुए थे। मामला सोवियत अधिकरणों तक पहुंचाया गया था, जिन्होंने कहा था कि ऐसी मिथ्या धारणा के कारण हुआ था, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि रूसी विमान चालकों के हैलीकोप्टरों को

हमारे निदेशों के अनुसार न उड़ाने का कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता था । अभी तक एम० आई०—8 हैलीकोप्टर के चयन का अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

Commission on Prices, Costs and Tariff

*225. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether the proposal to set up a Statutory Commission on Prices, Costs and Tariff has since been considered ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). The recommendation of the Administrative Reforms Commission for setting up of a Statutory Commission on Prices, Costs and Tariff is still being examined in all its aspects.

सिख यात्रियों को 18 मई, 1969 को पाकिस्तान स्थित डेरा साहिब गुरुद्वारा की यात्रा करने के लिए अनुमति का न दिया जाना

*226. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने 18 मई 1969 को डेरा साहिब गुरुद्वारा जाने वाले स्त्रियों तथा बच्चों समेत 50 सिख यात्रियों को पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पाकिस्तानी प्राधिकारियों को कोई विरोध पत्र भेजा गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 17 मई 1969 को, 79 तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि वे सीमा पड़ताल चौकी पर देर से पहुंचे जो उस दिन बन्द हो गई थी ।

(ख) हमने पाकिस्तान सरकार से यह कह दिया है कि इस मामले में तीर्थ यात्रियों के प्रति उन्हें थोड़ा अधिक विचारशील होना चाहिए था ।

(ग) पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय नौसेना का विस्तार

*227. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी नौसेना पुराने ढंग की है और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है;

(ख) क्या हिन्द महासागर से ब्रिटेन के हट जाने के कारण भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो नौसेना के विस्तार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय नौसेना की आवश्यकताएं उसके, देश की मेरिटाईम रक्षा में कर्तव्यों से संबंधित हैं ।

(ग) सरकार नौसेना के आधुनिकीकरण और उसे सशक्त बनाने के लिये कई पग उठा चुकी है । मुख्यतः इन पगों में शामिल हैं नए पोतों की प्राप्ति, फ्रिगेटों, सुरंगविध्वंसकों, सागर गामिनी रक्षा नौकाओं, टगों तथा अन्य सहायक पोतों का भारत में निर्माण और एक पनडुब्बी पक्ष की स्थापना ।

कपड़ा मिलों संबंधी समिति

*228. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री जि० मो० बिस्वास :

श्री जनार्दनन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों के सुव्यवस्थित मिलों में विलय के बारे में मनुभाई शाह समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). सुव्यवस्थित मिलों के साथ संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के विलय में निहित परिणामों की जांच करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है । दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार

*229. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार के बारे में 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय के

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गये सुझावों पर भारत सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है ।

ताशकंद करार में गोपनीय खण्ड

*230. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर के बारे में ताशकन्द करार में उल्लिखित किसी गोपनीय खण्ड के बारे में, जिसका श्री भुट्टो ने रहस्योद्घाटन करने की धमकी दी है, विदेशी समाचार-पत्रों में छपे समाचारों को देखा है;

(ख) यदि हां, तो तथाकथित गोपनीय खण्ड का सार क्या है जैसा कि विदेशी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ताशकंद करार में ऐसे किसी गोपनीय खण्ड के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से इन्कार करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 'संडे टेलिग्राफ' ने 2 मार्च, 1969 के अपने अंक में यह कहा है कि ताशकंद घोषणा के एक गुप्त प्रोतोकोल की व्यवस्थाओं के अंतर्गत, भारत और पाकिस्तान, दोनों 1970 से काश्मीर में यथास्थिति को स्वीकार करेंगे और दोनों देश अपने-अपने यहां फौंजें कम करने के लिए कई चरणों में पूरा होने वाला एक कार्यक्रम तैयार करेंगे ।

(ग) ताशकंद घोषणा में कोई गुप्त धाराएं नहीं हैं ।

भुवनेश्वर में अमरीकी सूचना सेवा कार्यालय

*231. **डा० रानेन सेन** :
श्री बेधर बेहेरा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित अमरीकी दूतावास ने केन्द्र को पूर्व सूचना दिये बिना भुवनेश्वर में अमरीकी सूचना सेवा कार्यालय खोलने के लिये उड़ीसा राज्य सरकार से सीधे बातचीत की थी और उससे अनुमति मांगी थी ;

(ख) क्या इस दूतावास ने भुवनेश्वर में अपना सूचना केन्द्र खोलने की केन्द्र से अब औपचारिक अनुमति मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बाद में उन्होंने विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि इस समय गुंटूर में उनका जो पुस्तकालय है जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, उसे उन्हें भुवनेश्वर ले जाने की अनुमति दे दी जाये।

(ग) इसकी इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि भारत सरकार का यह निर्णय है कि सूचना और दूसरे केन्द्र ऐसे शहरों में स्थापित न किये जाएं जिनमें सम्बद्ध देशों के राजनयिक अथवा कोंसली मिशन न हों।

भारत-बर्मा व्यापार

*232. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने भारत के साथ अपने व्यापार में सुधार करने के लिये इस वर्ष ठोस कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). प्रधान मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में भारत की प्रधान मंत्री तथा बर्मा संघ की क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि दोनों देशों के बीच व्यापार के और अधिक विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है और उन्होंने पारस्परिक व्यापार तथा वाणिज्य बढ़ाने के लिये अपनी-अपनी सरकारों की दृढ़ इच्छा व्यक्त की।

इसके अनुसरण में दोनों सरकारें उन मदों, जिनके व्यापार का विस्तार किया जा सकता है, पर अलग-अलग विचार कर रही हैं।

पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यापार का विस्तार

*233. **श्री ओंकार सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर व्यापार अभियान आरम्भ करने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं ;

(ख) नई दिल्ली में हाल में हुई राजदूतों की बैठक में इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ;

(ग) उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) क्या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का विचार उद्योगपतियों का विश्वास प्राप्त करने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार इन देशों को निर्यात बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, संयुक्त उद्यम तथा परामर्श सेवाएं देने का एक तीव्र

अभियान आयोजित कर रही है। इन देशों में से कई देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार करार हैं और इन करारों के अतिरिक्त यथावश्यक अन्य करार करने के प्रयत्न किये जाते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ हम व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का विनिमय कर रहे हैं और अध्ययन तथा विक्रय दल प्रतिनियुक्त किये गये हैं तथा बाजार सर्वेक्षण किये गये हैं और व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया गया है। भारतीय उद्योगपतियों द्वारा इन देशों में उद्योगों की स्थापना को सुकर बनाने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। भारत, अफ्रीकी आर्थिक आयोग के कार्य चालन में भी मूलतः इस उद्देश्य से रुचि ले रहा है जिससे कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ हो सकें। इस क्षेत्र में हमारे विदेशी मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के सम्मेलन द्वारा मई, 1969 में लिये गये विभिन्न विनिश्चयों पर हमारे सम्बन्धित मिशनों की सलाह से कार्यवाही की जा रही है।

(घ) जी हां।

Naga Problem

*234. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken during the last three months to solve the problem of the hostile Nagas ;

(b) the activities of the hostile Nagas which came to light during the above period ;

(c) the number of hostile Nagas, among those who have returned from China and Pakistan after equipping them with arms, who have surrendered themselves and the details of arms surrendered by them ;

(d) the number of such Nagas who have not surrendered so far and the nature of action being taken in this regard ; and

(e) the scheme proposed to be implemented to bring normalcy in Nagaland?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). After the General Elections in February this year, the new Government in Nagaland have taken effective steps to enforce their writ throughout the State. Men in the Underground have been coming forward in increasing numbers to surrender to the Civil Administration and the Security Forces. The villagers have been resisting the unlawful activities of the Underground who are finding it increasingly difficult to extort food, money and recruits from the villages. The constant vigilance of the Security Forces has foiled attempts by the Underground to send gangs outside Nagaland.

(c) Between January, 1965 and the 15th June, 1969, 1,872 Naga hostiles including some of those trained in arms in China and Pakistan surrendered to the Security Forces.

The surrendered weapons include mortars, rocket launchers, light machine guns, automatic-rifles, sub-machine guns and pistols.

(d) The number of Nagas still underground could be 6,000 or so. The Security Forces of the Government of Nagaland are vigilant in the matter.

(e) Government of Nagaland continue to take effective measures against the unlawful activities of the Underground and provide full support to the law abiding citizens. All administrative centres have now adequate security and/or police forces to protect their areas. Government of Nagaland are considering measures for the rehabilitation of the Underground Nagas who abandon unlawful activities and wish to settle down to peaceful vocations.

सेना में सेवा-निवृत्ति आयु

*235. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962 के पश्चात बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण कार्याविधि सम्बन्धी नियमों की क्रियान्विति में कुछ विषमतायें आ गई हैं और क्या उनकी जांच की गई है ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में सेना अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ाने का सरकार ने विचार किया है अथवा उपरोक्त आयु को बढ़ाने का उसका विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Aeronautics Committee's Report

*236. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Aeronautics Committee has laid emphasis on the improved technology of aeroplanes for changing the present equipment of the Indian Air Force;

(b) whether it is a fact that the new aeroplanes like S.U.-7 and MIG-21 interceptors etc., procured by the Indian Air Force have almost become outdated ;

(c) whether it is also a fact that MIG-21 planes are good only for high altitude interception mission;

(d) whether it is further a fact that HF-24 plane is unsuitable for defence activities ;

(c) If the reply to parts (a) to (d) above be in the affirmative, whether Government consider the manufacture of the said aeroplanes as a costly affair ; and

(f) if so, whether Government propose to manufacture and to obtain multi-role-strike planes of Swing-wing type which may be useful for interception and strike as well as for re-connaissance ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (f). A summary of the recommendations of the Aeronautics Committee was placed on the Table of the Lok Sabha on 15-5-1969. The Aeronautics Committee has recommended the manufacture of improved versions of the HF-24 and MIG-21 aircraft. Development of improved versions of aircraft in service and their manufacture on completion of development are a normal feature. The new types of aircraft, procured for the Indian Air Force including HF-24 are not outdated and are suitable for the roles allotted to them. The manufacturing costs of advanced technology aircraft are high, but they are justified by the Defence requirement. The assessment of the Aeronautics Committee is that the manufacture of the Swing-wing type of aircraft would be beyond the capability of our Industry in India for a number of years.

निपुण शिल्पियों को पेंशन-लाभ

*237. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 26 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निपुण शिल्पियों को पेंशन-लाभ देने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। योजना पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मोटर कारों का निर्यात

*238. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से भारत मोटर कारों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कारों तथा माडलों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को उनका निर्यात किया गया ;

(ग) इन कारों का किस मूल्य पर निर्यात किया गया ; और

(घ) क्या कारों का निर्यात करने के लिये कार निर्माताओं को सरकार राजसहायता दे रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). 'मोटर कार' यह पद बहुत व्यापक है और इसमें यात्री कारें, जीपें, नई तथा पुरानी कारें आदि शामिल हैं। सभी प्रकार की मोटर कारों के निर्यात को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1434/69]**

(घ) वर्तमान नीति के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों को निर्यात के जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत की नकद सहायता दी जाती है। मोटे तौर पर सहायता का उद्देश्य निर्माताओं द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में दिये गये शुल्कों, करों तथा स्थानीय करों का मुआवजा देना है।

यूनाइटेड प्राविंसेज कर्मशियल कारपोरेशन से रोडरोलरों की खरीद

*239. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड प्राविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन से रोडरोलरों की खरीद के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई जांच के आधार पर मुअत्तिल किये गये अधिकारियों के पदनाम तथा नाम क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में जिन अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोग चलाये गये हैं उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) उस समय के सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसने काम के निरीक्षण के प्रमाण-पत्र पर 90 प्रतिशत पेशगी के भुगतान के लिये आदेश दिये थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) (1) श्री एस० बी० दत्त, निरीक्षण अधिकारी, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय।

(2) श्री टी० के० विस्वास, भण्डार परीक्षक, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय।

(ख) (1) श्री एच० ए० रोमर, निरीक्षण अधिकारी, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय।

(2) श्री एस० बी० दत्त, निरीक्षण अधिकारी, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय।

(ग) मामला विचाराधीन है।

दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर का पाकिस्तान भाग जाना

*240. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 971 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के एक इंजीनियर द्वारा 10,000 रुपये का गबन करके पाकिस्तान भाग जाने के बारे में पाकिस्तान सरकार को लिखे गए पत्र पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : इस मामले में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त को दो स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी उनसे अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पोलैण्ड को रेल के माल डिब्बों की सप्लाई

1401. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेल के माल डिब्बों की सप्लाई के लिये पोलैण्ड से एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य निर्धारित किया जा चुका है और क्या मूल्य में कुछ रियायत दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह पता लगाने का है कि मूल्य में कोई रियायत नहीं दी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने पोलैण्ड के कोलमैक्स के साथ 500 रेल के माल डिब्बों की पूर्ति के लिए एक संविदा की है ।

(ख) तथा (ग). संविदाकारी पक्षों के बीच डिब्बों का मूल्य तय हो गया है । यह एक ऐसा औद्योगिक उत्पाद है कि जिसके विदेशी बाजारों में प्रवेश कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये सरकार ने विपणन प्रतियोगिता क्षमता और प्रतियोगी निर्यात-उत्पादन का निर्माण करने के लिये उपयुक्त सहायता दी है ।

दालों का निर्यात

1402. **श्री कृ० मा० कौशिक :**

श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में दालों की मांग है ;

(ख) यदि हां, तो कब से उनका निर्यात किया जा रहा है ;

(ग) वर्ष 1966 से 1969 तक कितना निर्यात हुआ है ;

(घ) क्या विपणन समिति ही एकमात्र निर्यात अभिकर्ता है ; और

(ङ) क्या सरकार एकाधिकार के विरुद्ध है ; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दालों के निर्यात व्यापार पर किसी भी तरह के प्रतिबन्ध न रखने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) सही-सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु इनका निर्यात काफी समय से किया जा रहा है ।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें 1966 से 1969 तक का दलहन का निर्यात दिखाया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1435/69]

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) एकाधिकार की वांछनीयता प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर करती है । इस समय निर्यात (नियंत्रण) आदेश के क्षेत्र से दलहन को निकालने का सरकार का विचार नहीं है ।

तमिलनाडु में चमड़े के व्यापारियों से आयात लाइसेंसों के खरीदे जाने का समाचार

1403. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और दिल्ली के उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सिंगापुर, कुवैत, अदन और तेहरान से घटिया किस्म की खाल और चमड़ा खरीदने के लिये तमिलनाडु के कुछ चमड़े के व्यापारियों से आयात लाइसेंस खरीदे हैं ;

(ख) उन चमड़ा व्यापारियों के क्या नाम हैं जिन्होंने प्रीमियम पर लाइसेंस बेचे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) प्रत्येक व्यापारी या फर्म द्वारा कितनी कीमत के लाइसेंस खरीदे गये और कुल कितनी कीमत का माल आयात किया गया और इस घोटाले में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(घ) क्या निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत अन्य माल के आयात के बारे में इसी प्रकार के अपराधों का पता लगा है ; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और किस प्रकार के अपराध किये गये ; और

(ङ) सरकार ने लाइसेंसों का दुरुपयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). विवरण एक तथा दो (अंग्रेजी में) संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 1436/69]

(ग) ब्योरा निम्नांकित प्रकार है :

(रुपयों में)

मामले की संख्या (विवरण 1 के अनुसार)	आयात लाइसेंसों का मूल्य	भेजी गई राशि	आयातित माल का मूल्य	विदेशी मुद्रा में हानि
1	1,13,85,685	1,14,00,000	50,000	1,13,50,000
2	4,67,046	4,60,907	21,500	4,39,407
3	39,63,306	34,01,531	30,000	33,71,531
4	1,77,817	1,70,000	2,000	1,68,000

(घ) जी, हां । निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत कृत्रिम रेशमी धागे, हाथी दांत, सिलेण्डरों आदि के आयात सम्बन्धी 36 मामलों का पता लगा है ।

(ङ) आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत इसके लिये उपयुक्त व्यवस्था की गई है, जिसमें धारा 5 के अन्तर्गत अधिनियम के किसी प्रकार भी उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की सजा दी जा सकती है तथा साथ ही जुर्माना भी किया जा सकता है ।

अधिनियम के अन्तर्गत निकाले गये आयात नियंत्रण आदेश तथा निर्यात नियंत्रण आदेश में भी दण्डात्मक कार्यवाही के लिये व्यवस्था है ।

अफगानिस्तान को विमानों से माल भेजना

1404. **श्री हेमराज :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान को जाने वाले स्थल-मार्ग बन्द कर दिये जाने के कारण अफगानिस्तान को रियायती दरों पर विमान द्वारा माल भेजने के प्रस्ताव के बारे में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : हवाई जहाज से रियायती दरों पर भारतीय माल अफगानिस्तान पहुंचाने के प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार सम्बन्धी प्रतिवेदन

1405. **श्री हेमराज :** क्या **प्रधान मंत्री** 19 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). 19 फरवरी, 1969 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर में जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले देशों की यात्रा

1406. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि अपने कर्मचारियों सहित विभिन्न देशों की, जिनमें अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले देश भी शामिल हैं ; यात्रा कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले देशों की भी यात्रा की अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) किसी मुख्य मंत्री या उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों या उनके कर्मचारियों ने ऐसे किसी भी देश की यात्रा नहीं की है जिसे हम बैरी समझते हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय प्रव्रजकों का ब्रिटेन में अवैध प्रवेश

1408. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो या तीन वर्षों में तस्करों की नावों में इंगलिश चैनल पार करके बहुत से भारतीय लोग ब्रिटेन में प्रवेश कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब के दस ग्रामवासी जो हाल में चोरी छिपे ब्रिटेन में घुस गये थे, लन्दन के एक न्यायालय द्वारा दण्ड दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने कुछ जालसाजों को प्रति पारपत्र 5,500 रुपये दिये थे ; और

(घ) क्या कारण है कि जब ऐसे लोग भारत से जाते हैं तो उनके जाली पारपत्रों पर कड़ी निगरानी क्यों नहीं रखी जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । पिछले तीन वर्षों में इंगलिश चैनल को पार करके और दूसरे रास्तों से चोरी-छिपे यूनाइटेड किंगडम में घुसने की कोशिश करने के लिए 28 भारतीय राष्ट्रिक पकड़े गए थे ।

(ख) और (ग). डोरसैट कोस्ट पर अनधिकृत रूप से उतरने के लिए दस भारतीय गिरफ्तार किये गये थे । जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया था । इस सिलसिले में उक्त दस व्यक्तियों को गैर-कानूनी ढंग से उस देश में लाने की साजिश करने के लिए ब्रिटेन के तीन नागरिकों को 19-5-1969 को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी । आप्रवास अधिकारियों द्वारा पूछ-ताछ किए जाने पर, बताया जाता है कि, इन दस भारतीयों ने उन्हें बताया कि यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश का इंतजाम कराने के लिए उन्हें भारत में 'एजेंटों' को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी थी ।

(घ) ये लोग वैध भारतीय पासपोर्ट लेकर भारत से रवाना हुए थे लेकिन उन्होंने यूनाइटेड किंगडम प्राधिकारियों से प्राप्त प्रवेश परमिट प्राप्त नहीं किये थे ।

भारतीय प्रव्रजकों का ब्रिटेन में अवैध प्रवेश

1409. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में गत तीन वर्षों में कितने अवैध भारतीय आप्रवासी पकड़े गये तथा दोषी पाये गये ; और

(ख) ब्रिटेन में भारतीयों के अवैध आप्रवास को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में कुल तीस भारतीय चोरी छिपे यूनाइटेड किंगडम में घुसने की कोशिश में पकड़े गये थे। उनमें से चौबीस उद्वासित किए जा चुके हैं। शेष छह में से चार को उद्वासित करने का प्रबन्ध किया जा चुका है। दो पर अभी कानूनी अदालत में मुकदमा चल रहा है।

(ख) जो लोग यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं उन्हें एक सरकारी परिपत्र के अन्तर्गत सावधान कर दिया गया है कि वे यूनाइटेड किंगडम के भारत-स्थित हाई कमीशन से प्रवेश-पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

पड़ोसी देशों के साथ राज्य क्षेत्र के संबंध में झगड़े

1410. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ भारत के राज्य क्षेत्र सम्बन्धी झगड़े अभी हल नहीं हुए हैं ; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). किसी भी देश के साथ भारत का क्षेत्रीय विवाद नहीं है। हमारी सीमाएं सुनिश्चित हैं और हमें उनकी जानकारी है। परन्तु अपनी सीमाओं के कुछ भागों का रेखांकन/सीमांकन करना बाकी रह जाता है।

इंगलैंड में नागालैंड के डाक टिकट का परिचालन

1411. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड डाक टिकट संग्रह सोसायटी नामक एक संस्था द्वारा इंगलैंड में पृथक नागालैंड के डाक टिकटों को परिचालित किया जा रहा है ; और

(ख) क्या उपर्युक्त सोसायटी का छिपे नागाओं से कोई संबंध है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) लंदन की एक फर्म जिसने अपना नाम नागालैंड फिलेटैलिक एजेंसी रख रखा है ऐसे लेबल बेचती रही है जो देखने में नागालैंड की टिकट सी लगती है। लंदन स्थित अपने हाई कमिश्नर और नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के जरिये हमने ब्रिटेन की सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

इन टिकटों की कोई कानूनी वैधता नहीं है और इन्हें डाक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह के लेबलों का मुद्रण, जिनकी टिकट के रूप में कोई कानूनी वैधता नहीं है, टिकट संग्रह के व्यापार में सीधे-सादे संग्रह-कर्ताओं को असली टिकटों के भ्रम में डालकर धन कमाना कोई असाधारण बात नहीं है। अच्छी साख वाले व्यापारी ऐसी नकली चीजें नहीं बेचते। इसी मामले में यूनाइटेड किंगडम के एक स्थानीय प्राधिकरण को एक सजग नागरिक से इन लेबलों के झूठा होने के विषय में शिकायत मिली है और वे इस बारे में पूछ-ताछ कर रहे हैं।

इस सिलसिले में माननीय सदस्य का ध्यान राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 215 दिनांक 8 मई, 1969 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(ख) हो सकता है कि इन टिकटों के छापने और बेचने में फिजो और उसके साथियों का हाथ हो।

फरक्का बांध के बारे में भारत-पाक वार्ता

1412. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी : **डा० रानेन सेन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1969 में फरक्का बांध के बारे में इस्लामाबाद में हुई बातचीत में पाकिस्तान सरकार के साथ कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सचिव स्तर पर भारत-पाकिस्तान की दूसरी बैठक इस्लामाबाद में मार्च, 1969 में हुई थी। इन बैठकों का उद्देश्य तकनीकी विचार-विमर्श द्वारा हुई प्रगति का पुनरीक्षण करना और पूर्वी नदियों के संबंध में तकनीकी स्तर पर बातचीत को सत्वर बनाने के लिये कार्य प्रणाली स्थापित करना है। गंगा-जल सम्बन्धी करार का प्रश्न इन बैठकों के क्षेत्र से परे हैं।

अपंग सैनिकों के लिये कल्याण केन्द्र

1413. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1969 में अपंग सैनिकों के लिए कोई केन्द्र खोला गया था और यदि हां, तो किस स्थान पर ;

(ख) केन्द्र के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) क्या अपंग सैनिकों के लाभ के लिए सभी राज्यों में ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा ऐसा कोई केन्द्र नहीं खोला गया है, तदपि पैराप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों के व्यवसायिक

प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र पूना में किरकी के क्वीन मेरी तकनीकी स्कूल के एक अनुभाग के तौर पर मई 1969 में स्थापित किया गया था। यह बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रबन्ध में एक निजी संस्था है और हमारे नियोग्य सैनिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं जुटाता है।

(ग) सभी राज्यों में ऐसे केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है। तदपि, व्यवसायिक प्रशिक्षण निम्न यूनिटों में दिया जाता है।

आर्टिफिशल लिम्ब सेंटर पूरा।

सैनिक हस्पताल औंध।

सैनिक हस्पताल नानकुम।

सैनिक हस्पताल किरकी।

इन यूनिटों में दिए गए प्रशिक्षण का उद्देश्य है :

क. विनष्ट पेशी शक्ति-जोड़ों की गति के बहाल करने के लिए उपचार के अंश के तौर पर ;

ख. मनोवैज्ञानिक पुनरावास के अंश के तौर पर ; और

ग. नियोग्य सैनिक में कोई लाभकर पेशा चुनने के लिए रुचि पैदा करना कि जिसे सेवा से डिस्चार्ज के पश्चात् वह अपना सके।

टेप रिकार्डर, रेडियो रिसीवर आदि बनाने के लाइसेंस

1414. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेप रिकार्ड रेडियो रिसीवर और ऐसी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिये अधिक लाइसेंस न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन वस्तुओं की मांग पूरी करने के लिये वर्तमान कारखानों की क्षमता पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मांग को किस तरह पूरा करने का सरकार का इरादा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). रेडियो रिसीवर, टेप रिकार्डर, रिकार्ड प्लेयर आदि की अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस देने पर कोई रोक नहीं है।

टेलीविजन रिसीवरों की अतिरिक्त क्षमता के लिये इस समय लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली और श्रीनगर की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 30,000 सेटों की वार्षिक लाइसेंसशुदा क्षमता को पर्याप्त समझा जाता है। देश के अन्य शहरों में जब नये टेलीविजन केन्द्र स्थापित कर दिये जायेंगे तो अधिक उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस दे दिये जायेंगे।

कांग्रेस संसदीय दल के चुनाव में सरकारी लेखन सामग्री का प्रयोग

1415. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मई, 1969 के 'सनडे स्टैन्डर्ड' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि राज्य स्तर के एक मंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी के चुनाव में अपनी पसन्द के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार में सरकारी लेखन सामग्री प्रयोग की थी ;

(ख) यदि हां, तो जिस मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है, उसका नाम क्या है और इसकी जांच के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सम्बन्धित मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पूछताछ से पता चला है कि किसी मंत्री ने इस उद्देश्य के लिए सरकारी लेखन सामग्री का उपयोग नहीं किया । परन्तु, ऐसा हुआ कि एक राज्य मंत्री द्वारा अपने दल के साथियों के नाम प्राइवेट लेखन-सामग्री पर लिखे गए और प्राइवेट लिफाफों में रखे गए कुछ पत्र उनके कार्यालय में असावधानी से, सरकारी मुहर लगा कर बंद किए गए । जैसे ही मंत्री महोदय को इसका पता चला उन्होंने इस भूल के लिए, जो कि उनके कार्यालय में छोटे स्तर पर हुई थी, प्रधान-मंत्री से खेद प्रकट किया ।

भारत द्वारा जनेवा में हुए नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेना

1416. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ : **श्री स० कुण्दू :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जनेवा में हाल में हुए नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने सम्मेलन में क्या विचार रखे; और

(ग) क्या अन्य देशों की प्रतिक्रिया इनके पक्ष में थी और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि ने पिछले अधिवेशन में जो बयान दिए थे, वे सदन की मेज पर रख दिए गए हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1437/69]**

(ग) निरस्त्रीकरण के सवाल पर अब भी विचार हो रहा है। भारत के विचारों का आमतौर से स्वागत हुआ है।

निर्यात हकदारी/प्रोत्साहन सम्बन्धी दावों का निपटारा

1417. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन से पूर्व किये गये करारों पर रुपये के अवमूल्यन सम्बन्धी निर्यात प्रोत्साहन योजना की समाप्ति के कारण, जिससे अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात पर कुप्रभाव पड़ा है, उत्पन्न हुए निर्यात लाभ/हकदारी/प्रोत्साहन आदि से सम्बन्धित सभी विवादों/दावों/शिकायतों को निपटाया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी उपरोक्त अनिर्णीत शिकायतों की संख्या कितनी है तथा अवमूल्यन के बाद तीन वर्षों में भी उनका निपटारा न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सभी शिकायतों का निपटारा कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). अवमूल्यन के समय निर्यात संवर्धन योजना के वापिस लिये जाने के परिणामस्वरूप कतिपय अन्तर्वर्ती समस्याएं उठीं और उन पर की गई कार्यवाही निम्नोक्त है :

1. 6-6-1966 **से पूर्व किये गये निर्यात जिनके भुगतान भी** 6-6-1966 **से पूर्व प्राप्त हो गए थे :**

   अवमूल्यन पूर्व योजना के अन्तर्गत अनुदेय आयात हकदारी तथा नकद सहायता दी गई :

2. 6-6-1966 **से पूर्व किये गये निर्यात परन्तु जिनके भुगतान** 6-6-1966 **को अथवा उसके बाद प्राप्त हुए :**

   अवमूल्यन पूर्व योजनाओं के अन्तर्गत अनुमेय आयात हकदारियां दी गईं। नकद सहायता नहीं दी गई। चूंकि यह समझा गया कि निर्यातकों को प्राप्त हुई $57\frac{1}{2}$ प्रतिशत अतिरिक्त रुपये की राशि पहले प्राप्य नकद सहायता की कमी पूरी करने के लिये पर्याप्त है।

कतिपय ऐसे मामले भी हैं जहां यद्यपि निर्यातकों को अवमूल्यन के उपरान्त भुगतान प्राप्त हुआ तथापि उन्हें विनिमय की अधिक अनुकूल दर का लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि :

(1) या तो उन्होंने बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा अगाऊ सौदे वाली संविदाएं की हैं (विदेशी मुद्रा का अग्रिम क्रय करके),

(2) अथवा निर्यातकों को भुगतान रुपये की पूर्व सम दर पर हुआ लेकिन सौदा कराने वाले बैंकों को रुपये की अवमूल्यन उपरान्त की सम दर का लाभ प्राप्त हुआ। इन मामलों में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

वर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों की सम्पत्ति का देश में लाया जाना

1418. **श्री सेझियान :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्मा से वापस स्वदेश लौटे भारतीयों की वर्मा में छोड़ी गई आस्तियों को भारत वापस लाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : इस मामले पर दोनों देशों की सरकारें विचार कर रही हैं। प्रधान मंत्री की हाल की रंगून-यात्रा के दौरान इस पर विचार-विमर्श हुआ था। बर्मा सरकार ने इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से देखने का वायदा किया है।

पर्वतारोहण एककों को हटाकर अन्यत्र ले जाना

1419. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यनकट भविष्य में कुछ पर्वतारोहण एककों को हटाकर गुड़गांव (हरियाणा) ले जाने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). रक्षा मंत्रालय दारजिलिंग और उत्तर काशी के पर्वतारोहण संस्थाओं से संबंधित है। उनमें से किसी के भी स्थानान्तरण की कोई योजना नहीं है।

इसरायल के साथ व्यापार करार

1420. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा इसरायल के बीच कोई व्यापार करार हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने भारत तथा इसरायल के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन दो देशों के बीच कितना व्यापार हुआ है ; और

(घ) क्या इस व्यापार के बढ़ने की सम्भावना है और यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत की गैर-सरकारी पार्टियों को इजरायल के साथ मुक्तरूप से व्यापार करने की अनुमति है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों में दोनों देशों के व्यापार का परिणाम निम्नलिखित है :

(लाख रु०)

वर्ष	इजरायल से आयात	इजरायल को निर्यात
1966-67	20	7
1967-68	7	11
1968-69	15	29

(घ) यह इजरायल के साथ व्यापार करने वाली पार्टियों के प्रयत्नों पर निर्भर रहेगा ।

Kutch Award

1421. **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri Hardayal Devgun:
Shri Jai Singh:
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri Meetha Lal Meena:
Shri Balraj Madhok:
Shri Yashwant Singh Kushwah:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Bhogendra Jha:
Shri B. K. Das Chowdhury:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Suraj Bhan:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Ranjeet Singh:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Jugal Mondal:
Shri S. K. Tapuriah:
Shri Tulsidas Dasappa:
Shri Beni Shanker Sharma:
Shri Abdul Ghani Dar:
Shri Chengalraya Naidu:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the work of demarcation of boundary in the Rann of Kutch has been completed ;

(b) whether it is also a fact that this work has been completed before schedule ;

(c) if so, the details thereof, the total number of boundary pillars, the total area of land to be handed over to Pakistan and the date by which this land is proposed to be formally transferred to Pakistan ;

(d) whether it is further a fact that the actual area that has gone to Pakistan as a result of this demarcation is something more than what was visualised in the Kutch Award ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). The demarcation of the boundary as awarded by the Kutch Tribunal has been completed on schedule.

(c) A total of 847 boundary pillars has been erected over a length of 408 kilometres.

The area of land which fell to Pakistan is about 320 sq. miles.

The personnel of the two countries moved to their respective sides of the boundary on the mid-night of 5th/6th July, 1969.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला जोरहाट

1422. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला ने चाय के चूरे और काफी से कैफीन निकालने की वाणिज्यिक प्रतिक्रियाएं तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा जोरहाट प्रयोगशाला द्वारा तैयार की गई नई प्रक्रिया द्वारा चाय के चूरे और काफी का प्रयोग करके कैफीन उत्पन्न करने का एक संयंत्र लगाने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । किन्तु क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया (1) मै० असम फर्मा, गोहाटी तथा (2) श्री सुच्चा सिंह, सिलीगुड़ी नामक दो फर्मों के सुपुर्द कर दी गई है । दोनों में से किसी भी फर्म ने अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है ।

चाय उद्योग में रोजगार

1423. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के चाय उद्योग में रोजगार बहुत कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चाय बागानों की व्यवस्था सुधर जाने से रोजगार में कमी आई है ;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार में कमी आने के कारणों का पता लगाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देने के लिये सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) चाय उद्योग में रोजगार में कुछ कमी आई है ।

(ख) यह कमी पूर्णतः युक्तिकरण के उपायों के कारण हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । युक्तिकरण उपायों, बेहतर संगठन, कर्मचारियों में कार्यभार के पुनर्समायोजन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृति के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों के न भरे जाने का इसमें योग है ।

(ग) जी, नहीं। हाल ही में नहीं। बागानों में रोजगार के प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये सरकार ने वर्ष 1964 में तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में एक सदस्यीय तथ्य अन्वेषण समिति की नियुक्ति की थी जिसने सितम्बर, 1965 में अपना प्रतिवेदन दे दिया था।

(घ) चूंकि चाय उद्योग में रोजगार कम होने के कारणों में छंटनी नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता।

नेस-चाय

1424. **श्री महन्त दिग्विजयनाथ :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेस-केफे ही की भांति देश में नेस-चाय के उत्पादन के बारे में भी विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो जिस स्थान पर नेस-चाय बनाने के लिये कारखाने की स्थापना की जायेगी उसका नाम क्या है ;

(ग) कारखाना कब तक उत्पादन करना प्रारम्भ कर देगा ;

(घ) इससे कितनी स्थानीय मांग की पूर्ति होने की सम्भावना है ;

(ङ) क्या इस नेस-चाय का निर्यात भी किया जायेगा ; और

(च) यदि हां, तो जिन देशों में इसका निर्यात किया जायेगा, उनके नाम क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु दो फर्में पहले से ही तुरन्त-तैयार चाय का उत्पादन कर रही हैं।

(ख) तुरन्त-तैयार चाय बनाने वाले कारखानें जल हाली (बंगलौर) तथा चोलाडी (नीलगिरी) में स्थित हैं।

(ग) दोनों कारखानें उत्पादन कर रहे हैं।

(घ) तथा (ङ). तुरन्त-तैयार चाय का सभी उत्पादन निर्यात करने के लिये है।

(च) तुरन्त-तैयार चाय का निर्यात, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका तथा स्विट्जरलैण्ड को किया जा रहा है।

हांगकांग में भारतीय सप्ताह मनाना

1425. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :** **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री प० मु० सईद : **श्री झा० सुन्दर लाल**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री बलराज मधोक : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **विदेशी व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत के वैदेशिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये

मई, 1969 में हांगकांग में भारतीय सप्ताह मनाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समय-समय पर सुझाव दिये गये हैं कि हांगकांग में एक स्थायी भारतीय वस्तु भण्डार (एम्पोरियम) खोला जाये ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सप्ताह आयोजित करने से प्राप्त हुआ अनुभव को दृष्टि में रखते हुये इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जी, हां । वर्ष 1966 में दो सुझाव प्राप्त हुये थे जिन पर उस समय विदेशी मुद्रा की जटिल स्थिति के कारण आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी । एक वस्तु भण्डार (एम्पोरियम) की स्थापना के बारे में एक नया प्रस्ताव अब विचाराधीन है और हाल ही में संगठित भारतीय सप्ताह में प्राप्त अनुभव तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए, अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

चीन और नेपाल के बीच व्यापार

1426. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन और नैपाल के बीच हुए उस करार की ओर दिलाया गया है जिसके अन्तर्गत नेपाल चीन से दो करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का आयात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त करार के अन्तर्गत नेपाल द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में सरकार को पता है ;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों के साथ इन वस्तुओं का व्यापार करने में समर्थ है ;

(घ) क्या नेपाल के साथ इन वस्तुओं का व्यापार करने के बारे में कोई प्रयास किये गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) पता चला है कि इस करार के अन्तर्गत नेपाल चीन से उपभोक्ता वस्तुएं, औद्योगिक कच्चा माल, ट्रैक्टर तथा पूंजीगत माल का आयात कर सकता है ।

(ग) से (ङ). प्रश्न का यह आशय प्रतीत होता है कि भारत इसी प्रकार की वस्तुओं का

सम्भरण कर सकता है या नहीं । भारत ऐसी वस्तुओं के सम्भरण करने के योग्य है और नेपाल के साथ व्यापार में विविधता लाने और उसे बढ़ाने के लिये सतत प्रयास किये जाते हैं । 1968-69 में नेपाल को 24.7 करोड़ रु० के माल का निर्यात किया गया जब कि इसकी तुलना में 1965-66 में, 19.17 करोड़ रु० के माल का ही निर्यात किया गया था ।

Films Produced Showing Acts of Bravery of Indian Soldiers during First and Second World Wars

1427. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of films depicting extraordinary valour and courage displayed by the Indian Soldiers and Army Officers in First and Second World Wars and subsequent Wars ;

(b) their comparative position vis-a-vis films of other countries ; and

(c) the proposal for the future in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Information to the extent available is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The matter is being examined.

Barooah Committee's Report on Tea Industry

1428. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Himatsingka :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ram Avtar Shastri :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the main recommendations of the Barooah Committee on Tea Industry ;

(b) the decisions taken by the Government thereon ; and

(c) the steps taken for their implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). The recommendations made by the Borooah Committee on Tea Industry are under examination. The report of the Committee and the Government's decisions on the recommendations will be made known as soon as possible.

Recommendations made by Mahajan Committee regarding Award of Degrees to NDA Students

1429. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of Mahajan Committee on awarding

Graduate Degree to the students passing out of the National Defence Academy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). The National Defence Academy Syllabus Revision Committee under the Chairmanship of D.G.S. Mahajani has completed its deliberations and its report is expected to be available in August, 1969.

Scheduled Tribes Research Institutes

1430. **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Suraj Bhan :
Shri D.C. Sharma :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has constituted a Study Team to go into the functions and working of Scheduled Tribes Research Institutes ; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). A Study Team on the functions and working of Tribal Research Institutes is being constituted by the Planning Commission.

दलाई लामा के नेपाल से निष्कासित प्रतिनिधि को राजनैतिक आश्रय प्रदान करना

1431. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री राम चरण :
श्री दे० अमात :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री रा० वे० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० की० अमीन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री द० रा० परमार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल सरकार ने काठमांडू में दलाई लामा के प्रतिनिधि श्री सार्ज को हाल में नेपाल से निकाल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने नेपाल सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ;

(ग) यदि नेपाल सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो उसका ब्योरा क्या है और

नेपाल सरकार की इस कार्यवाही पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या दलाई लामा के प्रतिनिधि को राजनीतिक शरण दी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबर अखबार में देखी है कि नेपाल के प्राधिकारियों ने श्री सेरगा नाम के एक तिब्बती राष्ट्रिक को नेपाल से चले जाने के लिए कहा था। यह मामला नेपाल के घरेलू क्षेत्राधिकार का है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वायु सेना द्वारा लड़ाकू विमानों का प्रयोग

1432. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री दे० अमात :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री रा० वें० नायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना द्वारा इस समय प्रयोग में लाए जा रहे अनेक लड़ाकू विमानों के स्थान पर एक ही किस्म के लड़ाकू विमान रखने की प्रक्रिया वायुसेना द्वारा आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) यदि इस बारे में कोई रूपरेखा तैयार की गई है तो उसका ब्योरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। लड़ाका विमानों की अनेकता समाप्त करने की प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई है। वेम्पायर और तूफानी दोनों पहले से ही स्क्वाड्रन से निकल चुके हैं।

(ख) तथा (ग). और अधिक विस्तार देना वांछनीय नहीं है।

अणु बम का निर्माण

1433. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री अदिचन :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक तथा नवीनतम तरीकों से अणुबम बनाने में अनुमानत: कितनी लागत आती है ;

(ख) क्या यह सच है कि अणु बम बनाने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों के पास आवश्यक योग्यता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों में कार्य कर रहे कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के पास अणु बम बनाने की आवश्यक योग्यता तथा अनुभव है ; और

(घ) क्या अणु बम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इस लक्ष्य के कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञों की एक विशेष समिति ने इस पहलू का अध्ययन किया है तथा सन् 1968 में प्रकाशित की गई इस समिति की रिपोर्ट की एक प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) से (घ). भारतीय वैज्ञानिकों को परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से सम्बन्धित तकनीक तथा विज्ञान की अच्छी जानकारी है । जहां तक सरकार की परमाणु नीति का सम्बन्ध है, वह समय-समय पर इस सदन में स्पष्टरूप से बताई जा चुकी है ।

कागज का निर्यात

1434. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री अजमल खां :**
श्री मीठालाल मीना : **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966; 1967; 1968 तथा 1969 के दौरान कितने कागज का निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या था ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में कागज के निर्यात से आय में वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्यातकों को कोई विशेष बढ़ावा अथवा प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे वे देश के लिये और अधिक विदेशी मुद्रा का उपार्जन कर सकें ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1438/69]

(ख) जी, हां ।

(ग) शुल्क वापसी के अतिरिक्त कागज के पंजीकृत निर्यातकों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है ।

राजकीय व्यापार निगम के कार्य की समीक्षा समिति

1435. **श्री श्रीधरन :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री क० लकप्पा : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समीक्षा समिति ने राजकीय व्यापार निगम के सम्बन्ध में

सरकार को अब अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

छोटे पैमाने पर रबर की खेती करने वालों के सम्बन्ध में अब्दुल्ला समिति का प्रतिवेदन

1436. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 23 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती करने वालों के बारे में अब्दुल्ला समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है और इस पर यथा-शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

माडल वूलन मिल्स, बम्बई

1437. **श्री ए० श्रीधरन :**

डा० सुशीला नैयर :

श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 23 अप्रैल, 1969 के माडल वूलन मिल्स, बम्बई, के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1262 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच माडल वूलन मिल्स, बम्बई, को वर्सटड धागा दिये जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

1438. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1968 को शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स द्वारा 46.50 लाख रुपए मूलधन और 9.58 लाख रुपये व्याज के रूप में सरकार को दिये जाने थे ; और

(ख) यदि हां, तो जिस समय ऋण दिया गया था, उस समय जो प्रभारी निदेशक थे, उनसे मूलधन और ब्याज की कुल राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). वर्ष 1952-53 तथा 1953-54 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० शोलापुर को पुनःऋण दिये जाने के लिये महाराष्ट्र सरकार को 46.50 लाख रु० का ऋण दिया था। 1964 में कम्पनी दिवालिया हो गई और राज्य सरकार के निवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने 1965 में यह निश्चय किया कि उसे 1962 के बाद व्याज देने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने यह बात भी स्वीकार की कि 31-3-62 तक बकाया ब्याज राशि की वसूली के लिये भी दबाव नहीं डाला जायेगा और यह निश्चय किया कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को उतनी ही राशि देगी जितनी कि उसे कम्पनी के परिसमापनकर्ताओं से प्राप्त होगी। अतः उपरोक्त राशि की वसूली उस राशि पर निर्भर करती है जो परिसमापनकर्ता, जिसने अभी तक सम्पत्ति का निपटान नहीं किया है, परिसमापनकर्ताओं के निपटान से राज्य सरकार को प्राप्त होगी।

Manufacture of Jet Aeroplanes

1439. **Shri Ram Charan :**
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have made an announcement about its capacity to manufacture a jet aeroplane having more speed ;

(b) if so, the total cost involved in manufacturing the said plane ; and

(c) when it would be manufactured ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) The development of a new military aircraft with a higher speed and performance to meet the future requirements of the Air Force is under consideration.

(b) and (c). The proposal is still in preliminary stages of study, and no assessment of cost has been made.

भारत-अमरीका व्यापार

1440. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश मंत्री, श्री विलियम रोजर्स ने उस वर्ष मई में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान भारत अमरीकी व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न मामलों, विशेषकर भारत से सूती कपड़े के आयात पर लगे प्रतिबन्धों पर भारत सरकार से विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनसे किन विशिष्ट मामलों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस बातचीत के फलस्वरूप भारत और अमरीका के बीच 1969-70 में कितना व्यापार होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) मई, 1969 में अमरीका के विदेश मंत्री श्री विलियम रोजर्स की यात्रा के अवसर पर अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय व्यापार वार्ता नहीं हुई। किन्तु, वार्ता के दौरान व्यापार से सम्बन्धित कतिपय सामान्य बातों का संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया गया था।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन

1441. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कलकत्ता में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने हो रहे निरन्तर प्रदर्शनों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के एक मंत्री प्रदर्शनकारियों में थे ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने ये जो आरोप लगाये हैं कि पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है और कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप उच्चायोग के अहाते का

उल्लंघन किया गया और सम्बन्धित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया, उनका खण्डन किया गया है । पाकिस्तान सरकार को यह बतलाया गया है कि पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है और सम्बन्धित अधिकारियों ने पाकिस्तानी उप उच्चायोग के अहाते की सुरक्षा के लिये यथोचित उपाय किये ।

काश्मीर प्रश्न पर ईरान का पाकिस्तान को समर्थन

1442. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ईरान के प्रधान मंत्री की तीन दिन की पाकिस्तान की सरकारी यात्रा के बाद 16 मई, 1969 को रावलपिंडी में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में पाकिस्तान और ईरान ने काश्मीर के लोगों के आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) काश्मीर के सम्बन्ध में भारत की स्थिति सर्व विदित है और पाकिस्तान के दावे तथा घोषणाएं तथा उसके समर्थक इस स्थिति को नहीं बदल सकते कि काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है । काश्मीर में केवल उस विवाद का समाधान किया जाना है जो पाकिस्तान द्वारा काश्मीर राज्य के एक हिस्से को अवैध रूप से अधिकृत किये जाने के कारण उत्पन्न हुआ है । यह ईरान सरकार को बता दिया गया है ।

भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया जाना

1443. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री अदिचन :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री अजमल खां :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मीठालाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री शंकरानन्द :
श्री स० अ० अगडी :
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों सम्बन्धी भारतीय परिषद् छः बड़े अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लिये जाने का प्रबन्ध कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये मेले किन देशों में किस-किस तारीख को होंगे ; और

(ग) इन मेलों में भाग लिये जाने पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) जग्रेब (युगोस्लाविया) 11 से 21 सितम्बर, 1969 तक।
बर्लिन (प० जर्मनी) 19 से 28 सितम्बर, 1969 तक।
सिडनी (आस्ट्रेलिया) 16 से 25 अक्तूबर, 1969 तक।
फ्रेंकफर्ट (प० जर्मनी) 22 से 26 फरवरी, 1970 तक।
लिपजिग (जर्मन संघीय गणराज्य) 1 से 10 मार्च, 1970 तक।
त्रिपोली (लिबिया) फरवरी-मार्च 1970 (वास्तविक तिथि अभी निश्चित करनी है।)

(ग) 17.35 लाख रु०।

नाइजीरिया को निर्यात

1444. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों को कहा गया है कि वे नाइजीरिया को माल न भेजें ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1969 में अब तक नाइजीरिया को कुल कितना माल भेजा जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। फिर भी उन्हें वे मदें, जो नाइजीरिया में आयात लाइसेंसिंग के अधीन हैं, तब तक निर्यात न करने की सलाह दी गई है जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाये कि अपेक्षित लाइसेंस जारी कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1969 (जनवरी-अप्रैल) के दौरान भारत से नाइजीरिया को 69 लाख रु० मूल्य के निर्यात किये गये।

अमरीका को सूती कपड़े का निर्यात

1445. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई मिल संघ ने अमरीकी सरकार से अनुरोध किया है कि भारत से सूती कपड़े के आयात पर लगे हुए वर्तमान प्रतिबन्धों में ढील कर दी जाये ;

(ख) क्या सरकार ने अमरीकी सरकार से इस मामले पर बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है भारतीय रुई मिल संघ ने अमरीकी सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग). अमरीकी सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही की वार्ता के दौरान भारत से अमरीका में सूती कपड़े के आयातों पर शुल्क प्रतिबन्धों में ढील करने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। अमरीकी सरकार की ओर से यह कहा गया कि वे इस मामले पर अमरीकी व्यापार नीति के अनुरूप विचार करेंगे।

तारापुर परमाणु बिजलीघर

1446. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है ;

(ख) क्या तारापुर बिजलीघर द्वारा उत्पादित बिजली की लागत के बारे में अन्तिम रूप से हिसाब लगा लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मार्च 1969 तक तारापुर बिजलीघर के निर्माण-कार्य पर 62 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे।

(ख) और (ग). जब तारापुर बिजलीघर में व्यावसायिक स्तर पर बिजली का उत्पादन होने लगेगा तब उसका मूल्य 5.61 पैसे प्रति किलोवाट घंटे होगा।

जबलपुर में प्रतिरक्षा संस्थान में रद्दी धातु

1447. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में प्रतिरक्षा संस्थानों में अभ्रक ड्रौस, कौपर बोरिंग आदि बहुत-सा रद्दी माल पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कैसे बेचा जाता है ;

(ग) क्या यह रद्दी आसपास के क्षेत्रों के छोटे कारखानों को बेची जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। जबलपुर के रक्षा संस्थानों में जस्त धावन तांबे के बोरिंग जैसे कतरन द्रव्य साधारणतः पैदा होते रहते हैं।

(ख) कतरन द्रव्यों का आम नीलामी या विस्तृत प्रचार के पश्चात् घोषित किए गए टेण्डरों द्वारा निपटारा किया जाता है।

(ग) और (घ). किया गया विस्तृत प्रचार कतरनों में रुचि रखने वालों सभी को बोली देने—अपने उल्लेख भेजने में अवसर प्रदान करता है।

उड़ीसा में मछली पकड़ने का पत्तन

1448. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मछली पकड़ने के लिये पत्तन एवं समस्त समुद्री उत्पादनों में वृद्धि से सम्बन्धित वैदेशिक व्यापार के भारतीय संस्थान के विशेषज्ञों के दल की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का इस व्यय को संयुक्त रूप से पूरा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). अभी तक विशेषज्ञ दल से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विमानों के पुर्जे

1449. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानों के पुर्जों की आवश्यकताओं के गलत अनुमान के कारण सरकार को बहुत हानि होती है;

(ख) क्या वायु-सेना मुख्यालय में इसकी जांच-पड़ताल और कड़ी कर दी गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). वैमानिक फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने में विभिन्न संगत तथ्यों को सामने रखा जाता है। अपूर्व दृश्य कारणों से तदपि ऐसे मामले हो जाते हैं कि जहां कुछ निर्धारण सीमन्ततः से अधिक गलत निकले। ऐसे मामलों में अतिरिक्त सामानों की राशि बहुत कम है, जब उनकी प्राप्त किए जाने वाले सामानों की कुल राशि से तुलना की जाती है। समय-समय पर प्राप्त हुए अनुभव को सामने रखते हुए प्रोविजनिंग अफसर को सलाह-निदेश जारी किए जाते हैं।

पाकिस्तान को रूसी शस्त्रों के सम्भरण के बारे में रूस के प्रधान मंत्री से बातचीत

1450. **श्री रा० कृ० सिंह :**

श्री जार्ज फरनेन्डीज :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन की मई के प्रथम सप्ताह में दिल्ली यात्रा के दौरान रूस द्वारा पाकिस्तान को दिये जा रहे शस्त्र सम्भरण के प्रश्न पर उनसे बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने इस बारे में कोई आश्वासन दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान को सोवियत रूस द्वारा हथियार देने के संबंध में, भारत के दृष्टिकोण से इस अवसर पर अध्यक्ष कोसीगिन को फिर अवगत करा दिया गया था। अध्यक्ष कोसीगिन ने प्रधान मंत्री को यह सूचना दी कि भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए उन्हें हथियार नहीं दिए गए हैं और पाकिस्तान को ऐसा करने भी नहीं दिया जाएगा।

फैजाबाद में स्टेडियम का निर्माण

1451. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फैजाबाद में एक स्टेडियम के निर्माण के लिए एक लाख रुपया नियत किया है और छावनी अधिकारियों को उसके लिए भूमि देने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). रक्षा मंत्रालय को किसी ऐसे आवंटन का ज्ञान नहीं है। तदपि, जुलाई 1967 में फैजाबाद डिवीजन के कमिश्नर ने जी० ओ० सी० केन्द्रीय कमान को सूचित किया था, कि यू० पी० खेल परिषद ने फैजाबाद क्षेत्र के लिए 1.5 लाख रुपये का अनुदान स्वीकार किया था, और वह भारत सरकार से खेल के मैदान की लागत के आधे का दावा करने योग्य होंगे, यदि क्षेत्रीय खेल मैदान का निर्माण किया गया, और उन्होंने फैजाबाद छावनी से रक्षा भूमि के 6 से 8 एकड़ की ग्रांट के लिए प्रार्थना की थी। जनरल आफिसर ने डिवीजन के कमिश्नर को सूचित किया था कि फैजाबाद की रक्षा भूमि रक्षा आवश्यकताओं के लिए ही अपर्याप्त थी, और कि वांछित क्षेत्र इसलिए नहीं दिया जा सकता।

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सामान गिराने के लिए सेना की सहायता के लिए प्रार्थना

1452. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में माल भेजने के लिए राज्य सरकार ने सेना से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो दी गई सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या ये सुविधाएं उपलब्ध की जाती रहेंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों को मुख्यत: पानी पहुंचाने के लिए सेना की सहायता मांगी थी । सेना ने 40 3-टन गाड़ियां प्राप्य की थीं, जिनमें 20 पानी के टैंकों सहित थीं । राज्य सरकार की प्रार्थना पर दी गई सहायता 31 जुलाई, 1969 तक जारी रखी जा रही है ।

भारतीय ईसाइयों को पाकिस्तान जाने के लिये वीजा देना

1453. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** :

श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित सम्पादक के नाम पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त ने वीजा देने से इन्कार कर दिया क्योंकि आवेदनकर्ता ईसाई थे;

(ख) क्या किसी विदेशी सरकार द्वारा धर्म के आधार पर वीजा जारी किये जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो भारत सरकार ने इस बात की जांच की है कि पाकिस्तान सरकार ऐसा क्यों कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ). इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक विभागों का पुनर्गठन

1454. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1969 में हुए भारतीय राजदूतों के सम्मेलन के निर्णय के अनुसार सरकार

ने विदेशों में भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक विभागों में व्यापार तथा उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों को नियुक्त कर उन्हें सुदृढ़ करने की कोई कार्यवाही की है ताकि प्रत्येक दूतावास विदेशों में देश के व्यापार और संयुक्त उपक्रमों में ठीक योगदान दे सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान अवस्था में दूतावासों से अन्य देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने, वहां अधिक माल बेचने और तकनीकी जानकारी देने की कैसे आशा की जा सकती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका क्षेत्र के मिशनों के प्रमुखों के सम्मेलन में ऐसा कोई विशिष्ट निश्चय नहीं किया गया कि विदेशों में हमारे दूतावासों के वाणिज्यिक विभागों को सुदृढ़ बनाया जाये अथवा उनमें व्यापार तथा उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही हमारे वाणिज्यिक विभाग, जिनमें वाणिज्यिक प्रतिनिधि तथा आवश्यक संख्या में कर्मचारी वर्ग शामिल हैं, विश्व के अनेक प्रमुख शहरों में विभिन्न नामों से विद्यमान रहे हैं। इन विभागों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता की निरंतर समीक्षा की जाती है। इन पदों पर कार्य करने के लिए चुने गये प्राधिकारियों को समय-समय पर वाणिज्यिक तथा आर्थिक मामलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों का प्रमुख कार्य हमारे व्यापार के संवर्धन तथा विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की सहायता करना है।

पाकिस्तान को भारतीय माल का पुनः निर्यात

1455. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि भारत से कुछ अन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले माल में से कुछ माल उन देशों द्वारा पाकिस्तान को पुनः निर्यात कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). पड़ोसी देशों में से एक देश से पाकिस्तान को चाय का पुनर्निर्यात किये जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देश की सरकार के साथ बातचीत की गई थी परन्तु उन्होंने इस बात से इंकार किया कि इस बात का कोई भी आधार है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में काम करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार

1456. **श्री अदिचन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थल सेनाध्यक्ष का वैज्ञानिक सलाहकार जीवशास्त्री हैं।

वायु सेनाध्यक्ष के वैज्ञानिक सलाहकार को विमान विद्या की कोई जानकारी नहीं है तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार मूल रूप से वर्णक्रमदर्श-विज्ञानी (स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट) है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक कनिष्ठ वैज्ञानिक को, जो मूल रूप से एक काष्ठ-रासायनिक है, मुख्य वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन वैज्ञानिकों की नियुक्ति उनकी विशेषज्ञता के अनुसार न किए जाने अथवा दूसरे शब्दों में इन पदों पर उचित वैज्ञानिक न रखे जाने के क्या कारण हैं तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) : सेनाध्यक्षों और कमानों के वैज्ञानिक सलाहकारों के मुख्य कर्तव्यों का चार्टर इस प्रकार है :

1. सेवाओं की वैज्ञानिक तथा तकनीकी समस्याओं की पहचान और निरूपण में सहायता देना ।
2. आर० तथा डी० संगठन और दूसरी उपयुक्त संस्थाओं के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सम्पर्क बनाए रखना ।
3. अधिकतर प्रगत देशों में सैनिक विज्ञान में समकालीन वैज्ञानिक-तकनीकी विकास का अध्ययन करना और जो मामले महत्वयुक्त हों उन्हें सेवाओं के ध्यान में लाना ।
4. ऐसी समस्याएं कि जिनका सशस्त्र सेनाओं को सामना करना पड़े वैज्ञानिक सलाहकारों को भेजी जाती हैं, जो उनके हल के लिए आगे आर० तथा डी० मुख्यालय से सलाह करते हैं । विज्ञान के किसी पक्ष या टेक्नालोजी में प्रशिक्षित व्यक्ति जो तत्व वीक्षण्य की शक्ति वाला तथा वैज्ञानिक रुचि रखता हो सेवाध्यक्षों और सेना कमांडरों के वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर सन्तोष-जनक तौर पर काम कर सकता है । इस बात को सामने रखते हुए वायु सेनाध्यक्ष के वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर किसी बायोलोजिस्ट की नियुक्ति व्यवस्थित थी ।

रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार मूलतः एक भौतिक शास्त्री होता है । स्पेक्ट्रोस्कोपी पर उनका विशिष्ट कार्य अन्तर्राष्ट्र तौर पर मान्य है । उनका व्यवसायिक स्तर का अन्दाजा समय-समय पर उन्हें सौंपे गए निम्न कार्यों से लगाया जा सकता है ।

(1) विज्ञानों की भारतीय अकादमी का फाऊंडेशन फैलो ।

(2) विज्ञानों के राष्ट्रीय संस्थान, भारत का फैलो ।

(3) कृषि विज्ञान के लिए भारतीय एसोसिएशन का फैलो ।

(4) 1948-49 में भारतीय उच्चायुक्त का वैज्ञानिक सलाहकार ।

(5) 1952—57 तक उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद का उपकुलपति ।

(6) 1957—61 तक विज्ञान के भारतीय संस्थान, बंगलौर का डाइरेक्टर ।

(ख) मुख्य वैज्ञानिक की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में मूल आवश्यकता है विज्ञान की किसी शाखा में उच्च शिक्षा 'विशेषता और कम से कम 5 वर्षों के लिए उत्तरदायी क्षमता में प्रशासनिक अनुभव की । उपयुक्त उम्मीदवार के अभाव के कारण यह स्थान कई वर्षों से रिक्त था । यू० पी० एस० सी० हाल ही में एक उपयुक्त अफसर चुन पाने में सफल हुए हैं। जो वैज्ञानिक चुना गया है स्फोटकों तथा डिनोटेशन को फिजिक्स और केमिस्ट्री में विशेष प्रशिक्षण सहित, फिजिकल कमिस्ट्री उसकी विशेषता है ।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम एशिया पर भारतीय नीति की आलोचना

1457. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री गु० च० नायक :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री दे० अमात :
श्री बलराज मधोक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इसरायली विदेश मंत्री श्री अब्बा इवान के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम एशिया में शांति की सम्भावना अधिक अच्छी होती यदि भारत ने गत दो दशाब्दियों के दौरान पश्चिम एशिया के देशों की ओर अधिक संतुलित नीति अपनाई होती ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । सरकार ने इस सम्बन्ध में अखबारी खबरें देखी हैं ।

(ख) पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में भारत की नीति अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और साथ ही भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत ने जो आधार लिया है वह संतुलित और वास्तविक है ।

पटसन मिलों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

1458. **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० रानेन सेन :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य में पटसन मिलों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि पटसन मिलों को पुनः खोला जाए और सरकार द्वारा उन्हें अपने हाथ में लिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल में पटसन के श्रमिकों के प्रतिनिधियों से, सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें बन्द पटसन मिलों को पुनः चालू कर तथा अधिकार में लेने की मांग की गई हो। फिर भी श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने समय-समय पर पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के विचारार्थ भेजे गए अभ्यावेदनों में यह अनुरोध किया है कि सरकार या तो प्रबन्धकों को बन्द मिलों के पुनः चालू करने के लिए मजबूर करे या वह उन्हें अपने अधिकार में लेकर चालू करे। पश्चिम बंगाल में फिलहाल किसी भी पटसन मिल को अधिकार में लेने की कोई सम्भावना नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल में संसद सदस्यों के चयन का मानदण्ड

1459. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र संघ में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल में संसद सदस्यों का चयन करने का क्या मानदण्ड है ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे गए प्रतिनिधिमण्डलों में अब तक कुल कितने संसद सदस्य भेजे गए हैं ;

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे गए प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के रूप में अनुसूचित जातियों के कुल कितने सदस्य भेजे गए ; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के रूप में अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने सदस्य भेजे गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके फलस्वरूप, मुख्य मानदण्ड यह होता है कि प्रतिनिधिमण्डल सरकार की नीतियों से सहमत हो। अन्य मानदण्डों में यह बात भी शामिल है कि सम्बन्धित प्रतिनिधिमण्डलों में यह योग्यता हो कि वे सरकार की नीतियों का उचित रूप से निरूपण कर सके।

(ख) 74

(ग) और (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय दे दी जायगी।

भारत-नेपाल व्यापार

1461. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : **श्री दे० अमात** :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री जे० के० चौधरी** :
श्री सीता राम केसरी : **श्री गु० च० नायक** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक वक्तव्य के अनुसार

नेपाल सरकार ने भारत तथा नेपाल के बीच अधिक अच्छे व्यापार की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या नेपाल ने भारत से अधिक व्यापार सुविधायें भी मांगी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) इस सम्बन्ध में नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए ऐसे किसी वक्तव्य का सरकार को कोई पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). नेपाल सरकार ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मांगी हैं जो प्रधानतः भारत के मार्ग से व्यापार के परिवहन से सम्बद्ध हैं । इस विषय पर तथा अन्य मामलों पर शीघ्र ही व्यापार प्रबन्धकों का पुनरीक्षण करने के लिए दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक में चर्चा की जाएगी ।

रुई के निर्यात में कमी

1461. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा विदेशों को निर्यात की जा रही रुई की किस्म में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है जिसके परिणामस्वरूप हमारे निर्यात लक्ष्यों में कमी आती जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रुई के निर्यात की नीति में परिवर्तन

1462. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अगले वर्ष के लिए रुई के निर्यात की नीति में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रूस को केले का निर्यात

1463. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर बन्द हो जाने से रूस को किए जाने वाले केले के निर्यात पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के साथ कोई बातचीत आरम्भ की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली की योजना की वित्त सम्बन्धी आवश्यकता

1464. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा दिल्ली प्रशासन की योजना की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं में क्षेत्रवार कितनी-कितनी कमी की गई है ; और

(ख) क्या दिल्ली के नगरीय विकास की अविलम्बनीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) यह समय समय पर संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करेगा ।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना—दिल्ली

(लाख रुपये)

	दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
1	2	3
1. कृषि कार्यक्रम	426.34	276.49
2. सहकार और सामुदायिक विकास	32.81	78.00
3. सिंचाई और बिजली	9578.16	4819.00
4. उद्योग व खनन	577.00	474.50
5. परिवहन और संचार	4536.09	2078.00
6. समाज सेवायें	23398.59	7783.63
7. विविध	229.14	55.03
कुल जोड़	38778.13	15564.65

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण संस्था

1465. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकसन योजना तथा एन० एल० एफ० योजना दोनों में ही वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण संस्था संस्थापित करना शामिल है ; और

(ख) क्या भारत ने दोनों ओर कोई ऐसे रचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनसे राजनीतिक समझौता करने के लिये रास्ता खुल सकता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ये प्रस्ताव एक अगला कदम है और ये स्वयं शान्तिपूर्ण समझौते के लिये बातचीत का आधार बन सकते हैं । हम राजनयिक माध्यमों से दोनों पक्षों के सम्पर्क में हैं ।

जाम्बिया के लिये भारतीय शस्त्रास्त्र सहायता

1466. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोडेशिया की सशस्त्र सेवाओं से जम्बिया पर आक्रमण का विशेष खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो इयान स्मिथ के अवैध शासन के विरुद्ध जाम्बिया को सामग्री तथा नैतिक सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). दक्षिण रोडेशिया में गैर-कानूनी शासन का प्रश्न पहले ही संयुक्त राष्ट्र में पेश है और उसने दक्षिण रोडेशिया में सैनिक जवाब से उस क्षेत्र के स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के लिये उत्पन्न खतरे पर चिंता व्यक्त की है। जंबिया के खिलाफ गैर-कानूनी स्मिथ सरकार की आक्रमण की किसी भी कार्रवाई से संयुक्त राष्ट्र का ध्यान उस ओर जायगा ही और उस पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्रवाई की जायगी, क्योंकि जाम्बिया संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।

जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भारत तथा नेपाल के बीच सहयोग

1467. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेपाल में जल विद्युत परियोजनायें स्थापित करने में पारस्परिक सहयोग की सम्भावना पर सरकार ने नेपाल सरकार से बातचीत की है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं से भारत तथा नेपाल की अर्थ व्यवस्था को सहायता मिलेगी ; और

(ग) क्या सरकार का इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). जी हां। नेपाल में भारत और नेपाल के सम्मिलित सहयोग से पन बिजली परियोजनाएं चालू करने का प्रश्न दोनों देशों की सरकारों के विचाराधीन रहा है।

भारत सरकार कोसी और गंडक पर काफी बड़ी पन-बिजली परियोजनाएं शुरू कर रही है और दूसरी सम्भव पन-बिजली योजनाओं में सहयोग करने पर विचार करने के लिए भी तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि इन सब परियोजनाओं से नेपाल और भारत, दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं के विकास में सहायता मिलेगी।

गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड

1468. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड की स्थापना का उद्देश्य तथा उसके लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं अथवा नहीं ;

(ख) क्या उत्पादन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट विवरण के अनुसार है और क्या इसकी लागत अथवा उत्पादन न्यूनाधिक विदेशी फर्मों जैसी है ;

(ग) 1965 से ऐसी कौन-सी मदों का उत्पादन किया जा रहा है जो पहले आयात की जा रही थीं तथा प्रत्येक मद का पिछले वर्ष उत्पादन कितना था ;

(घ) क्या इस कम्पनी के प्रमुख अधिकारियों में गत वर्ष कोई परिवर्तन किया गया था और यदि हां, तो क्या ;

(ङ) अब कार्य कर रहे चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं और वे कब से इन पदों पर हैं ; और

(च) पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1968-69 में लाभ तथा हानि, विक्रय, लक्ष्य और स्टाक आदि के बारे में आंकड़े क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड 1890 से बनी हुई है। इसको ब्रिटिश नौवहन समवायों के एक ग्रुप द्वारा मरम्मत यार्ड के रूप में स्थापित किया गया था और इसको 1934 में लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। सरकार ने अप्रैल, 1960 में इस कम्पनी को एक चालू कम्पनी के रूप में खरीद लिया था। कम्पनी के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

(ख) उत्पादन की किस्म की अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना की जा सकती है। संरचना मूल्य विदेशी मूल्यों की तुलना में कम है परन्तु काम की अन्य मदों की लागत अधिक है।

(ग) 1965 से रोड रोलरो और एयर कम्प्रेसरों का निर्यात आरम्भ कर दिया गया है। ऐसे उपकरणों की देश की आवश्यकता का कुछ भाग आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। 1968-69 में दिये गये उपरोक्त उपकरणों का मूल्य तथा उनकी मात्रा नीचे दी गई है :

विवरण	मात्रा	मूल्य लाख रुपयों में
रोड रोलर्ज	30	15.00
एयर कम्प्रेसर	25	9.63

बड़ी क्षमता के समुद्रीय डीजल इन्जनों का निर्माण कार्य 1970 के आरम्भ में शुरू हो जायगा। सेना के रिकवरी उपकरणों की निर्माण क्षमता हाल में स्थापित की गई है।

(घ) गत वर्ष के दौरान कुछ कार्यकारी पदों अर्थात चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ङ) 24-9-1963 से श्री बी० बी० घोष चेयरमैन हैं। श्री एस० सुन्दर राजन 30-12-1964 से प्रबन्धक निदेशक हैं और श्री एस० राजाराव 31-3-1969 से कम्पनी के सचिव हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों और 1968-69 में लाभ, हानि तथा उत्पादन आदि के

तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
				लाखों में
उत्पादन लक्ष्य ...	480.79	455.40	972.00	762.00
उत्पादन मूल्य ..	368.44	481.94	628.56	675.00
बिक्री (स्केल की बिक्री सहित) ..	319.89	369.79	656.25	628.45
कर से पूर्व लाभ ..	35.33	42.34	64.58	56.44
कर के बाद लाभ ..	19.33	19.34	26.08	31.74
अंतशेष भण्डार ..	112.27	187.69	215.71	182.57
चल रहे कार्य ..	201.56	313.57	285.82	333.06
लाभांश ..	6.00 (6 प्रतिशत)	8.40 (7 प्रतिशत)	10.50 (7 प्रतिशत)	17.50 (7 प्रतिशत) प्रस्तावित

निर्यात सम्बन्धी नीति

1469. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **विदेशी व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यात सम्बन्धी नीति में कई त्रुटियों के परिणामस्वरूप कुछ पार्टियां विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनियमिततायें करती हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि निर्यात सम्बन्धी नीति के अंतर्गत आयात की जाने वाली कई वस्तुयें देश में बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं ;

(ग) क्या सरकार मछली, सिले सिलाये कपड़ों तथा कृत्रिम आभूषणों के निर्यात के बदले में हाथी दांत के कार्ड, आर्ट कार्ड तथा आर्ट पेपर के आयात को अनुमति देती है ; और

(घ) यदि हां, तो इन मदों के लिये आयात लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का मामले की जांच कराने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क)जी नहीं।

(ख) निर्यात उत्पादन के लिये उन वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी जाती है जिनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में अथवा उपयुक्त कोटि का नहीं होता।

(ग) सुखायी हुई मछली को छोड़कर, मछली तथा मछली के उत्पादों के निर्यात के आधार पर कार्टनों तथा वेजीटेबल पार्चमेंट का आयात करने की अनुमति दी जाती है। सिले सिलाये कपड़ों में निर्यात के आधार पर आइवरी बोर्ड, आर्ट बोर्ड तथा आर्ट पेपर का आयात करने की अनुमति है। कृत्रिम आभूषणों के निर्यात के आधार पर कागज तथा गत्ते की किसी भी मद का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निर्यात उत्पादों की बेहतर पैकिंग की दृष्टि से डिब्बों के पैकिंग के माल के आयात की अनुमति देना आवश्यक समझा जाता है। अतः सरकार द्वारा इस मामले की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना

1470. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री एम० एस० ओबराय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा विभागों के जो कर्मचारी 55 वर्ष की आयु के होने से पूर्व ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं, उन्हें उपयुक्त रोजगार देने के लिये क्या कोई योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्योरा क्या है और वे किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के लिये हैं ;

(ग) सेवा निवृत्त कर्मचारियों की कठिनाइयां और शिकायतों को दूर करने में सहायता करने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने क्या व्यवस्था की है ; और

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों को रोजगार दिया जायेगा। यदि हां, तो यह योजना कब लागू की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सेवा निवृति की साधारण आयु से पहले सेवा सेविवर्ग के लिये असैनिक रोजगार ढूंढने के लिये सहायता के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपाय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) डाइरेक्टर जनरल रिसेटिलमेंट एक अन्तः सेवा संगठन के तौर पर स्थापित किया गया है, और उसे भूतपूर्व सैनिकों के पुनरावास-पुनस्थापन सम्बंधी सभी मामलों के लिए उत्तर-दायी बनाया गया है। मुख्यालय संगठन के अतिरिक्त डाइरेक्टर जनरल रिसेटिलमेंट के अधीन विभिन्न पुनरावास उपायों के लिये राज्य सरकारों के प्रयत्नों के समन्वय के लिये पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी और दक्षिणी, प्रत्येक कमान में 4 सम्पर्क अफसरों के स्थान हैं। इसके अतिरिक्त सेवा विमुक्त सेविवर्ग को सहायता देने के लिये और उनके कल्याण और पुनरावास की देखभाल करने के लिये केन्द्र में भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड और राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड और जिला सैनिक नाविक तथा वैमानिक बोर्ड स्थापित किये गए हैं।

(घ) उपरोक्त उल्लिखित के अतिरिक्त सेवा विमुक्त सेवाओं के सेविवर्ग के पुनरावास के लिये इस समय और कोई योजनाएं नहीं हैं।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये आरम्भ की गई योजनाओं/उपायों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है :

(1) पुनः रोजगार प्राप्त करने में रुचिकर सेवामुक्त अन्य रैंकों के नाम रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार में रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये रोजगार कार्यालयों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को वर्ग तीन की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाता है। प्राथमिकता एक में इकानोमी यूनिट की सिफारिशों के फलस्वरूप छंटनी किये गये कर्मचारियों की है और प्राथमिकता दो में उत्तर-पश्चिम सीमा प्रदेश, सिन्ध और बलोचिस्तान से स्थायी रूप से अपंग हुए भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिये उपयुक्त रोजगार ढूंढने में सहायता देने हेतु राज्य/जिला सिपाही, नाविक तथा वैज्ञानिक बोर्डों को रोजगार कार्यालयों से मासिक तथा त्रैमासिक बैठक करने के लिये कहा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के सेवा कार्यों को तदनुरूप सिविल कार्यों से मिलाया गया है ताकि रोजगार कार्यालयों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त रोजगार ढूंढने में सुविधा हो।

(2) प्रतिरक्षा संस्थानों, अर्ध सैनिक संगठनों, रेलवे आदि के वाच एण्ड वार्ड में यहां इनका पिछला प्रशिक्षण तथा अनुभव लाभदायक हो सकता है, नौकरियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

(3) केन्द्रीय सरकार के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिए सर्वप्रथम दो वर्ष के लिए चौथी श्रेणी के पदों में 20 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने के आदेश जुलाई, 1966 में जारी किए गए थे। इन आदेशों को 30 जून, 1971 तक बढ़ा दिया गया है और स्थायी बनाए जाने वाले अथवा लम्बी अवधि तक जारी रहने वाले अस्थायी रिक्त स्थानों को भी आरक्षण योजना में शामिल किया गया है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को भी केन्द्रीय सरकार में आरक्षित स्थानों के आधार पर स्थान रक्षित करने के लिए कहा गया है और कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न राज्य संवर्गों में आरक्षण कर दिया है।

(4) कुछ पदों पर भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों को आयु तथा शैक्षिक अर्हता में छूट दी गई है।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण और वजीफों का प्रबन्ध भी किया गया है। श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक के परामर्श से चुने हुए व्यवसायों में भूतपूर्व सैनिकों को सेवामुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण देने की एक सामान्य योजना बनाई जा रही है।

(6) अनेक राज्य सरकारों ने अपनी भूमि के आवटंन के मामले में अपंग भूतपूर्व सैनिकों अथवा युद्ध में मारे गए जवानों के आश्रितों को कुछ प्राथमिकता प्रदान की है।

(7) संघ राज्य क्षेत्रों में, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास और गृह-कार्य मन्त्रालय की सहायता से भूतपूर्व सैनिकों को नेफा, ग्रेट निकोबार और त्रिपुरा के नए क्षेत्रों में बसाने सबंधी योजनाओं को अन्तिमरूप दे दिया गया है और इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(8) सेवा कर रहे तथा भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने के लिए आयातित ट्रैक्टरों की कुछ प्रतिशतता आरक्षित कर दी गई है । पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को नीलाम हेतु अधिसूचित किए जाने से पूर्व भूतपूर्व सैनिक फालतू मोटर गाड़ियां क्रय कर सकते हैं । औद्योगिक विकास मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी सहकारी संस्थाओं को आवंटन के लिए वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों (अम्बेसेडर कार 3 पहिए वाले स्कूटर तथा टेम्पो) को प्राथमिकता का कोटा आरक्षित कर दिया है ।

(9) व्यापार शुरू करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरों पर भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास विशेष निधि से वैयक्तिक तौर पर अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण दिया जाता है ।

(10) नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सेवा निवृत्ति के पश्चात पुनः रोजगार के लिए अपने नाम पुनर्वास के महानिदेशालय के प्रतिरक्षा सेवा सम्पर्क अधिकारी के पास रजिस्टर करा सकते हैं । पुनर्वास महानिदेशक (प्रतिरक्षा सेवा सम्पर्क अधिकारी) उनके गोपनीय रिपोर्ट को अपने पास रखता है और उनकी अर्हताओं तथा अनुभव के आधार पर अर्ध-सैनिक संगठनों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों और सरकार तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में उपयुक्त पदों के लिए उनके नाम भेजता है । पुनः रोजगार पाने वाले अधिकारियों की संख्या रोजगार के उपरोक्त अवसरों में नौकरियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है । सिविल नौकरियों में लगाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवानिवृत्त अथवा सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए पुनर्वास महानिदेशक अल्पावधि के नए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का भी प्रबन्ध करता है ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

1471. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस उद्देश्य से भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड स्थापित की गई थी और जो लक्ष्य निश्चित किए गए थे, क्या वे पूरे हो गए हैं ;

(ख) क्या इसके उत्पादन का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना करता है और इसकी उत्पादन लागत विदेशी कम्पनियों में आने वाली उत्पादन लागत की तुलना में न्यूनाधिक समान है ;

(ग) 1965 से इसमें ऐसी-ऐसी नई वस्तुएं क्या बनाई जा रही हैं ; जिनका पहले आयात किया जाता था, गत वर्ष प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के आंकड़े क्या थे ;

(घ) क्या गत वर्ष इस कम्पनी के उच्च पदाधिकारियों में कोई परिवर्तन किया गया है, यदि हां, तो क्या और उसका वर्तमान अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक और सचिव का नाम क्या है तथा वे इन पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) वर्ष 1968-69 के लाभ, हानि, बिक्री, लक्ष्य और स्टाक आदि के आंकड़े गत तीन वर्षों के इन्हीं आंकड़ों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। मूलरूप से जो परियोजना बनाई गई थी उसमें 1959-60 से फैक्टरी के लिए प्रतिवर्ष 4.25 करोड़ रुपए के मूल्य के उत्पादन का लक्ष्य था। यह लक्ष्य 1963-64 में प्राप्त कर लिया गया था जब कि फैक्टरी का उत्पादन 6.21 करोड़ रुपए का था। 1968-69 में 20.73 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था।

(ख) बी० ई० एल० द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना विदेशों में बनी वस्तुओं से की जा सकती है। बी० ई० एल० में बने उपकरणों के मूल्य विदेशों में बने उपकरणों के लागत बीमा भाड़ा की तुलना में आमतौर पर कम हैं। विदेशों में स्वचालित मशीनों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन की तुलना में बी० ई० एल० में सीमित उत्पादन होने के कारण विदेशों में बनी मदों की तुलना में बी० ई० एल० के पुर्जों की कीमत अधिक है।

(ग) 1965 से बी० ई० एल० 9 प्रकार के नये उपकरण तथा तीन प्रकार के नये पुर्जों का निर्माण कर रहा है। उपकरणों का नाम बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। 1965 से बी० ई० एल० तीन पुर्जों अर्थात (1) ट्रांसमिटिंग ट्यूब (2) मिलीकोन सेमी कन्डक्टर (3) काथोड के ट्यूब बना रहा है। 1968-69 में नये उपकरणों तथा पुर्जों का उत्पादन मूल्य निम्नलिखित है :

उपकरण	629.33 लाख रुपए
पुर्जे	50.32 लाख रुपए

चूंकि 1965 से बी० ई० एल० में कुछ लगाये गये उपकरण पुराने उपकरणों जो कि बहुत पुराने हो गये थे के स्थान पर लगाये गए हैं और कुछ उपकरणों का विकास स्वयं बी० ई० एल० द्वारा ही किया गया था। अत: निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उनको पहले से ही आयात किया जा रहा था। परन्तु बी० ई० एल० में इनका उत्पादन शुरू नहीं किया जाता तो इनका आयात करना पड़ जाता है। यदि बी० ई० एल० नये प्रकार के पुर्जों का उत्पादन आरम्भ नहीं करता तो इनमें से दो अर्थात् ट्रांसमिटिंग ट्यूब और काथोड के ट्यूब्स का आयात अवश्य करना पड़ जाता।

(घ) 26.7.1968 से श्री सी० आर० सुब्रह्मण्यम, डिप्टी, जनरल मैनेजर (पुर्जे) के जनरल मैनेजर के रूप में फैक्टरी में नियुक्ति के अतिरिक्त कम्पनी से कार्यकारी पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चेयरमैन प्रबन्धक निदेशक और सचिव के बारे में ब्योरा नीचे दिया गया है।

चेयरमैन	श्री एम० गोविन्द रेड्डी	1-7-1969
प्रबन्धक निदेशक	ले० जनरल ए० सी० हयप्पा सेवा निवृत्त	1-8-1967
सचिव	श्री एन० पी० भंजुनाथा	12-8-1968

(ङ) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	लाभ	अंतशेष भण्डार
1965-66	926.74	914.38	144.10	274.49
1966-67	1194.03	1371.63	256.43	233.44
1967-68	1583.87	1955.28	381.03	294.81
1968-69	2072.86	2700.05	434.22	356.87

रुई का निर्यात

1472. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक प्रकार की और कितनी तथा कितने मूल्य की रुई का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या रुई की ये किस्में भारत में कपड़ा-मिलों के काम आने योग्य थीं, और यदि हां, तो इनको निर्यात करने के क्या कारण थे ;

(ग) इसी अवधि में किये गये रुई के आयात का ब्योरा क्या है ; और

(घ) आयात की तुलना में निर्यात से क्या लाभ है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). गत तीन वित्तीय वर्षों में किये गए रुई के आयात तथा निर्यात को बताने वाले विवरण संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1439/69] देश में रुई की उपलब्धि तथा आवश्यकता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए, रुई का आयात करने की अनुमति दी जाती है। आयातित रुई प्रायः लम्बे रेशे वाली होती है। जहां तक निर्यात के लिए अनुमति प्राप्त रुई की तीन किस्मों का प्रश्न है, इनमें से केवल एक ही किस्म ऐसी है जो मोटे काउंट के सूत के उत्पादन के लिए, कताई के योग्य है। इस किस्म की रुई को निर्यात करने की अनुमति इसलिए दी जाती है कि स्वदेशी उद्योग इसके कुल उत्पादन की खपत नहीं करता और निर्यात के लिये फालतू रुई बची रहती है। निर्यात के योग्य किस्में ऐसी होती हैं कि वे आयातित रुई के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकतीं।

सूडान तथा अन्य देशों को रेल के डिब्बों का निर्यात

1473. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मेकेंजीस लिमिटेड को सूडान रेलवे के लिए रेल के डिब्बों के निचले ढांचे सप्लाई करने का हाल में क्रयादेश मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य का है; और

(ग) विभिन्न देशों को रेल के माल डिब्बे सप्लाई करने के अनिर्णीत पड़े सभी क्रयादेशों का ब्योरा क्या है तथा कौन-कौन सी पार्टियां उन्हें देश में बनाती हैं ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 40 निचले ढांचों के निर्यात की एक संविदा की है ; निगम के सहयोगी निर्माता मे० मेकेंजीस लि० हैं ।

(ख) मूल्यों के विषय में बताना राज्य व्यापार निगम के व्यापार हित में नहीं होगा ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रेल के सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों के लिए प्राप्त किये गये क्रयादेशों का ब्योरा

देश	मद	निर्यातक
1. बर्मा	14 सवारी डिब्बे तथा पैट्रोल के डिब्बे	राज्य व्यापार निगम (मे० ब्रेथवेट एण्ड कं०)
2. श्रीलंका	40 सवारी डिब्बे तथा पैट्रोल डिब्बे	,,
3. पूर्वी अफ्रीका	45 पशु डिब्बे तथा 88 सवारी डिब्बे	मे० हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।
4. पोलैण्ड	500 बन्द माल डिब्बे	मे० राज्य व्यापार निगम (मे० ब्रेस्सोप एण्ड कं०, कलकत्ता)
5. ताइवान	120 बंद माल डिब्बे	मे० ब्रेथवेट एण्ड कं०, कलकत्ता ।
6. थाइलैण्ड	45 सवारी डिब्बे	रा० व्या० नि० (मे० इन्टीग्रल कोच फैक्टरी)
7. हंगरी	1000 माल डिब्बे	मे० टैक्समैको
8. सूडान	120 माल डिब्बे	मे० के० टी० स्टील
	40 निचले ढांचे	रा० व्या० नि० (मैकेंजी)
9. ताइवान	100 सवारी डिब्बे	रा० व्या० नि० (इन्टीग्रल कोच फैक्टरी)

Violation of Tashkent Declaration

1474. **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the provisions of Tashkent Declaration which have been violated by Pakistan and the details of such violations ;

(b) the points on which talks are being held with Pakistan these days; and

(c) the points on which Government propose to have talks with Pakistan but Pakistan Government evades talks on them?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) A statement giving details of violation by Pakistan of Tashkent Declaration is attached.

(b) Recently talks were held on Eastern Rivers.

(c) Government of India have proposed talks on the return of property and assets, suppression of hostile propaganda, no-war pact, resumption of trade, facilities for travel, cultural exchanges and resumption of flights by civil airlines. Government of Pakistan has been evading talks on these subjects.

Statement

The following provisions of Tashkent Declaration have been violated by Pakistan:

Article I— Pakistan has not made any effort to create good neighbourly relations between the two countries, nor to reduce tension in the sub-continent.

Article III— Pakistan has not only indulged in propaganda to incite communal and secessionist forces in India, but has also interfered in other ways in India's internal affairs such as by actively aiding the Naga and Mizo rebels.

Article IV— Anti India propaganda in the Pakistan press continues at a high pitch.

Article VI— Pakistan has only partly implemented this article. She has not lifted the embargo on trade in spite of the fact that India has done so unilaterally neither has she responded to India's proposal to resume flights by national airlines. Pakistan has also shown no desire to expand cultural exchanges between the two countries.

Article VIII— Although India has pressed for discussion on the return of property and assets taken over by each side Pakistan has not been willing to discuss this issue. India has agreed to return to all seized cargo except military contraband while Pakistan has only agreed to return aid cargo.
The question of evictions and illegal immigration has not yet been discussed.

Article IX— The Prime Minister has suggested the setting up of a joint Indo-Pak machinery for normalization and improvement of relations between the two countries. A letter from the Prime Minister to the President of Pakistan in this connection is attached. There has been no encouraging response from Pakistan's President. Pakistan has not agreed to talk on any of the points raised concerning the normalization and improvement of relations as agreed to in the Tashkent Declaration.

नई दिल्ली
22 जून, 1969

महामान्य,

मैं कुछ समय से आपको पत्र लिखना चाह रही थी। पिछले मई में नई दिल्ली में एअर मार्शल नूर खां के साथ थोड़े समय की बातचीत के अतिरिक्त अपने सम्बन्धों पर आपकी सरकार

के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपके सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूं।

हमारे दोनों देशों के बीच चाहे जो भी कठिनाइयां रही हों, हम दोनों का भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा है। हम दोनों सरकारों पर यह एक बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम सत्तर करोड़ लोगों के कल्याण और समृद्धि का सुनिश्चय कर लें।

आज दोनों देशों की जनता में सम्पर्क लगभग नहीं के बराबर है। वाणिज्यिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध पूर्ण रूप से टूट गये हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस बात पर सहमत होंगे कि इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच, जिनमें कितनी ही बातें समान हैं, यह संतोषजनक स्थिति नहीं है।

मेरा विचार है कि अगर हम दोनों देशों में आने जाने से सम्बन्धित नियमों में ढील दें, साहित्य, कला संगीत, विज्ञान और खेलकूद के क्षेत्र में सांस्कृतिक सम्पर्क और बढ़ाएं तो इनसे मिथ्या धारणाएं और भ्रांतियां दूर हो जाएंगी।

दोनों देशों को निकट लाने में वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान है।

दूसरी बात यह है कि जल परिवहन कम्पनियां और हवाई कम्पनियां जो न तो भारतीय हैं न पाकिस्तानी, उन लोगों से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही हैं, जो इन दोनों देशों में आते जाते हैं।

हमारा विचार है कि अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने और उनमें सुधार लाने को ये और अन्य पक्षों की ओर भी अधिक व्यापक रूप से परीक्षा की जानी चाहिए। अगर आप सहमत हों तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक संयुक्त भारत-पाकिस्तान समिति की स्थापना, किसी भी स्तर पर की जाए जो आपके लिये स्वीकार्य हो। मैंने पहले हो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध न करने की संधि का सुझाव रखा है। इससे हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच अविश्वास और संदेह दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि आप इन प्रस्तावों पर भली भांति विचार करेंगे।

विदेश मंत्रालय के सचिव श्री केवल सिंह इस्लामाबाद जा रहे हैं और उनसे यह पत्र आपको देने के लिए मैं कह रही हूं। वे आपसी हित के मामलों पर तो आप से विचार-विनिमय करेंगे ही।

अपनी परम आदर भावना के आश्वासन सहित,

ह०

(इन्दिरा गांधी)

महामान्य जनरल याह्या खां,
पाकिस्तान के राष्ट्रपति।

Commission Agents for Export of Goods to East European Countries

1475. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the Commission Agents who have exported goods to U.S.S.R. and

other East European countries during the last one year through the State Trading Corporation;

(b) the extent of goods exported to these countries during the last one year, commission agent-wise; and

(c) whether Government propose to have a talk with U.S.S.R. Government and the Governments of other countries to eliminate these commission agents and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) There are no Commission Agents who exported goods to USSR and other East European countries through the STC during the last one year. There are however, a number of associate suppliers whose goods are exported by the STC.

(b) and (c). Do not arise.

Revised Cantonment Board Act

1476. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the time by which Government propose to bring forth a new legislation in place of the old Cantonment Boards Act?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): Comprehensive amendments to the Cantonments Act, 1924 are under consideration and Bill incorporating the amendments is proposed to be introduced in Parliament as soon as feasible. It is not possible to indicate the date by which the Bill will be introduced.

प्रतिरक्षा पूर्ति प्रतिष्ठानों पर खर्च

1477. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रतिरक्षा पूर्ति प्रतिष्ठानों पर दुगना धन खर्च आने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सेना के प्रयत्नों से, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, क्या लाभ होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह ठीक है कि रक्षा सप्लाईज विभाग पर एस्टब्लिश्मेंट का खर्च 1968-69 के दौरान 2.03 लाख रुपये के विरुद्ध 1969-70 के दौरान 4.24 लाख रुपये बजट किया गया है । इसका कारण है, विभाग में काम की वृद्धि का सामना करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति ।

(ख) सैनिक फार्म चलाने का मुख्य उद्देश्य है सैनिकों को सम्पूर्ण दूध या दूध से बने द्रव्य सप्लाई करना । इस उद्देश्य को पूरा करने के अतिरिक्त सैनिक फार्मों ने जिनका हिसाब किताब वाणिज्य ढंग पर रखा जाता है 1966-67 से लाभ दिखाया है । 1966-67 और 1967-68 में लाभ थे क्रमश: 66.38 लाख रुपये और 72.36 लाख रुपये । 1968-69 के हिसाब को अभी आडिट किया जाना है ।

इंगलैंड में स्थल सेना और नौसेना पर व्यय

1478. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना और नौसेना पर ब्रिटेन में खर्च की जाने वाली 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किन-किन मदों पर खर्च की जाती है ; और

(ख) क्या इस खर्च में कोई कमी नहीं की जा सकती ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1969-70 वर्ष के लिये यू० के० में हुए खर्च में लगभग 30 लाख रुपये की एक राशि के अतिरिक्त, आवृत है इंडिया सप्लाई मिशन लन्दन के डाइरेक्टर जनरल की मार्फत योरुप में वाणिज्य फर्मों से तथा भारत के उच्चायुक्त लन्दन के रक्षा सेवाओं के सलाहकारों की मार्फत यू० के० सरकार से प्राप्त सामानों पर उठा खर्च ।

(ख) सामानों पर उठा खर्च सेना और नौसेना के लिये आवश्यक साज-सामान तथा रख-रखाव के सामान के आयात की लागत जुटाने में खर्च होता है, कि जिनके लिये सावधानीपूर्वक निरीक्षण के पश्चात् ही केवल स्वीकृति दी जाती है । 30 लाख रुपये का खर्च, सैनिक तथा नौसैनिक सलाहकारों और उनके कर्मचारीगण तथा यू० के० में प्रशिक्षण इत्यादि के लिए प्रतिनियुक्त सेविवर्ग के वेतन तथा भत्तों पर आया है ।

माल जमा हो जाना

1479. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आदेश हैं कि उन लोगों को दण्ड दिया जाए जो प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान जमा होते रहने देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं, और उनको कब लागू किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों का उल्लंघन करके रक्षा सामानों का भारी जमाव करने के जो दोषी हैं, उन पर लागू आदेश वही हैं जो उन पर लागू हैं कि जो दूसरे किसी दोष के दोषी हों । दोष करने वाले सेवा अफसर थल सेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, या सेना के लिए पेन्शन विनियमों, वायु सेना के लिए पेन्शन विनियमों और नौसेना (पेन्शन) विनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य हैं, जबकि असैनिकों के विरुद्ध रक्षा सेवाओं में असैनिकों (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल और अपील) नियमों या असैनिक सेवा विनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। कुछ उदाहरण कि जहां ऐसी कार्यवाही की गई है, 1966 की रक्षा आडिट रिपोर्ट के पैरा 7 और 1967 की रक्षा आडिट रिपोर्ट के पैरा 11 (क) में उल्लिखित किए गए हैं ।

नियत अवधि में निर्माण-कार्य पूर्ण करना

1480. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात लागू करने के लिए आदेश हैं कि निर्माण-कार्य नियत समय में ही पूरे किए जाएं ; और

(ख) यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों को विलम्ब के लिए दण्ड देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सैनिक इंजीनियरी सेवा के निर्माण कार्य प्राय: ठेकेदारों के माध्यम से सम्पन्न किए जाते हैं, और सम्पूर्ति का समय ठेके में बताया जाता है। विलम्ब के मामलों में ठेकेदार की ओर से व्यतिक्रम के मामलों में या तो ठेका रद्द किया जा सकता है, या काम को ठेकेदार की जिम्मेदारी पर किया जाता है, और लागत या विलम्ब के लिए मुआवजा ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से वसूल किया जा सकता है। किसी अफसर के कारण विलम्ब होने की हालतों में, मामले की गम्भीरता के अनुरूप उसकी वार्षिक रिपोर्ट में एक उपयुक्त टिप्पण लिखा जा सकता है, जो उसके अवसरों को प्रभावित करता है। हद से गुजर गए मामलों में अफसर के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है।

Officials Work in Hindi in Defence Ministry

1481. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2720 on the 12th March, 1969 and state :

(a) whether information in respect of items (i) to (iv) of part (a) and part (b) of the above question has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information in respect of the Ministry of Defence Secretariat is given in the annexed statement.

(c) Does not arise.

Statement

Part (a) of Unstarred Question No. 2720 dated 12th March, 1969.

(i) Some of the publications are already being published both in English and Hindi. Action has been initiated by various concerned authorities to publish the remaining publications also in Hindi.

(ii) The question of maintenance of Service Books of Class IV employees in Hindi is under examination.

(iii) 3 posts of Translators (1 Grade I and 2 Grade II) and 2 posts of Hindi-cum-English Typists have been created with effect from 1st July, 1969 to cope with the additional load of translation work.

(iv) It has been decided that untrained staff in Hindi should be sent for training in 4 batches commencing from 1st January, 1969. The first two batches have already been deputed.

चाय के निर्यात के लिए भारत व श्रीलंका का संयुक्त प्रयास

1482. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : **श्री हेमराज :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चाय के निर्यात के लिये श्रीलंका का सहयोग लेने हेतु किसी व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहयोग किस प्रकार का होगा ; और

(ग) श्रीलंका का सहयोग भारत के चाय-निर्यात को बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है विशेषतः जबकि श्रीलंका स्वयं इस क्षेत्र में भारत का प्रतियोगी है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). भारत तथा श्रीलंका के बीच मई तथा जून, 1968 में हुई बातचीत के फलस्वरूप चुने हुए बाजारों में संमिश्रित तथा पैकेटबंद चाय का विपणन करने के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त सार्थ संघ के उद्देश्यों, कृत्यों, कार्य-क्षेत्र तथा वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे का ठीक-ठीक स्वरूप तैयार करने के निमित्त भारत तथा श्रीलंका में कार्यकारी दल बनाये गये। दोनों कार्यकारी दल आगे बातचीत करने के लिए कुछ ही सप्ताहों में बैठक करने वाले हैं। ऐसा विचार है कि सार्थ संघ कुछ इस प्रकार से कार्य करेगा कि भारत तथा श्रीलंका दोनों ही देश संयुक्त विपणन से लाभान्वित होंगे।

विजयंता टैंक के लिये तोपें

1483. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयंता टैंकों के लिये अपेक्षित तोपों का उत्पादन टैंकों के उत्पादन से पीछे रह रहा है जिसके कारण तैयार हुए अनेक टैंक सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टैंकों के लिए अपेक्षित तोपों के उत्पादन में तेजी लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) एक ही रेंज के विदेशी टैंकों की तोपों की तुलना में यहां बनी तोपों का कार्य कैसा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). टैंकों के उत्पादन में विभिन्न फैक्टरियों का सहयोग आवश्यक है। हल, टेरेट और अन्तिम संयोजन एक स्थान पर किया जाता है, आर्डनेन्स एक दूसरी फैक्टरी से आते हैं। माऊंटिंग और रिकायल प्रणाली एक अन्य फैक्टरी में बनती है, और कई और संघटक विभिन्न अन्य स्थानों से आते हैं। देशीयता इस उद्देश्य के लिए जो भी साधन इकट्ठे हो सकते थे, उनसे काम शुरू कर दिया गया था, और कुछ

आयात पर भी निर्भर रहना पड़ा था, परन्तु हर एक भाग लेने वाली यूनिट की उपयुक्त विकास योजना है जो सम्पूर्ण होने पर समन्वय तथा संख्या में उचित संतुलन सुनिश्चित करेगी। गनों के मामले में यह स्थिति अगले वर्ष प्राप्त होना शक्य होगी। तब तक अधिकाधिक सम्भव देशीय उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये कुछ गनें आयात की जाती हैं। टैंकों के वितरणों में कोई रुकावट नहीं है, और शेड्यूल लक्ष्य बनाए रखे गये हैं।

(ग) भारतीय टैंक गनों का कृत्य उतना ही अच्छा है यदि वह उससे अच्छा नहीं कि जितना उसी क्षेत्र में विदेशी निर्मित टैंकों का कृत्य।

भारत में चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये विदेशी विद्यार्थियों को सुविधा

1484. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों की ओर से सरकार से प्रार्थना की गई है कि उनके राष्ट्रजनों को चिकित्सा तथा इन्जीनियरी के उन्नत अध्ययन के लिये भारत में विस्तृत सुविधाएं प्रदान की जायें ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा मांगी गई विस्तृत सुविधाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उनकी प्रार्थना के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ईरान और अफगानिस्तान ने हमसे चिकित्सा और अभियंत्रण संस्थाओं में अपने विद्यार्थियों के लिये अधिक स्थानों की मांग की है, किन्तु निश्चित संख्या निर्दिष्ट नहीं है।

(ग) हमने दोनों देशों की जरूरतों को जहां तक सम्भव है, अपनी सीमाओं के अन्दर पूरी करने की सहमति व्यक्त की है।

Russian Stand on Kashmir

1485. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Baburao Patel :**
Shri Ram Charan : **Shri Abdul Ghani Dar :**
Shri Bibhuti Mishra : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri D. N. Patodia : **Shri P. N. Solanki :**
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kashmir issue was discussed with Mr. Kosygin, the Prime

Minister of U. S. S. R., during his recent visit to India ;

(b) whether it is also a fact that Mr. Kosygin had already been sounded about the views of India in this regard ; and

(c) if so, whether Mr. Kosygin has again started some correspondence with India in this regard after his recent visit ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). The Kashmir question was not specifically discussed by the Prime Minister with Mr. Kosygin during the latter's visit to India in May this year.

अन्तरिक्ष खोज सम्बन्धी कार्यक्रम

1486. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन योजनाओं में अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 9 प्रतिशत व्यय किया गया ;

(ख) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अंतरिक्ष अनुसंधान, संचार उपग्रह तथा रेडियो खगोल विज्ञान के बारे में कोई कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा तकनीकी केन्द्र बेहतर किस्म के राकेटों तथा उपग्रह-प्रक्षेपण के काम में आने वाले यानों का विकास करने की आशा रखता है । रेडियो खगोल विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम को टाटा मूल अनुसंधान संस्थान चलायेगा, तथा इसके लिए ऊटकमंड में रेडियो दूरबीन की स्थापना के काम को पूरा किया जायेगा और संस्थान द्वारा बम्बई में किये गये कार्यों एवम् भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा किए गये कार्यों से सहायता ली जायेगी ।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज

1487. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) आन्तरिक तथा वाह्य अन्तरिक्ष की खोज के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) क्या वायु विज्ञान के अध्ययन तथा देश में और विशेषरूप से कृषि में उसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के बारे में कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) देश में अन्तरिक्ष विज्ञान तकनीक का विकास करने तथा वाह्य अन्तरिक्ष का शान्तिपूर्ण

कार्यों के लिये उपयोग करने के बारे में अन्तरिक्ष की खोज करने के विस्तृत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा आयोग की है।

(ख) देश में उपलब्ध राकेटों तथा गुब्बारों द्वारा, जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आयभारों से युक्त थे, अब तक वायु मण्डल का अध्ययन 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किया गया है।

(ग) वायु विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि कृषि के क्षेत्र में उसका व्यावहारिक उपयोग किया जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु शक्ति परियोजनाओं का स्थापित किया जाना

1488. **श्री रवि राय :**
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बदरुददुजा :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "स्टेट्समैन" के 24 मई, 1969 के अंक में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में अणु शक्ति परियोजना का विकास करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा अग्रेतर कार्यक्रम वर्तमान अणु शक्ति केन्द्रों की अर्थव्यवस्था तथा अन्य बातों का अध्ययन करने के बाद आरम्भ किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मामला विचाराधीन है।

Trade relations with Latin American Countries

1489. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri Muhammad Sheriff :
Shri K. M. Madhukar :
Shri N. K. Somani :
Shri M. S. Oberoi :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that negotiations are going on between Government of India and the Latin American Countries for increasing the trade with those countries;

(b) if so, the names of countries with which negotiations have been concluded;

(c) the outcome thereof; and

(d) the steps proposed to be taken by Government for the extension of trade relations with them?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) and (b). No inter-Governmental negotiations, as such, are in progress. However, as a result of the Prime Minister's visit and the visit recently of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Delegation, normal consultations are going on with various parties in several Latin American countries. These consultations are continuing.

(c) Does not arise.

(d) The matter is being considered by Government.

पूना छावनी बोर्ड

1490. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 26 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना छावनी बोर्ड द्वारा भवन-निर्माण के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). मई, 1969 से सरकार ने पूना छावनी से चार मामलों में स्वीकृतियां जारी की हैं। सरकारी स्तर पर इस समय कोई प्रार्थना पत्र निलम्बित नहीं है। पूना छावनी बोर्ड द्वारा भेजे गये कुछ प्रार्थना पत्र इस समय निम्न स्तर पर निरीक्षणाधीन हैं ; और उन पर कार्य हो रहा है।

कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना

1491. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री अब्दुल गनी दार

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितने कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लिया है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना मुआवजा दिया गया है ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन सरकार ने चार सूती वस्त्र मिलों अर्थात महालक्ष्मी मिल्स लि०, ब्यावर, न्यू मानेकचोक स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, अहमदाबाद, ओम पराशक्ति मिल्स लि०, कोयम्बतूर तथा दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड विविंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल

1492. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 12 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2721 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमण्डलों के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) इन प्रतिनिधिमण्डलों ने किन-किन देशों का दौरा किया था ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(घ) उससे क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1-4-1967 से 31-3-1969 तक विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमण्डलों की संख्या	73
जिन देशों की यात्रा की गई उनके नाम	ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, स्विटजरलैण्ड, रूस, चैकोस्लोवाकिया युगोस्लाविया, बेलजियम, फिनलैण्ड, बुलगारिया, ईराक, संयुक्त अरब गणराज्य, लेबनान, ईरान, अफगानिस्तान, अमरीका, डेनमार्क, स्वेडन, कनाडा, कीनिया, स्पेन, आस्ट्रेलिया, इटली, मैक्सीको, मलयेशिया, सिंगापुर, नेपाल, जापान, हांगकांग, पाकिस्तान ।
प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल पर व्यय की गई धनराशि	इन सभी प्रतिनिधि मण्डलों पर कुल 1122704 रुपये व्यय किये गये ।
प्राप्त परिणाम	25 प्रतिनिधि मण्डल प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों पर चर्चा के लिये गये थे । 18 प्रतिनिधि मण्डलों का सम्बन्ध विदेशों में लिये गये उपकरणों के निरीक्षण, तकनीकी चर्चा तथा तकनीकी

मूल्यांकन से था। सेनाध्यक्षों की यात्राओं सहित 16 सद्भावनाएं यात्रायें थीं। 9 प्रतिनिधि मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने गये थे। एक प्रतिनिधि मण्डल ताशकन्द समझौते के बाद के परिणामों पर चर्चा से सम्बन्धित था। चार प्रतिनिधि मंडल संचार तकनीकी के अध्ययन/वायु प्रशिक्षण कोर के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने और छात्र कोर और सम्बन्धित संगठनों के नवीनतम विकास से सम्बन्धित थे।

रक्सौल में पीकिंग-समर्थक विद्यार्थी की गिरफ्तारी तथा रिहाई

1493. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काठमांड कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले एक पीकिंग समर्थक विद्यार्थी नेता को जिसके सम्बन्ध में स्थानीय चीनी दूतावास का वेतन भोगी होने का समाचार है, भारत नेपाल सीमा के पास जहां से वह भारत आ रहा था, मार्क्सवादी साहित्य पुस्तकों से भरा एक ट्रंक लाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस नवयुवक को रक्सौल में भारतीय सीमा के कस्बे पर भारतीय पुलिस द्वारा रोक लिये जाने के बाद तुरन्त ही रिहा कर दिया गया तथा उसी दिन पीपल्स बुक हाऊस ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम काठमांडू से भेजे गये साम्यवादी साहित्य से भरे अनेक बड़े-बड़े बक्से वीरगंज के नेपाली सीमा नगर के निकट से सुरक्षा दल को प्राप्त हुए थे तथा उन्हें वापिस भेजे जाने के आदेश दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). हमें इस बात की कोई सूचना नहीं है कि मार्क्स-साहित्य से भरा एक ट्रंक ले जाते समय, काठमाण्डू कालेज के किसी विद्यार्थी को भारत नेपाल सीमा पर पकड़ लिया गया। राज्य सरकार से यह कहा गया है कि वह इस मामले की जांच करे। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Allotment of Funds for Madhya Pradesh during the Fourth Plan

1495. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported statement of the

Madhya Pradesh State Planning Development and Co-operation Minister published in the newspapers that funds allocated by the Central Government for the State's Fourth Plan are insufficient and as a result of insufficient funds, no major project can be undertaken in the State during the Fourth Plan period ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether Government propose to allocate adequate funds ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The entire quantum of Central assistance having been distributed among the various States in accordance with the criteria approved by the National Development Council, increase in Central Assistance could be considered if and when additional resources become available.

Hindi Books in Indian Embassies

1496. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri Mohan Lal Bhatt, Secretary of Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Wardha published in the Nav Bharat Times, Bombay of the 28th May, 1969 stating that the persons interested in learning Hindi and Hindi readers living in foreign countries feel disappointed to find that the number of books, periodicals and newspapers in Hindi brought from India is negligible, whereas those in English are found in plenty in the libraries and reading rooms of Indian Embassies in foreign countries whenever they go there to read Hindi books etc. ; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the action being taken to arouse the interest of Hindi readers ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The libraries of our missions abroad contain reference works, books, newspapers, magazines etc. for conveying information on and about India primarily for the benefit of the population of the countries in which the missions are located. As English is becoming understood widely in most countries it is natural that the bulk of our books, magazines, etc. should be in that language.

Hindi and other Indian languages are not neglected as in some countries with sizeable population of people of Indian origin, Hindi and other Indian languages are popular. In those countries the libraries of our missions do contain books, magazines, newspapers etc. in Indian languages, including Hindi, in accordance with their needs and within limits of the available resources. In this connection attention of the Hon. Member is invited to the Answer given in the House on February 28, 1968 to the Starred Question No. 2073.

Plan Allocations for Development of Madhya Pradesh

1497. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the funds allocated by Government during various Plan periods for the development of Madhya Pradesh ;

(b) whether this amount was actually spent in respective Plan periods ; and

(c) if not, reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b).

(Rs. crores)

	Approved Outlay	Central assistance allocated	Actual Expenditure	Central assistance utilised
Second Plan	190.9	104.7	145.5	96.0
Third Plan	300.0	202.4	288.3	219.5
1966-67	62.3	43.8	55.9	43.8*
1967-68	60.4	49.5	54.3	49.5*
1968-69	57.0	48.6	62.5*	48.6*

The corresponding figures for the First Plan period for the reorganised State are not available.

(c) The shortfall in expenditure during the Second Plan period was due to the fact that the State was reorganised in 1956 and it took time to gear the administrative machinery for implementation of Plan. The shortfalls in Third Plan and subsequent two years were due to the difficult position of the State in respect of resources.

कांडला अबाध व्यापार जोन

1498. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना आरम्भ करने का है जिसके अन्तर्गत कांडला अबाध व्यापार जोन में कारखाना स्थापित करने वाले व्यापारी अपने उत्पादों के लिये मंडियों का पता लगाने के लिये विदेशों की यात्रा कर सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना को आरम्भ करने के सम्बन्ध में उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) मामले पर विचार हो रहा है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

*(anticipated)

सरकारी क्षेत्र के अभिकरण के माध्यम से रूई का वितरण

1499. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने रूई के समान वितरण के लिये सरकारी क्षेत्र का एक अभिकरण बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). कृषि मूल्य आयोग ने 1969-70 के वर्ष की रूई सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट कुछ समय पहले सरकार के सामने प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। उसमें निहित सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

रेडियो सक्रिय धूल

1500. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा प्रारम्भिक प्रयोगों अथवा हथियारों के रूप में अणु शक्ति तथा तापनाभिकीय विस्फोटों से उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय धूल का अणुशक्ति आयोग ने प्रणाली-बद्ध अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अणुशक्ति आयोग इस उद्देश्य हेतु प्रयोग कर खंडनीय (फिशनेबल) तथा गलन योग्य (फ्यूजनेबल) तथा मिश्रणों के स्वरूप के बारे में और उनकी विस्फोटक क्षमता तथा रेडियो सक्रिय धूल स्वरूप के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चीन द्वारा अक्तूबर, 1964 तथा दिसम्बर, 1967 के मध्य की अवधि में जो छः परमाणु-परीक्षण किए उनमें यूरेनियम—235 को विखंडनशील पदार्थ के रूप में प्रयोग किया गया। तथा इससे काम में लाये गए अस्त्र परमाणु बम की किस्म के पाये गए। जून, 1967 तथा दिसम्बर, 1968 में जो परीक्षण किए गए उनमें फ्यूजन यन्त्रों के उपयोग के संकेत मिले तथा काम में लाये गए अस्त्र उदजन बम की किस्म में पाये गए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को आयात सम्बन्धी लाइसेंसों का जारी किया जाना

1501. **श्री द० रा० परमार :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के

व्यापारियों को विदेशी माल के आयात का कोई परमिट नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने तथा किन-किन व्यक्तियों को उक्त परमिट दिये गये और अन्य व्यापारियों की तुलना में उनकी औसत कितनी है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात लाइसेंस जाति, मत अथवा सम्प्रदाय के आधार पर नहीं दिये जाते और तदनुसार आंकड़े भी नहीं रखे जाते ।

तारापुर नाभिकीय रिऐक्टर

1502. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का उत्पादन करने के लिये काम में आने वाले तारापुर नाभिकीय रिऐक्टर से प्लूटोनियम के उप-उत्पादन प्राप्त हो सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो उक्त खण्डनीय फिशनेबल प्लूटोनियम का उत्पादन प्राप्ति वर्ष कितनी मात्रा में होगा;

(ग) क्या उक्त प्लूटोनियम को वर्तमान प्लूटोनियम प्लान्ट में रखा जायेगा या उसके लिये अलग प्लान्ट बनाया जायेगा;

(घ) क्या तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिये पहला नाभिकीय चार्ज केवल अमरीका द्वारा सप्लाई किया गया है या अन्य देश भी इसकी सप्लाई में शामिल थे;

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में नाभिकीय चार्ज की सप्लाई की गई और प्रत्येक देश द्वारा इसकी सप्लाई किस दर और किन शर्तों पर की गई; और

(च) क्या अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी या नाभिकीय चार्ज सप्लाई एजेंसियों ने तारापुर रिऐक्टर में बने उप-उत्पादों के प्रयोग के बारे में कोई शर्त रखी है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इसकी मात्रा पैदा होने वाली बिजली तथा ईंधन तत्वों के डिजायन पर निर्भर करती है ।

(ग) इसे एक अलग संयंत्र में संग्रह करने का प्रस्ताव है ।

(घ) तारापुर परमाणु संयंत्र के लिये परमाणु ईंधन की पहली पूरी किश्त अमरीका के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा सप्लाई की गई है ।

(ङ) लगभग 80 मीट्रिक टन अल्प समृद्ध यूरेनियम सप्लाई किया गया है । अमरीका के

परमाणु आयोग ने इसका वही मूल्य लगाया है जिस मूल्य पर यह ईंधन अमरीका में दिया जाता है। इसका मूल्य विलम्बित अदायगी के आधार पर अदा किया जायेगा।

(च) भारत तथा अमरीका के बीच हुए इस करार के अलावा कि उपोत्पाद का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये किया जायेगा तथा उसकी सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जायेगी, अन्य कोई शर्त इस सप्लाई के साथ नहीं जोड़ी गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल पर दबाव डालकर अतिक्रमण को समाप्त करने का भारत का प्रस्ताव

1503. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अरब-इजराइल संघर्ष में अरब क्षेत्र पर इजराइल का अनधिकृत कब्जा समाप्त करने के लिये भारत ने इजराइल पर दबाव डालने के बारे में संयुक्त राष्ट्रीय स्तर पर पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत ने सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर 1967 के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें, दूसरी बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि 'इसराइली सशस्त्र सेना ने हाल ही के संघर्ष में जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था उन पर से वे हट जाएं।' भारत अब भी प्रस्ताव का और इसे क्रियान्वित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों और प्रस्तावों का समर्थन करता है। 14 अक्तूबर, 1968 को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि "शांतिपूर्ण निपटारे के लिए यह अनिवार्य है कि पिछले वर्ष जून में अरब के जिन प्रदेशों पर कब्जा किया गया था उससे विदेशी सेनाएं हट जाएं।"

(ख) इसराइल ने जून, 1967 की लड़ाई में जिन प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था उन पर अब भी कब्जा किए हुए है और अब तक उसने वहां से हटने की कोई मंशा नहीं दिखाई है।

अधिक दबाव वाले गैस सिलेंडरों का आयात

1504. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइएक्साइड एकत्र करने के लिये भारत में अधिक दबाव वाले कितने गैस सिलेंडरों का आयात किया गया है तथा उनका मूल्य कितना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : गैस सिलेण्डरों की संख्या के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों में आयातित दबाव वाले गैस सिलेण्डरों के परिमाण (मे० टनों में) और मूल्य के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

1966-67 से 1968-69 के दौरान दबाव वाले गैस

सिलेण्डरों का आयात

मूल्य हजार रु० में
मात्रा मे० टनों में

वर्ष	**परिमाण**	**मूल्य**
1966-67	3876	16980
1967-68	2572	12379
1968-69	2557	11095

(आयातित गैस सिलेण्डरों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

बर्मा को सूती कपड़े का निर्यात

1505. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बर्मा को निर्यात किये जाने वाले सूती कपड़े का नाम क्या है और उसका निर्यात कितनी मात्रा में किया जायेगा;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी; और

(ग) चालू वर्ष में किन-किन अन्य देशों को सूती कपड़े का निर्यात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). चालू वर्ष में निर्यात करने के लिए बर्मा से 7.34 करोड़ रु० मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये गये हैं। मात्रा के रूप में मदवार अलग-अलग विवरण निम्नलिखित है :

	मात्रा
1. सूत	198.7 लाख पौंड
2. सिलाई का धागा	1.53 दर्जन चर्खियां
3. कपड़ा	11.0 लाख गज
4. रद्दी कम्बल	5.1 लाख अदद

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. अदन
2. अफगानिस्तान
3. बर्मा
4. श्रीलंका
5. इंडोनेशिया
6. मलयेशिया (सिंगापुर सहित)
7. पी० जी० पत्तन
8. सऊदी अरब
9. थाईलैण्ड
10. नेपाल
11. कीनिया
12. टंजानिया
13. नाइजीरिया
14. इथियोपिया
15. मलावी, रोडेशिया तथा जाम्बिया
16. मारीशस
17. सियरा लियोन
18. सूडान
19. सोमालिया
20. बेल्जियम
21. फ्रांस
22. प० जर्मनी
23. इटली
24. नीदरलैण्ड
25. स्कैंडेनेवियायी देश
26. ब्रिटेन
27. सोवियत रूस
28. यूगोस्लाविया
29. यूरोपीय आर्थिक समुदाय
30. यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र (ब्रिटेन को छोड़ कर)
31. प० यूरोप (ब्रिटेन को छोड़ कर)
32. पूर्व यूरोप
33. पश्चिम इण्डीज
34. कनाडा
35. सं० रा० अमेरिका
36. आस्ट्रेलिया
37. न्यूजीलैण्ड

'हेयर बैल्टों' का निर्माण

1506. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हेयर बैल्टों' के निर्माण में भारतीय ऊन के प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऊन अनुसंधान संस्था और हेयर बैल्टिंग एसोसियेशन ने 'हेयर बैल्ट' बनाने के लिये आयातित ऊन के स्थान पर भारतीय ऊन के संतोषजनक प्रयोग की मंजूरी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त उद्योग में भारतीय ऊन का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) हेयर बैल्टों का निर्माण केवल स्वदेशी ऊन से नहीं किया जा सकता ।

(ख) ऊन अनुसंधान संस्था द्वारा किये गये प्रयोग बहुत कुछ संतोषजनक रहे हैं । किन्तु,

बैल्टिंग निर्माता संस्थाएं स्वदेशी ऊन को हेयर बैल्टिंग के निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं समझतीं ।

(ग) किन्तु, हेयर बैल्टिंग धागे के उत्पादन के लिये आयातित ऊन के स्थान पर स्वदेशी ऊन का नायलन के साथ मिश्रण करके प्रयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

नायलोन के धागे का आयात

1507. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने वर्षवार कुल कितनी मात्रा में नायलोन के धागे का आयात किया ;

(ख) धागे का आयात किन मूल्यों पर किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि स्थानीय उपभोक्ता धागे को नहीं छुड़ा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा धागे को किस प्रकार बेचा जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क)

	परिमाण मे० टन	**लागत बीमा भाड़ा मूल्य** करोड़ रुपये
1967	1151	1.50
1968	1064	1.85
1969 (30 जून, 1969 तक)	536	0.69
	2751	4.04

(ख) नायलन धागे के मूल्य प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न हैं और विभिन्न किस्मों तथा डेनियरों के लिये भी भिन्न भिन्न मूल्य हैं। राज्य व्यापार निगम ने प्रतियोगी मूल्यों पर खरीद की है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) वास्तविक उपभोक्ताओं को नायलन धागे का वितरण विभिन्न माध्यम से किया जाता है ।

फ्रांस के सहयोग से दूरी वाले प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

1508. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० रमानी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री बे० कृ० दासचौधरी

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के सहयोग से दूरी वाले प्रक्षेपणास्त्रों को बनाने के लिए फ्रांस के साथ हाल ही में कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सहयोग-योजना पर कुल कितना धन खर्च आयेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). जी नहीं। तदपि कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस प्रावस्था में उनके विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

Priority to Small Scale Industries

1509. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to adopt a new procedure to give priority to small scale industries in prices ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether the same procedure has been started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

चौथी योजना के लिए संसाधन

1510. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिये हाल ही में राज्यों के सचिवों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) उसमें क्या सिफारिशें की गई थीं और क्या इस बीच उन पर विचार किया गया है और उनके बारे में कोई निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया और किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बर्मा से प्रत्यावर्तन करने वाले भारतीयों को मुआवजा

1511. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 513 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावास को, जो बर्मा से प्रत्यावर्तन करने वाले भारतीयों को मुआवजा दिलाने के बारे में बर्मा सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं, इस सम्बन्ध में बर्मा सरकार से कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो सका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में शीघ्र समझौता हो जाए, इसके लिए राजदूतावास बर्मा सरकार के सम्पर्क में है।

तामिलनाडु में तालुकों का विकास

1512. **श्री नम्बियार :**
श्री राममूर्ति :
श्री उमानाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तामिलनाडु सरकार को उन 19 तालुका का, जन्हे पिछड़े क्षेत्र का माना गया है, शीघ्र विकास करने के लिए कुछ धन-राशि का आवंटन किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है और यह धनराशि कितनी अवधि के लिये मंजूर की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों के शीघ्र विकास के लिए धनराशि के आवंटन करने का अनुरोध किया था ; और

(घ) उक्त 19 तालुकों का शीघ्र विकास करने के वित्त सम्बन्धी मामलों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ). राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास सहित राज्यों की विशेष समस्याओं के समाधान के लिए जिस धनराशि की आवश्यकता है वह भी शामिल है।

राज्यों से कहा गया था कि वे अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में जिस परिव्यय को शामिल करना चाहते हैं उसे बतायें और प्रत्येक राज्य की कुल केन्द्रीय सहायता का निश्चय करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया था ।

अफगानिस्तान को कपड़े का निर्यात

1513. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से, अफगानिस्तान को होने वाले भारत के कपड़ा निर्यात में लगातार कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कब से हो रही है तथा कितनी हो रही है ;

(ग) इसके निर्यात में कमी के क्या कारण है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई प्रयत्न किये गये हैं तो वे क्या हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). वर्ष 1964-65 से अब तक अफगानिस्तान को हुए सूती वस्त्रों के निर्यात का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) तथा (घ). अफगानिस्तान को सूती वस्त्रों के निर्यात में होने वाली गिरावट निम्न-लिखित कारणों से हुई :

उस देश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति, अफगान बाजार में अन्य देशों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता और माल भेजने की सुविधाओं का अभाव । हर प्रकार से अफगानिस्तान को होने वाले निर्यात उस देश से किये जाने वाले आयातों से संतुलित हैं और उस देश को सूती वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिये कोई विशेष उपाय करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

विवरण

वर्ष	मूल्य लाख रुपये
1964-65	1,51
1965-66	1,36
1966-67	1,05
1967-68	1,14
1968-69	60

Sheikh Abdullah's Talks with Pak. High Commissioner in New Delhi

1514. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that discussions between Pakistani High Commissioner in India and Sheikh Abdullah took place in New Delhi in May, 1969 ;

(b) whether prior intimation is required to be given to his Ministry about such a meeting with a diplomat ;

(c) if so, whether Sheikh Abdullah had intimated his Ministry about it and the subject of the discussion ; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) According to our information the Pakistan High Commissioner in India met Sheikh Abdullah in New Delhi in May, 1969.

(b) No Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Air Marshal Noor Khan's Meeting with Sheikh Abdullah in Delhi in May, 1969

1515. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a meeting took place between Air Marshal Noor Khan of Pakistan, who had come to India to attend the funeral of the Indian President and Sheikh Abdullah and Afzal Beg in Delhi in May, 1969 ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg are free citizens of India who are not precluded from meeting foreign dignitaries.

Removal of British Emblems from Office of Indian High Commission, London

1516. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5756 on the 9th April, 1969 and state :

(a) whether the emblems of British Crown have since been removed from the Office of Indian High Commissioner in London ;

(b) whether the information in respect of other Indian High Commissions abroad has since been collected ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Mission is already under instructions to remove the emblem and work in this connection is expected to commence shortly on estimates being approved.

(b) Yes, Sir.

(c) Apart from India House, London, the office of no other Indian High Commissioner abroad has on it the State emblems of the country in which it is located.

Quit Notice of Bohra Religious Leader from Kenya

1517. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5833 on 9th April, 1969 and state :

(a) whether the information has since been collected in respest of the notice served on the religious Head of Bohra Community, Shri Tehar Mohiuddin to leave Kenya ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Enquiries have been made in the matter and Government has been informed that Shri Tehar Mohyuddin who is a Bohra priest and not the religious Head of the Bohra Community had gone to Kenya to perform religious functions and not to study the problems of immigrants. Shri Mohyuddin was reported to have sought to raise religious contributions from the Bohras in Kenya. As this was contrary to their regulations, the Government of Kenya asked Shri Mohyuddin to leave the country.

Escape of Self-Styled Deputy Commissioner of Nagas from Army Custody

1518. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1137 on the 16th April, 1969 and state :

(a) whether the self-styled Deputy Commissioner who escaped from the custody of the security forces of Imphal area has since been rearrested ; and

(b) the action taken against those persons from whose custody he escaped ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) In an encounter with the Village Volunteer Force in the first week of July, 1969 this person lost his life.

(b) The Gurad Commander was reduced in rank and the sentries concerned imprisoned for 28 days in military custody.

परमाणु-शक्ति संस्थान के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण

1519. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको परमाणु-शक्ति संस्थान के कर्मचारियों हेतु मकानों का निर्माण करने के लिये रतन पटेलबाड़ी चन्योली, मनखुर्द, ट्राम्बे तथा बम्बई से हटाये गये तीन सौ परिवारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बेघर परिवारों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिये कार्यवाही करेगी ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). चन्दौली, ट्राम्बे के निवासी श्री अलियास आदि से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। वह अभ्यावेदन उचित कार्यवाही के लिये 10 जून, 1969 को महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित कर दिया गया।

सौराष्ट्र में अणुशक्ति केन्द्र

1520. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति विभाग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने सौराष्ट्र में अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) कृषि उद्योग समूह का अध्ययन करने के लिये जो कार्यकारी वर्ग नियुक्त किया गया था उसने परमाणु बिजली पर आधारित कृषि-उद्योग समूह की स्थापना की सम्भावनाओं पर अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश कर दिया है। इस समूह की स्थापना के लिये जिन क्षेत्रों पर गौर किया गया, उनमें कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र भी शामिल है।

(ख) इस बारे में विस्तृत विवरण उपरोक्त वर्ग द्वारा पेश किये गये प्रारम्भिक प्रतिवेदन में दिया गया है, जिसकी प्रति सदन के सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

नेपाल-भारत व्यापार

1521. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ किये गये समझौते के अनुसार नेपाल को संश्लिष्ट कपड़े तथा स्टेनलैस स्टील की वस्तुओं को भारत में भेजने की सीमा को वर्ष 1967-68 के स्तर तक ही सीमित रखना होगा ;

(ख) क्या सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कारखानों में संश्लिष्ट वस्त्रों तथा स्टेनलैस स्टील की वस्तुएं बनाने वाले उपक्रमों की समस्त विदेशी मुद्रा की राशि को बांध (प्रीज) दिया है ;

(ग) क्या नेपाल की इस कार्यवाही से भारतीय व्यापारियों को कुछ शंकायें हो गई हैं तथा प्रभावित व्यक्ति इस बारे में अपनी आवाज भी उठा रहे हैं ;

(घ) क्या नेपाली अधिकारियों ने इस बारे में भारतीय व्यापारिक विज्ञापनों की उत्तेजक भाषा के संबंध में भारत सरकार के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक रूप से विरोध प्रकट किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). नेपाल सरकार भारत को संश्लिष्ट रेशे तथा स्टेनलैस स्टील के निर्यातों को 1967-68 में प्राप्त स्तर पर सीमित करने के लिये सहमत हो गई थी। इन उत्पादों के निर्माताओं को आवंटित विदेशी मुद्रा को भी वह 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिये सहमत हो गई थी।

(ग) सरकार को ऐसी किसी शंका की जानकारी नहीं है । इसके विपरीत नेपाल सरकार के निर्यात नियंत्रण प्रबन्ध भारत में उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के सामान्यतः हित में होंगे ।

(घ) तथा (ङ). इस विषय पर नेपाल की महामहिम सरकार से एक नोट प्राप्त हुआ था । प्रश्नाधीन विज्ञापन भारत में गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा दिये गये थे । बाद में इसी तरह के विज्ञापन नेपाली समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे । सरकार को आशा है कि इस प्रकार के उग्र प्रचार को दोनों देशों के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा भविष्य में रोका जायेगा ।

दिल्ली छावनी में भूमिगत नाले-नालियां

1522. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री दिनांक 26 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना और सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली छावनी में भूमिगत नाले-नालियों का निर्माण करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब तक हाथ में ले लिया जायेगा तथा इसके पूर्ण होने की अन्तिम तारीख क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). विस्तृत अनुमान इस समय निरीक्षणाधीन है । प्रायोजना निधियों की प्राप्यता की शर्तों के साथ प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय निरीक्षण की सम्पूर्ति के पश्चात् स्वीकृत की जाएगी । प्रयोजना की कार्यान्विति शुरू करने के लिये कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती । योजना को सम्पूर्ण करने में प्रशासनिक स्वीकृति से लगभग 3 मास लगेंगे ।

दिल्ली छावनी में पानी की समुचित सप्लाई

1523. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस०, दिल्ली छावनी को दिल्ली छावनी की सैनिक तथा नगरीय जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली नगर निगम से पानी का पूरा कोटा मिल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां की नगरीय जनता को पीने के लिये पानी की पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है तथा कुछ गांवों में कोई नल भी नहीं है और वहां पानी का दबाव भी बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली छावनी के क्षेत्र में होने वाले नगरीय लोगों, नगरीय क्षेत्रों तथा गांवों को पानी की समुचित सप्लाई करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह ठीक है कि समग्रतः पानी की सप्लाई अपर्याप्त है, और कुछ ग्रामों की आवश्यकताएं सार्वजनिक कुओं से और छावनी बोर्ड के दस्ती नलकों से पूरी होती हैं ।

(ग) छावनी बोर्ड पानी की अतिरिक्त सप्लाईयों के लिये दिल्ली नगर निगम से लिखा-पढ़ी कर रहा है, और अगर योजना परवान चढ़ पाई तो वह वितरण प्रणाली से वृद्धि करने का विचार रखता है ।

इस्पात की ट्यूबों का निर्यात

1524. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 के दौरान इस्पात ट्यूबों का निर्यात वर्ष 1968-69 के निर्यात की तुलना में कम होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस सीमा तक होगी तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात में कमी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1968-69 वर्ष के दौरान 10.72 करोड़ रुपये मूल्य के एम० एस० पाइपों, ट्यूबों तथा जुड़नारों का निर्यात किया गया । यद्यपि 1969-70 के अंत तक किये जाने वाले निर्यातों की मात्रा का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तथापि आशा की जाती है कि इस वर्ष भी निर्यातों का यही स्तर बना रहेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पहले यह आशंका थी कि देश में एच० आर० कोयलों/स्केल्पों की अत्यधिक कमी के कारण निर्यातों में गिरावट आयेगी किन्तु तब से निर्यात के निमित्त उत्पादन के लिये एच० आर० कोयलों/स्केल्पों का आवंटन करने की एक योजना बना ली गई है ।

भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कुमारमंगलम द्वारा पत्रकारों के साथ बातचीत

1525. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री धी० ना० देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कुमारमंगलम के साथ यू० एन० आई० के पत्रकारों की एक भेंट जिसका समाचार दिनांक 10 जून, 1969 के सभी समाचार-

पत्रों में प्रकाशित हुआ था, की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सेनाध्यक्ष ने उस बातचीत में कहा है कि अक्तूबर, 1962 की पराजय के दौरान अधिकतर गलतियां नीचे के स्तर पर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर हुई थीं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने भूतपूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा अपने पद छोड़ने के तुरन्त बाद ही ऐसे वक्तव्य देने पर कोई आपत्ति की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि 1962 में उनके विचार में क्या त्रुटि हो गई थी, जनरल कुमारमंगलम ने कहा बताते हैं कि यह जान पाना कठिन है कि 1962 में क्या त्रुटि हो गई थी परन्तु अधिकतम गलतियां उच्चतर स्तर पर हुई थीं न कि निम्नतर स्तर पर। सदन को याद होगा कि 1962 में नेफा के सैनिक संक्रियाओं के कृत्य पर हेण्डरसन ब्रुक्स की जांच रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, सक्षेपतः 2 सितम्बर, 1963 को सदन में रक्षा मंत्री के वक्तव्य में बताये गये थे। जनरल कुमारमंगलम द्वारा उल्लिखित पहलू पर उस वक्तव्य में पहले से विचार किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Pensons Paid to Reservists in Army

1526. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Army reservists who were released before July, 1957 and who were recalled during the Indo-Chinese conflict of 1962 are paid a pension of Rs. 10 only per month.

(b) whether it is also a fact that those army reservists who were released after 1964 are paid a pension of Rs. 20/- per month ;

(c) whether Government are making provisions for payment of a pension of Rs. 20/- per month to such of the reservists as were released before 1957 and had completed 15 years of service ;

(d) if so, when it would be done ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Army Reservists, who were called to the colours in 1962 and who were retransferred to the Reserve, have been given a pension of Rs. 10/- to Rs. 12/- per month depending on the terms of their engagement. In addition, they have been given an **ad hoc** increase of Rs. 5/- per month with effect from the 1st October, 1963. The rates of Reservist pension were revised with effect from the 1st April, 1968 to Rs. 15/- per month plus **ad hoc** increase of Rs. 5/- per month.

(b) Reservists who did not revert to the Reserve have been granted **service** pension by counting their colour service in full and reserve service in half as qualifying service. If they were discharged prior to the 1st January, 1964, their pension ranged from Rs. 17/- to Rs. 24.50 per month plus an **ad hoc** increase of Rs. 5/- with effect from the 1st October 1963.

If they were discharged on or after the 1st January, 1964, their pension ranged from Rs. 25/- to Rs. 30/- per month (inclusive of the **ad hoc** increase of Rs. 5/- per month).

(c) Government have no proposal under consideration for modifying the orders referred to above.

(d) Does not arise.

(e) As a matter of policy, the benefits of enhancements of rates of basic pension are not given effect to retrospectively.

चन्द्रशेखर के मामले के बारे में उप प्रधान मंत्री द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखा गया पत्र

1527. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप प्रधान मंत्री द्वारा चन्द्रशेखर के मामले पर लिखा गया पत्र प्रधान मंत्री को 30 अप्रैल, 1969 के आस-पास मिला था ;

(ख) क्या उस पत्र में श्री चन्द्रशेखर पर यह आरोप लगाया गया है कि चन्द्रशेखर श्री मधु लिमये और श्री भूपेश गुप्त को जानकारी देता है या उसे उनके द्वारा उकसाया जाता है ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त पत्र की बातों का रहस्य खुल गया है, क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(घ) क्या श्री देसाई ने गोपनीय दस्तावेजों में दी गई जानकारी का भेद खुल जाने के बारे में जांच की मांग की है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री का विचार ऐसी जांच कराने के लिये आदेश देने का है ;

(च) क्या इस जांच में उप प्रधान मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गये निजी गोपनीय पत्र जो 14 जून, 1969 को 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित हुआ था, भी सम्मिलित किया जायेगा ; और

(छ) यदि नहीं, तो टोपे के पत्रों, महान्यायवादी, वित्त उपमंत्री तथा अन्य दस्तावेजों से सम्बन्धित प्रतिवेदन का भेद खुल जाने के बारे में जांच आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सदन यह स्वीकार करेगा कि प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के बीच जो पत्राचार हुआ है उसकी बातें बताना सम्भव नहीं है ।

(ङ) से (छ). अनधिकृत ढंग से सरकारी पत्रों या दस्तावेजों की नकलें प्राप्त करने की कोशिश करने और उनका रहस्य खुल जाने की प्रधान मंत्री भर्त्सना करती हैं । उल्लिखित मामले में उन्होंने कोई जांच कराना अथवा किसी कानून अधिकारी से परामर्श करना जरूरी नहीं समझा ।

लोहा तथा मैंगनीज के निर्यात का कम होना

1528. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से जापान को लोहे तथा मैंगनीज अयस्क को कम होते जा रहे निर्यात तथा जापानी आयातकर्ताओं द्वारा सप्लाई के अन्य स्रोतों, जैसे आस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि से माल का आयात करने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाने हेतु सरकार ने कोई जांच कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जापान को भारत के लोह तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यातकों में प्रतिवर्ष धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। जापानी बाजार में भारतीय अयस्कों को जिस प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, उसके सम्बन्ध में सरकार जागरूक है।

(ख) खानों के यंत्रीकरण, सड़क तथा रेल परिवहन में सुधार तथा विशाल जहाजों को ठहरा सकने में सक्षम गहरे स्थल वाले पूर्णतः यंत्रीकृत पत्तनों की व्यवस्था जैसी समेकित प्रायोजनाएं शुरू की गई हैं। इन प्रायोजनाओं के पूरा हो जाने पर भारतीय अयस्क अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतियोगी हो जायेंगे।

तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र

1529. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर ने पूर्ण क्षमता के व्यापारिक आधार पर कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) इसकी बिजली उत्पादन तथा करेंट-उत्पादन की क्षमता कितनी है ; और

(ग) इस बिजलीघर से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को किस दर पर बिजली बेची जा रही है तथा इन दोनों राज्यों के विद्युत बोर्डों द्वारा बेची जा रही बिजली की दरों की तुलना में ये दरें कितनी कम या अधिक हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर की शुद्ध उत्पादन क्षमता 380 मैगावाट है। बिजलीघर अब चालू होने की अवस्था में है और इसमें जब-जब जितनी-जितनी बिजली तैयार

होती है तब-तब वह सप्लाई कर दी जाती है। 15 जुलाई, 1969 तक, 16 करोड़ 80 लाख किलोवाट घन्टे मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा चुका है।

(ग) जब बिजली का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर होने लगेगा तब इसे 5.61 पैसे प्रति किलोवाट की दर से सप्लाई करने का प्रस्ताव है। इसकी बिक्री दर की तुलना बोर्डों द्वारा बेची जाने वाली बिजली की बिक्री दर से उचित नहीं क्योंकि बोर्डों द्वारा बेची बिजली की दर में बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने तथा उसके वितरण पर होने वाला व्यय भी शामिल होता है तथा साथ ही वह दर अलग-अलग किस्म के उपभोक्ताओं तथा बिजली के लोड के आधार अलग-अलग होती है।

वैदेशिक व्यापार से सम्बन्धित आंकड़े

1530. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वैदेशिक व्यापार आंकड़ों का संग्रह कम्प्यूटरों के द्वारा करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यापार तथा विदेशी मुद्रा के आंकड़ों पर गौर करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो 'कम्प्यूटर डेटा' पद्धति द्वारा अन्य क्या-क्या वाणिज्यिक महत्वपूर्ण जानकारी को रखे जाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। परन्तु व्यापार आदि से संबद्ध आंकड़ों में सुधार करने के लिये समय-समय पर कार्यकारी दल गठित किये जाते हैं। मंत्रिमण्डल सचिवालय ने एक परामर्श दल नियुक्त किया है जो सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अपनी सूचना पद्धतियों को सुचारू रूप देने और सरकारी गतिविधियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम्प्यूटर के समुचित प्रयोग को विकसित करने में सहायता देने के विषय में कम्प्यूटर केन्द्र को मदद देगा।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी वाणिज्यिक आसूचना के व्योरे तथा क्षेत्र को, विशेषतः निर्यातों पर प्रभाव डालने वाली वाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में विस्तृत करने का विचार है और ऐसा ख्याल है कि इस प्रकार की जानकारी को इलेक्ट्रानिक कमप्यूटर के प्रयोग द्वारा आसानी से संकलित, तैयार तथा अधिलिखित किया जा सकता है।

व्यापार संतुलन

1531. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-जून, 1969 का व्यापार संतुलन 1967 और 1968

की इसी अवधि की तुलना में बहुत अच्छा है ;

(ख) यदि हां, तो आयात तथा निर्यात के आंकड़ों समेत इन अवधियों के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत में अप्रैल, 1969 में पहली बार व्यापार संतुलन अनुकूल रहा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जून, 1969 मास के आयात तथा निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। जनवरी-मई, 1969 में, वर्ष 1967 तथा 1968 की उन्हीं अवधियों की तुलना में हमारे व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है जैसा कि नीचे दिये गये ब्योरे से स्पष्ट है :

करोड़ रुपये

अवधि	आयात	निर्यात	व्यापार संतुलन
जनवरी-मई '69	727.50	576.15	(—) 151.35
जनवरी-मई '68	888.95	507.46	(—) 381.49
जनवरी-मई '67	570.21	293.04	(—) 277.17

(ग) जी हां। आकड़े निम्नलिखित हैं :—

करोड़ रुपये

अवधि	आयात	निर्यात	व्यापार संतुलन
अप्रैल '69	118.19	125.56	(+)7.37

कोककर कोयले का निर्यात

1532. **श्री बी० शंकरानन्द** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को कोककर कोयले के निर्यात की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में घरों में इसकी वार्षिक औसत खपत कितनी है ; और

(ग) देश में अनुमानत: कितना कोककर कोयला है तथा जापान को कितना निर्यात करने की अनुमति है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जापान को अभी तक कोककर कोयले का कोई निर्यात नहीं किया गया है। परन्तु तदर्थ आधार पर कोककर कोयले के सीमित परिमाण के आयात के लिये जापान के अनुरोध पर बातचीत चल रही है।

(ख) हमारे देश के धातुकार्मिक उद्योगों द्वारा कोककर कोयले की औसत खपत लगभग 1 करोड़ 60 लाख मे० टन प्रतिवर्ष है।

(ग) धातुकार्मिक उद्योगों के उपयोग के लिये उपयुक्त कोककर कोयले के 134680 लाख मे० टन सकल भण्डार का अनुमान है जिसमें से बैरियरों, खनन तथा प्रक्षालन में नष्ट होने वाले परिमाण को छोड़कर 40150 लाख में० टन निबल उपलब्ध भण्डार का अनुमान है।

चाय बोर्ड के कर्मचारियों की मांगें

1533. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के अन्तर्गत कर्मचारियों, अधिकारियों तथा अन्य लोगों की संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड कर्मचारी संघ ने 22 मई, 1969 को बोर्ड के अध्यक्ष के सामने कर्मचारियों का नया मांग-पत्र प्रस्तुत किया था ; और

(ग) यदि हां, तो संघ द्वारा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत नये मांग-पत्र के संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) श्रेणी 1 के समकक्ष पदों पर 25 अधिकारी, क्षेणी 2 के समकक्ष पदों पर 10 अधिकारी, श्रेणी 3 के समकक्ष पदों पर 526 अधिकारी तथा श्रेणी 4 के समकक्ष पदों पर 286 अधिकारी हैं।

(ख) जी हां।

(ग) यह चाय बोर्ड के अध्यक्ष के विचाराधीन है।

Construction of Bareilly-Amingaon Road

1534. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction of Bareilly-Amingaon lateral road is essential keeping in view the security of people at Indo-Nepal and East Pakistan border ;

(b) if so, the reasons for which the work has been stopped ; and

(c) the time by which Government propose to complete the road between Darbhanga and Purnea which is lying in a half-constructed state ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The construction improvement of the Bareilly-Amingaon lateral road which was taken up primarily to serve the economic development requirements has been slowed down due to financial stringency so that the available funds could be utilised for construction of other strategic roads on a priority basis. The existing road communications in the area are considered adequate from the defence point of view.

(c) The portion between Forbesganj and Purnea is expected to be completed by the end of 1971. The construction of the link roads between the Forbesganj and Darbhanga have been given a low priority.

Closure of Textile Mills in Indore

1535. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four out of six textile mills in Indore were closed on the 19th June, 1969 ;

(b) whether the reason therefor was discrimination based on casteism and if so, the details of point of differences of opinion which led to closure of the mills ; and

(c) the action being taken to check and remove the discrimination based on caste and communal consideration in mills in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Import of Fertilisers

1536. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of countries with which Government concluded agreements for the purchase of fertilisers this year ;

(b) the terms of agreements and the rate at which fertilisers were sent from various countries ;

(c) the percentage increase in this rate on its arrival in India ;

(d) the difference which would exist between the price at the place of despatch and the price at which the farmer could get it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d) Two statements in respect of the purchases of fertilisers are attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 1441/69]** These do not include the purchases effected by the State Trading Corporation.

पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा के आस-पास बांधों का निर्माण

1537. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1969 को "त्रिपुरा टाइम्स" में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है, जो त्रिपुरा के राज्य क्षेत्र के आस-पास अनेक स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा बांधों के निर्माण के बारे में, जैसे हावड़ा नदी तथा मुहूरी नदी पर, जिनके कारण नदी जल का प्राकृतिक बहाव बुरी तरह रुक गया है और परिणामत: त्रिपुरा में भारतीय राज्य क्षेत्र में भारी बाढ़ें आती रहती हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र को उनके द्वारा पैदा किये गये खतरे की गम्भीरता का पता लगाने की दृष्टि से किये गये सर्वेक्षण के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बांधों को गिराने या उनमें परिवर्तन कराने के लिये क्या

कार्यवाही की गई है और की जा रही है ताकि भारतीय राज्य क्षेत्र को उनसे खतरा न पैदा हो सके ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां, "त्रिपुरा टाइम्स" की खबर सरकार ने देखी है ।

अगरतल्ला के सामने पाकिस्तान ने जो निर्माण किया है, उसका असर हावड़ा और जाजी नदियों की बाढ़ के पानी के सहज बहाव पर और कल्पनिया तथा अखौरा नालों के बहाव पर पड़ेगा जिससे भारतीय प्रदेश में पानी भर जायेगा । पूर्व पाकिस्तान प्राधिकारियों से विरोध प्रकट करते समय कहा गया है कि वे दोनों ओर के इंजीनियरों द्वारा जल्दी सम्मिलित निरीक्षण करवाने पर राजी हो जाएं । बचाव की दिशा में भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

मुहुरी नदी पर पाकिस्तान की ओर से जो निर्माण किया गया है, वह ऐसा है कि उससे भारतीय भूमि में कटाव होता है । रक्षा उपाय बरतने के अतिरिक्त इस निर्माण के खिलाफ पाकिस्तानी प्राधिकारियों से विरोध भी प्रकट किया गया है ।

मैथिली के लिये पृथक राज्य

1538. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कालिदास समारोह के अवसर पर 7 जून, 1969 को मधुवनी में एक वक्तव्य दिया था कि जब भाषा के आधार पर राज्य बनाये गये हैं और बनाये जा रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि मैथिली के लिए एक पृथक राज्य न हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान-मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). रक्षा उत्पादन मंत्री, श्री एल० एन० मिश्र के कथनानुसार कालिदास समारोह के अवसर पर 7 जून, 1969 को सौरठ (दरभंगा) में मिथिला क्षेत्र के निवासियों ने उन्हें एक मान-पत्र भेंट किया था । उन लोगों ने उन्हें एक शिकायत-पत्र भी दिया था, जिसमें दरभंगा जिले के लोगों की दुर्दशा का जिक्र किया गया था । इस जिले में प्रायः मिथिला क्षेत्र ही आता है । मानपत्र और शिकायत-पत्र के उत्तर में राज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें मिथिला क्षेत्र के निवासियों की दुर्दशा देख कर दुःख हुआ । उन्होंने यह भी कहा कि मैथिली एक समृद्ध भाषा है, और इस भाषा के विकास के लिये सभी संभव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । जहां तक अलग मिथिला राज्य की मांग का संबंध है, मंत्री ने केवल इतना कहा था कि यद्यपि उन्हें उन मूलभूत तथ्यों से जिन पर मांग आधारित है, पूरी सहानुभूति है, तथापि उनके विचार में, इस

मांग को पेश करने के लिये उपयुक्त अवसर राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने ही था। उन्होंने इस बात पर अवश्य बल दिया कि मैथिली भाषा को लोक-प्रिय बनाने और उसे अधिक समृद्ध करने तथा उस क्षेत्र के आर्थिक दशा सुधारने की हर कोशिश की जानी चाहिये। मैथिली भाषा के विकास के लिये उन्होंने लोगों को अपने द्वारा समर्थन दिये जाने का आश्वासन दिया।

एशियाई प्रसान्त परिषद का मंत्री स्तर का सम्मेलन

1539. **श्री म० सुदर्शनम् :** **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री शिवचन्द झा : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने एशियाई प्रशान्त परिषद के मंत्री स्तर के चौथे सम्मेलन में, जो जापान में क्वाना में हुआ था, भाग नहीं लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने एशियाई और प्रशान्त परिषद का सदस्य बनना अस्वीकार कर दिया है। इसलिये उसके भाग लेने का प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा पश्चिम जर्मनी द्वारा रसायनिक तथा किटाणुयुक्त हथियारों का तैयार किया जाना

1540. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि गुप्त आयुधशालाओं में विशेष रूप से अमरीका और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों में, मानव जीवन के सामूहिक विनाश के रासायनिक तथा कीटाणुयुक्त हथियारों का तेजी से विकास किया जा रहा है।

(ख) क्या सरकार को मास्को के एक साप्ताहिक पत्र 'न्यू टाइम्स' के 28 मई, 1968 के अंक में प्रकाशित सोवियत संघ के वैज्ञानिकों द्वारा की गई अपील की जानकारी है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से इस अनिष्टकारी कार्य पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 1925 का जिनेवा नयाचार जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, युद्ध में रासायनिक एवं जैविकीय शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ

की महासभा के उन प्रस्तावों का समर्थन किया है, जिनमें सभी राज्यों से इस नयाचार से सहमत होने का आग्रह किया गया है ।

हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने रासायनिक एवं जीवाणु (जैविकीय) शस्त्रों और उनके संभावित प्रयोग के प्रभावों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 14 विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी जिनमें एक भारतीय विशेषज्ञ था । यह रिपोर्ट जिनेवा में निरस्त्रीकरण समिति के सामने पेश कर दी गई है, जो युद्ध में इन शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के तरीकों और उपायों पर ही अभी विचार नहीं कर रही है, प्रत्युत उनके उत्पादन और जमा करने पर भी प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

सरकार ऐसे सभी प्रयासों का समर्थन करेगी, जो इन शस्त्रों के उत्पादन और प्रयोग पर विश्वजनीन तथा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाने और उनका पूर्णरूप से परित्याग करने के लिए किए जाएंगे ।

हिन्द महासागर के देशों को सहायता

1541. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर के क्षेत्र के देशों की अर्थ-व्यवस्था में सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि वे विदेशी आक्रमण से रक्षा कर सकें ;

(ख) उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उसका कोई परिणाम निकला है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). किसी भी देश का आर्थिक विकास उसका घरेलू मामला होता है जिसका निर्णय करना उस देश का ही काम है । भारत से जब कभी भी सीधे ही अथवा क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता के लिए प्रार्थना की गई है, तभी हमने अपने संसाधनों के अनुरूप यथासम्भव सहायता करने की कोशिश की है ।

प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान की सिफारिशें

1542. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान की सिफारिशों के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में टैंक भेदी प्रक्षेपणास्त्र पेट्रोल से चलने वाले तीव्र गति वाले जहाज, भूमि से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र तथा बममार तारपीडो आदि अस्त्रों के निर्माण के लिए कोई उपबन्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). इन्स्टीच्यूट आफ डिफेन्स स्टडीज और अनेलिसिज द्वारा सरकार को कोई स्पष्ट सिफारिशें नहीं की गई हैं। तदपि, इन मदों के लिये रक्षा योजना में उपबन्ध किया गया है। अधिक विस्तार प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

उड़ीसा के लिये चौथी योजना

1543. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए अन्तिम स्वीकृत लक्ष्य क्या है ; और

(ग) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार कितने संसाधन जुटाने के लिये सहमत हो गई है तथा वे स्रोत कौन से हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). पिछले अप्रैल को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज "चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) प्रारूप" के पृष्ठ 98-99 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

पारपत्र के लिये यात्रा अभिकरणों द्वारा आवेदन-पत्र दिया जाना

1544. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मान्यताप्राप्त यात्रा अभिकरण विदेश जाने के हेतु पारपत्र लेने के लिये अपने ग्राहकों की ओर से आवेदन पत्र दे सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इन मान्यताप्राप्त यात्रा अभिकरणों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से पिछले तीन वर्षों में कितने आवेदन पत्र दिये गये हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये यात्रा अभिकरणों को मान्यता देने की कसौटी क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। लेकिन, पासपोर्ट के लिये आवेदन-पत्र खुद उसी व्यक्ति को भरकर और हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जो विदेश जाना चाहता हो।

(ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) आमतौर से उन यात्रा अभिकरणों को ही मान्यता प्रदान की जाती है जो भारत की ट्रेबल एजेंट्स अथवा 'इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन' के सदस्य हैं और जिन्हें पर्यटन विभाग से भी मान्यता प्राप्त होती है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा कच्चे माल का आयात

1545. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड उसके द्वारा तैयार किए जा रहे माल के निर्माण के लिये कच्चे माल का आयात करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितने कच्चे माल का आयात किया गया और उससे कितने मूल्य के माल का निर्माण किया गया ; और

(घ) कच्चे माल का आयात कम करने के लिये क्या विभिन्न उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। एच० ए० एल० द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थ, कि जो देश में प्राप्य नहीं है, कुछ हद तक आयात किए जाते हैं।

(ख) इसका मुख्य कारण है, देश में आवश्यक ब्योरों के आवश्यक द्रव्यों की अप्राप्यता।

(ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) एरोनाटिक्स सामान के देशीय निर्माण की स्थापना के लिये यत्न दिए जा रहे हैं। वैमानिक चादरों का काफी अंश देशीय साधनों से पहले ही पूरा किया जा रहा है। एच० ए० एल० द्वारा आवश्यक ढले पुर्जों और फोर्जिंग्ज के निर्माण के लिये सुविधायें स्थापित की जा चुकी हैं। वैमानिकी सामान के समन्वय, मार्ग प्रदर्शन, देशीय विकास में प्रगति के लिये वैमानिक पुर्जों के लिये एक कमेटी स्थापित की गई है। तदपि अधिकतम हालतों में आवश्यक राशियां बहुत कम हैं, और इस काम में यह एक गम्भीर परिसीमा है।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सैनिक स्कूल

1546. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे केन्द्र प्रशासित क्षेत्र जैसे अन्दमान और निकोबार द्वीप, गोआ, दमन और दीव, मनीपुर, त्रिपुरा, लक्कादीव, अमीनदीवी तथा मीनीकाय द्वीपों और दिल्ली में सैनिक स्कूलों की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिये वर्तमान सैनिक स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था का ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संघीय क्षेत्रों में कोई सैनिक स्कूल नहीं है।

(ख) संघीय क्षेत्रों के लड़कों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए अखिल भारत प्रविष्टि

परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, और अगर उसमें वह उत्तीर्ण हो तो उन्हें पड़ोस के राज्यों के सैनिक स्कूलों में स्थान प्राप्त किये जाते हैं।

अन्दमान, निकोबार, लक्काद्वीप, अमीनीद्वीप और मिनिकाय द्वीपों की हालत में, यदि प्रविष्टि परीक्षा के लिये छात्र हों तो इन द्वीपों में विशेष परीक्षा केन्द्र स्थापित किए जाते हैं।

हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली

1547. **श्री स० अ० अगडी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितना मूल्य बताया गया है और क्या सौदा तय हो गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय आन्ध्र प्रदेश सरकार को उक्त भवन का कितना किराया दिया जाता है और यह कब से ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1954 ई० से प्रति वर्ष 1,25,000 रुपये।

बम्बई में भारतीय वायु सेना के मौसम विज्ञानालय में भूकम्प-लेखी यन्त्र के बिना कार्य का किया जाना

1548. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में भारतीय वायुसेना के मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्यालय में भूकम्प-लेखी यंत्र के बिना ही कार्य होता है और जिसके फलस्वरूप यह कार्यालय भूकम्पों के अधिकेन्द्र का लेखा रखने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र को भूकम्प-लेखी यंत्र से युक्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) आई० ए० एफ० ने बम्बई में कोई मौसम विज्ञानालय स्थापित नहीं किया है। सांताक्रूज हवाई अड्डे के असैनिक मौसम विज्ञानालय की सेवाओं का आई० ए० एफ० द्वारा उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारी पानी संयंत्र

1549. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत को भारी पानी की आवश्यकता इस समय उत्पादित मात्रा से कई गुना अधिक है, देश में और अधिक भारी पानी संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर इन संयंत्रों को स्थापित करने का विचार है और इनकी क्षमता कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के नांगल स्थित भारी पानी उत्पादन संयंत्र के अतिरिक्त एक संयंत्र कोटा (राजस्थान) में लगाया जा रहा है जिसकी क्षमता एक सौ मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी । फर्टिलाइजर संयंत्रों में अमोनिया के उत्पादन के साथ साथ भारी पानी का उत्पादन करने की योजना विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा नारियल जटा सम्बन्धी अनुसंधान

1550. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने खाद्य तथा कृषि संगठन को नारियल जटा के संबंध में अनुसंधान करने के बारे में लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और खाद्य तथा कृषि संगठन की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशों में संश्लिष्ट, सूत्र उद्योग के बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा से नारियल जटा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्ययन दल ने पहले ही कड़े रेशों, जिनमें सीसल, गौरशण तथा मनीला सन (अबाका) शामिल हैं, पर एक अध्ययन किया है ताकि वह कड़े रेशे के बाजारों में अधिक स्थायित्व तथा अर्थ-क्षमता लाने हेतु उपायों की सिफारिश कर सके और

आयातक तथा निर्यातक, दोनों देशों को स्वीकार्य मूल्यों पर विश्व मांग तथा संभरण में संतुलन लाने के उद्देश्य से निर्यात के स्तरों का भी सुझाव दे सके। चूंकि नारियल जटा भी एक कड़ा रेशा है अत: यह महसूस किया गया कि यदि खाद्य तथा कृषि संगठन नारियल जटा पर भी इसी प्रकार का अध्ययन कर सके तो इससे भारत (जो विश्व में नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों का मुख्य उत्पादक तथा संभरक है) को लाभ होगा। खाद्य तथा कृषि संगठन भारत के सुझाव से सहमत हो गया है और उसने नारियल जटा पर एक नोट भी टिप्पण किया है जो खाद्य तथा कृषि संगठन की परामर्श उप-समिति के आगामी सत्र में विचारार्थ रखा जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वत: आयोजन परिकलन पद्धति (आटोमैटिक-सिस्टम आफ प्लानिंग कैलकुलेशन)

1551. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्वत: आयोजन परिकलन पद्धति का विकास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत को जिन विकास सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर लागू होने योग्य कोई स्वत: आयोजन परिकलन पद्धति नहीं है। बहरहाल, आयोजन परिकलनों में सुधार लाने का और इलेक्ट्रोनिक संगणकों के अधिक उपयोग वाले विश्लेषण तथा आंकड़े तैयार करने की आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करने का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है।

सिंगापुर में एशिया के विकासशील देशों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करना

1552. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1969 में हुए इकाफे के अधिवेशन में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गये छ: सूत्री कार्यक्रम को विभिन्न देशों ने किस सीमा तक लागू किया है ; और

(ख) क्या सरकार इससे संतुष्ट है और इसको ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). अप्रैल, 1969 में सिंगापुर में हुए इकाफे के 25वें अधिवेशन द्वारा अनुमोदित व्यापार

उदारीकरण के छः सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये इकाफे के कार्यपालक सचिव प्रयत्न कर रहे हैं। इकाफे सचिवालय में स्थापित कृतिक बल इस समय देशवार तथा उत्पादवार प्रस्तावों को विस्तार से तैयार करने में व्यस्त है। आशा है कि इन प्रस्तावों पर अक्तूबर, 1969 में तेहरान में होने वाली अंतरक्षेत्रीय व्यापार संवर्द्धन वार्ताओं के दौरान तथा बाद में दिसम्बर, 1969 अथवा जनवरी, 1970 में बैंकाक में होने वाली सरकारी विशेषज्ञों की बैठक में विचार किया जायेगा।

पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी माल का निर्यात

1553. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी को भारतीय इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिए पश्चिम जर्मन संघीय गणराज्य और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच हाल में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जर्मन संघीय सरकार ने क्या सुविधायें प्रदान करने की पेशकश की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) हाल ही में जुलाई में हुई बातचीत भारतीय इंजीनियरी माल के निर्यात-संवर्धन के लिये 14 दिसम्बर, 1967 को किये गये भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग करार के अनुपूरक करार की अवधि बढ़ाने से सम्बन्धित थी। इस करार के अन्तर्गत जर्मन की संघीय सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं विपणन प्रबन्धकों तथा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों को जर्मनी में प्रशिक्षण देने, बाजार अन्वेषण, इंजीनियरी उत्पादों के विकास, इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात के प्रचार, विकास तथा संवर्धन के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् को सलाह तथा सहायता देने के लिए विशेषज्ञों के एक दल को भारत भेजने से सम्बन्धित थी। वर्धित प्रायोजना के ब्योरों पर दोनों सरकारों द्वारा अभी और भी विचारविमर्श करके उसे अन्तिम रूप दिया जाना है। प्रायोजना को अगले दो वर्ष अर्थात सितम्बर, 1971 तक बढ़ाये जाने की संभावना है।

Export of Engineering Goods

1554. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the details of the agreements signed with the Governments of Poland, Hungary, Formosa, Sudan, Thailand, Ceylon and Burma for exporting engineering goods ; and

(b) the goods that would be imported from the said countries in lieu of India's exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Out of these countries, we have trade agreements/ arrangements with Poland, Hungary, Sudan, Thailand and Ceylon. Only the Trade Agreements concluded with Poland and Hungary provide specifically for the export of engineering goods. Although in the Agreements with Sudan, Thailand and Ceylon, there is no specific provision for the export of engineering goods, they can be exported under the general provisions of these Agreements.

Engineering goods are exported as a part of over-all exchange of goods contemplated in these Trade Agreements and there is no question of any particular items to be imported specifically against their export.

Replacement of English Badges by Hindi Badges

1555. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether any scheme is under consideration to replace the badges of the Indian Army Jawans, which are still in English, by Hindi badges ;

(b) if so, when this work would be completed ; and

(c) the estimated expenditure which Government would have to incur thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). A decision has been taken by Government to replace existing Cap/Pagri badges of all Regiments/Corps which have English inscriptions, by badges with Hindi inscriptions. The introduction of badges with Hindi inscriptions, however, has to be processed, keeping in view the need for devising and getting approved the pattern of replacements and also to ensure that expenditure already incurred on English badges in stock is not rendered infructuous. Though it is not possible to indicate the date by which the work will be completed, the work is already in hand, keeping in view the objectives indicated.

नायलान धागे की कताई मिलें

1556. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायलान धागे की चार एकाधिकार प्राप्त कताई मिलों ने बजट के बाद उत्पादन शुल्क के कम किये जाने का उपभोक्ताओं को लाभ नहीं दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वास्तव में उन्होंने नायलान के धागे की कुछ किस्मों के दाम मई, 1969 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिये थे, जिसके बाद भारत के पश्चिमी घाट पर तस्कर व्यापार की गतिविधियां बढ़ गई थीं ;

(ग) क्या सप्लाई सुविधाजनक बनाने तथा बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सरकार का विचार इस क्षेत्र में कुछ और मिलों की स्थापना की स्वीकृति देने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम से अपने आयात लाइसेंसों का उपयोग करने का तथा आयातित माल को बाजार में बेचने के लिये कहने का है ताकि आगामी अधिक काम वाले सीजन में मूल्य कम किये जा सकें ; और

(ङ) यदि भाग (ग) और (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल तथा मई 1969 में नायलोन धागे के उपभोक्ता मूल्यों में कुछ वृद्धि दिखाई दी। किन्तु, यह कहना ठीक नहीं कि 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। कतिपय नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के परिणाम स्वरूप कुछ समय से नायलोन धागे के मूल्य गिरने लगे हैं।

(ग) और (घ). जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेयन सूत के मूल्य

1557. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट के पश्चात् रेयन सूत के मूल्यों में 8 से 10 प्रतिशत तक या इससे भी अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) देश में रेयन सूत उत्पादों की संख्या क्या है तथा उत्पादन तथा मूल्य के मामलों में उनका क्या अंशदान है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्ति की परिस्थितियों को सरल बनाने के लिये देश में नई यूनिटों की स्थापना की स्वीकृति देने का तथा इस उद्योग में प्रतियोगिता लाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) कतिपय डैनियर के रेयन धागों के मूल्यों में बजट के बाद 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख)

	उत्पादक का नाम	1968 के उत्पादन पर आधारित प्रतिशत अंश	
		उत्पादन प्रतिशत	मूल्य प्रतिशत
1.	मै० नेशनल रेयन कारपोरेशन, बम्बई	22.0	28.5
2.	मै० सेन्चुरी रेयन, बम्बई	25.8	23.3
3.	मै० ट्रावनकोर, केरल	3.7	3.0
4.	मै० इण्डियन रेयन कारपोरेशन, गुजरात	5.6	6.1
5.	मै० बड़ौदा रेयन कारपोरेशन, सूरत	7.5	10.2
6.	मै० जे० के० रेयन्स, कानपुर	6.8	5.8
7.	साउथ इण्डिया विस्कोस, कोयम्बतूर	7.4	7.3
8.	मै० केसोराम रेयन्स, कलकत्ता	16.3	9.5
9.	मै० सरसिल्क, आंध्र प्रदेश	4.9	6.3

(ग) और (घ). प्रतियोगिता का अंश तो पहले से ही विद्यमान है क्योंकि वहां 9 इकाइयां पहले से मौजूद हैं। रेयन उद्योग का और अधिक विस्तार करना कच्चे माल की स्वदेश में उपलब्धि पर निर्भर होगा।

चीन द्वारा बनाए जाने वाले परमाणु प्रक्षेपणास्त्र

1558. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित आस्ट्रेलिया के एक पत्रकार श्री फ्रांसिस जेम्स (जो इस वर्ष चीन गये थे) की हाल ही की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि चीन परमाणु प्रक्षेपणास्त्र बना रहा है और वह शीघ्र ही 6000 मील के निशान पर उसका परीक्षण करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रक्षेपणास्त्र का भारत की सुरक्षा सम्बन्धी तैयारी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मूल्यांकन किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। जैसा कि 19 फरवरी, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर में बताया गया है, यह ज्ञात है कि चीन अन्तर्द्वीपीय बालिस्टिक मिजाइलों के विकास में प्रवृत्त है, परन्तु ऐसे कोई स्पष्ट इशारे प्राप्य नहीं कि ऐसे किसी मिजाइल का कब और कहां परीक्षण किया जाएगा।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में सरकार का निर्धारण सदन को 23 जुलाई, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के उत्तर में सूचित कर दिया गया है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

1559. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिकतम राडार और सूक्ष्म तरण उपकरणों की मांग पूरी करने के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के अधीन एक नया कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). इस उद्देश्य के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की एक नई यूनिट स्थापित करने का निर्णय सिद्धान्ततः लिया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में विस्तारों की अन्तिम रूपरेखा अभी तैयार की जानी है।

विमानों के पुर्जे बनाना

1560. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में विमानों के पुर्जे बनाने के लिये सुविधाएं

देने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) असेसरी फैक्टरी एच० ए० एल० के एक अलग डिवीजन के तौर पर स्थापित की जायेगी । यह विमान के विभिन्न असेसरीज का निर्माण हस्तगत करेगी, जैसे कि उड़ान तथा व्यापक औजार, परेशराईजेशन, वातानुकूल और आक्सीजन साजसामान, हाईड्रालिक साजसामान, पहिये और ब्रेकें और ईजेक्शन सीटें। प्रायोजना की अनुमानित सरमाया लागत 453 लाख रुपये है ।

(ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० ने प्रायोजना के लिये एक मुख्य प्रायोजना अधिकारी नियुक्त किया है, और फैक्टरी के निर्माण, संयंत्र और मशीनों की प्राप्ति इत्यादि के विस्तृत प्रायोजना हस्तगत है । एच० ए० एल० पहले से ही कई विदेशी निर्माताओं के साथ लाइसेन्स के लिए समझौता कर चुका है, और कई अन्य के साथ लिखा पढ़ी हो रही है । प्रायोजना के लिए स्थान भी चुन लिया गया है ।

पटसन उत्पादों के आयात सम्बन्धी ब्रिटेन की नीति

1561. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उत्पादों के आयात सम्बन्धी ब्रिटेन की नीति भारतीय पटसन उद्योग के लिये सहायक नहीं रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत से पटसन उत्पादों का निर्यात 1956 से घटता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) पटसन के माल के आयात के लिए ब्रिटेन की नयी नीति 1-5-1969 से लागू हुई । इस अवस्था में हमारे पटसन के निर्यातों पर इस नीति के प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) वर्ष 1956 से ब्रिटेन को होने वाले पटसन के बने सामान के निर्यात निम्नलिखित हैं:

				परिमाण हजार मे० टन में मूल्य लाख रुपये में	
वर्ष	हैसियन	बोरे	अन्य	कुल	मूल्य
1956–57	42.1	11.1	2.7	55.9	846
1957–58	27.3	8.7	2.4	38.4	560
1958–59	42.9	12.8	3.2	58.4	813
1959–60	36.2	12.1	3.2	51.5	716
1960–61	36.1	10.5	3.7	50.3	909
1961–62	28.3	9.4	3.1	40.6	764
1962–63	31.6	6.3	3.4	41.3	770
1963–64	32.4	7.9	3.0	43.3	716
1964–65	31.1	10.3	4.0	45.4	763
1965–66	31.9	4.4	3.0	39.3	834
1966–67	19.7	3.0	1.4	24.1	766
1967–68	29.9	3.7	1.5	35.1	1002
1968–69	13.4	0.7	0.8	14.9	447

(ग) उद्योग तथा निर्यातकों से कहा गया है कि वे ब्रिटेन को भारत के पटसन के माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए इस नयी योजना से, विशेषतः पुनर्निर्यात के लिए उदार आयातों से सम्बन्धित उपबन्धों से अधिकतम लाभ उठायें।

निर्यात किये जाने वाले माल के लिये क्षेत्रीय जांच-गृह (टेस्ट हाउस)

1562. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक क्षेत्रीय जांच-गृह स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कौन सा स्थान चुना गया है और इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). लोक-सभा में 23 अप्रैल, 1969 को श्री राम अवतार शर्मा द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 7303 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव में पर्याप्त वित्तीय परिव्यय होगा और अन्तिम विनिश्चय करने में कुछ समय लग सकता है।

एशिया के लिये सामूहिक सुरक्षा

1563. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कृ० दे० त्रिपाठी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में जापान तथा इंडोनेशिया के अपने दौरे में एशिया के लिए सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी योजना के बारे में बातचीत की थी ; और

(ख) क्या यह बातचीत प्रधान मंत्री श्री कोसीजिन के प्रस्तावित एशियाई सुरक्षा योजना के आधार पर की गई थी अथवा यह कोई नया प्रस्ताव था जो जापान अथवा इण्डोनेशिया में बातचीत में भाग लेने वालों में से किसी ने पेश किया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों को अन्य कार्यालयों में भेजना

1564. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अन्य सरकार-अर्ध सरकारी विभागों को भेजे जाने वाले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये आवेदन-पत्र आयुध कारखानों के महानिदेशक के माध्यम से भेजे जाते हैं जिसका कार्यालय कलकत्ता में है और जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश मामलों में ये आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि से बहुत बाद में उस कार्यालय में पहुंचते हैं जो आवेदन पत्र मंगवाता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि एक वर्ष में एक कर्मचारी के केवल दो आवेदन पत्र भेजे जाते हैं ;

(ग) क्या यह बात किसी कर्मचारी के जीवन में प्रगति करने का अवसर न देने के बराबर है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य कार्यालयों में आवेदन-पत्र भेजने की शक्ति महा प्रबन्धकों को देने का है अथवा किसी अन्य तरीके से इस सुविधा में सुधार करने का है जिससे विलम्ब कम हो और आवेदन-पत्र भेजने की संख्या की सीमा भी बढ़ा दी जाये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जबकि बाहर रोजगार के लिये प्रार्थना पत्र प्रायः स्वयं जनरल मैनेजरों द्वारा आर्डनेन्स फैक्टरियों औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में पाने वालों को सीधे भेजे जाते हैं अराजपत्रित कर्मचारियों से ऐसे प्रार्थना पत्र डाइरेक्टर जनरल आर्डनेन्स फैक्टरीज के माध्यम से भेजे जाते हैं। प्राप्ति पर प्रार्थना पत्रों का निरीक्षण किया जाता है, और यथासम्भव कम से कम विलम्ब सहित सम्बन्धित अधिकरणों को भेज दिये जाते हैं। हर प्रयत्न किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तिम तिथि से पहले भेज दिये जाएं।

(ख) वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार स्थायी वैज्ञानिकों और तकनीकी सेविवर्ग से दो प्रार्थना पत्र, और गैर-वैज्ञानिकों और गैर-तकनीकी सेविवर्ग से चार प्रार्थना पत्र एक वर्ष के दौरान बाहर रोजगार के लिये भेजे जा सकते हैं। अस्थायी सेविवर्ग से प्रार्थनाएं बिना किसी सीमा के भेजी जाती हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से पूरी की जाने वाली नियुक्तियों के सम्बन्ध में सेवा पर रहे सेविवर्ग से प्रार्थना पत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) चूंकि बाहर रोजगार के लिये प्रार्थना करने की कर्मचारियों को अनुमति है जैसे ऊपर स्पष्ट किया गया है, जीवन में उन्नति करने के लिये किसी कर्मचारी को अवसर देने की मनाही का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष के दौरान भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध सार्वजनिक सेवा के हित में माना जाता है।

(घ) उपरोक्त (क) तथा (ख) को सामने रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों में चार्जमैनों के मकान किराये भत्ते का भुगतान

1565. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्गों के कर्मचारियों को, जैसे आयुध कारखानों में कार्य करने वाले चार्जमैन हैं, महीने के तीसरे सप्ताह में मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता हैं कि इन कर्मचारियों को महीने के पहले सप्ताह में अपने मकान मालिकों को मकान का किराया देना पड़ता है और उन्हें बड़ी भारी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(घ) क्या उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों को वेतन के साथ मकान किराये के भत्ते का भुगतान करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। चार्जमैनों को मकान किराया भत्ते की अदायगी प्रायः मास के पहले काम करने के दिन उनके वेतन के साथ की जाती है। तदपि, उन चार्जमैनों को कि जो निश्शुल्क वास्य भवन के बदले मुआवजे के अधिकारी

हैं, ऐसा मुआवजा कई उपचारों के सम्पूर्ण होने के बाद मास के तीसरे सप्ताह अदा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). चूंकि मास के तीसरे सप्ताह तक, निश्शुल्क वास्य भवन के बदले मुआवजे की अदायगी की परम्परा, एक लम्बे अर्से से जारी है, उन्हें अपने मकान मालिकों को किराया अदा करने के सम्बन्ध में कर्मचारियों को किसी अकारण कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। तदपि, मास के पहले काम करने के दिन वेतन के साथ इस भत्ते की अदायगी का प्रश्न विचाराधीन है।

करनाटक सहकारी कपड़ा मिल

1566. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाटक सहकारी कपड़ा मिल बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मिल का कताई विभाग भी दो वर्ष पहले बन्द कर दिया गया था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). मिल का बुनाई विभाग, अपनी अलाभकर कार्य प्रणाली के कारण, 5 दिसम्बर, 1966 को बन्द हो गया था। इसी कारण से सम्पूर्ण मिल 30 जून, 1969 को बन्द हो गई थी।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सम्पत्ति का गबन

1567. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान में काश्मीर मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य की अरबों रुपयों की सम्पत्ति का गबन कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वह सम्पत्ति क्या है तथा उसका मूल्य कितना है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार को लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं। लेकिन, सरकार को ऐसी कोई और सूचना नहीं मिली है जिससे इन खबरों की पुष्टि होती हो।

सेना के सेवा निवृत्त अधिकारियों के लिये आवास की व्यवस्था

1568. **श्री द० रा० परमार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सेना से सेवा निवृत्त अधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के पश्चात अपने परिवारों के लिये निवास स्थान की तलाश करने में बड़ी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के सेवा निवृत्त अधिकारियों द्वारा अपने परिवारों के लिये कोई निवास स्थान प्राप्त करने हेतु उन्हें धन सम्बन्धी तथा कानूनी सहायता देने की कोई व्यवस्था है ;

(ग) क्या इस प्रकार के अधिकारियों के अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन हैं जिनमें इन व्यक्तियों के मकानों को खाली कराने के लिये, जिनमें इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी विभाग है, सहायता मांगी गई है ; और

(घ) इस प्रकार के अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सशस्त्र सेना से रिटायर होने वाले अफसरों द्वारा सामना की गई समस्याओं के प्रति सरकार सजग है ।

(ख) सेवा अफसरों को नियमों के अनुसार भवन निर्माण के लिए ऋण दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कम आय और मध्यम आय वर्ग भवन योजना के अन्तर्गत लम्बे अस के ऋण मकानों के निर्माण के लिये दिये जाते हैं, और रक्षा सेविवर्ग को ऐसे ऋण देने के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों की सैनिक समितियों-सहकारी समितियों के लिये जहां सम्भव होता है भूमि लेने में सहायता दी जाती है ।

(ग) तथा (घ). समय समय पर प्राप्त हुए अभिवेदनों का निरीक्षण किया जाता है, और मैरिट के अनुसार उन पर कार्य किया जाता है। कुछ हालतों में मालिकों को खाली कब्जा लौटा पाना सम्भव हो पाया है ।

सैनिक कर्मचारियों के मकानों का अधिग्रहण

1569. **श्री द० रा० परमार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1963 में सैनिक कर्मचारियों के मकानों का अधिग्रहण न करने की नीति बनाई थी और इसके अनुसार राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया था कि वे इस प्रकार के मकानों का अधिग्रहण न करें और जिनका अधिग्रहण उनके मालिकों को अपने उपयोग के लिये आवश्यकता पड़ने पर पहले किया जा चुका है, उनका अधिग्रहण मोचन करके उन्हें लौटा दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या यही नीति उनके मंत्रालय को माननी जरूरी है ;

(ग) क्या बम्बई, कानपुर, पूना, मेरठ आदि के छावनी क्षेत्रों में इस प्रकार के मकान किराये पर लिये हैं जिन्हें सैनिक कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर खाली नहीं किया जा

रहा है जब कि उनको अपने मकानों की अपने उपयोग के लिये आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). आपात स्थिति के समय राज्य सरकारों को पत्र जारी किये गये थे कि जिससे सेवा सेविवर्ग के नैतिक स्तर ऊंचा रखना अभिष्ट था। अन्य बातों सहित कहा गया था कि यथासम्भव सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग के मकान अर्जित न किये जाएं, और ऐसी हालतों में जहां अर्जन पहले किया जा चूका हो, किसी मकान को अर्जन से विमुक्त कर दिया जाये। यदि मकान सेवा कर रहे व्यक्ति को मकान अपने लिये आवश्यक हो।

सरकार द्वारा इस नीति का अनुसरण जारी है; तदपि, ऐसे मामले हैं कि जहां छावनियों में कई अधिगृहीत या सरकार के पास पट्टे में कई मकान जो सेवा कर रहे सेविवर्ग की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिये लिये गये थे, कई सेवा सेविवर्ग द्वारा खरीदे गये हैं। ऐसे मकानों को अर्जन से विमुक्त करने, या अन्यथा विमुक्त करने सम्बन्धी प्रार्थनाओं पर मेरिट के अनुसार विचार किया जाता है, परन्तु जब तक सेविवर्ग के लिये मकानों की कमी विद्यमान है, स्पष्ट है कि ऐसे सभी मकानों को विमुक्त पर पाना वांछनीय न होगा, क्योंकि इससे सेवा कर रहे सेविवर्ग के लिये मकानों की प्राप्यता पर और अधिक असर पड़ेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना

1570. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस वार्षिक योजना को गत आय-व्यय सत्र में प्रस्तुत किया जाना था जो सांकेतिक चौथी योजना का क्रियान्वयन भाग कहलाता है ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उसके सभा पटल कब तक रखे जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वार्षिक योजना 1969-70 के बारे में एक दस्तावेज, जिसमें केन्द्र, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रस्तावों का समावेश हो, पिछले बजट सत्र में संसद में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना था। केन्द्र के लिये वार्षिक योजना प्रस्तावों को 1969-70 के बजट प्रस्तावों में समाविष्ट किया गया था और अलग से 'योजना अनुसूचियां और सारे' नामक दस्तावेज भी दिया गया था। इसी प्रकार राज्य सरकारों ने योजना परिव्ययों का अपने क्रमिक बजटों में समावेश किया है।

(ख) कतिपय भौतिक तथा वित्तीय आंकड़े देरी से प्राप्त होने के कारण इसकी तैयारी में देरी हुई।

(ग) वार्षिक योजना 1969-70 के सम्बन्ध में एक दस्तावेज यथाशीघ्र सभा पटल पर सूचनार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

पटसन का उत्पादन

1571. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पटसन का कितना उत्पादन हुआ, निर्यात हुआ और देश में कितनी खपत हुई;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि में पटसन के निर्यात में कुछ कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) विगत तीन वर्षों में कच्चे पटसन का उत्पादन, निर्यात तथा आन्तरिक खपत निम्नलिखित रही है :

(लाख गांठों में)

वर्ष जुलाई-जून	उत्पादन	निर्यात	आन्तरिक खपत
1965-66	57.56	1.19	70.92
1966-67	65.79	2.07	66.47
1967-68	74.99	0.87	65.72

(ख) से (ङ). सोवियत संघ को होने वाले सीमित निर्यातों को छोड़कर भारत अन्य किसी देश को कच्चे पटसन का निर्यात नहीं करता क्योंकि शेष माल देश में ही खप जाता है । कमी के वर्षों में भारत पटसन का आयात भी करता है । कच्चे पटसन के निर्यात के बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय राजदूत को पेकिंग में इधर-उधर जाने की अनुमति

1572. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने पेकिंग स्थित ब्रिटिश कार्य-वाहक दूत को पेकिंग से बाहर जाने और यात्रा करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की अनुमति भारतीय राजदूत को भी दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

भारत के प्रति चीन का रवैया

1573. **श्री य० अ० प्रसाद :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काबुल में भारत के प्रधान मंत्री के सम्मान में आयोजित समारोहों में चीन के प्रतिनिधि के भाग लेने से क्या भारत के प्रति चीन सरकार के रवैये में परिवर्तन का संकेत मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत के प्रति चीन के रवैये में हम कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखते । काबुल में प्रधान मंत्री के सम्मान में आयोजित उत्सव में चीनी राजनयिक द्वारा भाग लेना, सामान्य राजनयिक व्यवहार के अनुरूप ही है जो हाल के महीनों में चीनियों में देखने में आ रहा है ।

जहाजरानी के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता

1574. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री विभूति मिश्र :
डा० सुशीला नैयर :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री रवि राय :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत के बीच जहाजरानी तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य बातों पर वार्ता होगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) भारत, सं० अ० गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक सहयोग पर त्रिपक्षीय सहयोग सम्बन्धी द्वितीय मन्त्रिस्तरीय बैठक 15 तथा 16 जुलाई, 1969 को काहिरा में हुई थी । इस समय दिल्ली में बैठक करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) मन्त्रियों ने त्रिपक्षीय कार्य की प्रगति की केवल जहाजरानी के विषय में ही समीक्षा नहीं की अपितु व्यापार, टैरिफ तथा पर्यटन, औद्योगिक विकास, विज्ञान तथा औद्योगिकी, दूर-संचार, बैंकिंग तथा बीमा के विषय में भी समीक्षा की थी । काहिरा बैठक में किए गए मुख्य निर्णयों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1442/69]

हिंडन वायुसेना केन्द्र में सेवानिवृत्त वायु सेनाध्यक्ष अर्जुन सिंह के सम्मान में हुआ बिदाई समारोह

1576. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिंडन वायु सेना केन्द्र में भूतपूर्व वायु सेनाध्यक्ष अर्जुन सिंह के सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में वायु सेना के अधिकारियों और उनकी पत्नियों को एक मिग विमान और एक जीप को रस्सियों की सहायता से खींचने के लिए मजबूर किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की दास वृत्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) परम्परा और रीति के अनुसार हिंडन में एक विदायगी समारोह में एयर चीफ मार्शन अर्जुन सिंह को वहन करते वायु सेना के एक विमान को धरातल पर अफसरों द्वारा खेंचा गया था, और श्रीमती अर्जुन सिंह को वहन करने वाली जीप गाड़ी को महिलाओं द्वारा सर्वथा स्वेच्छिक आधार पर किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रैडफोर्ड ज्यूरी की सूची में भारतीयों का निष्कासन

1577. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड की सरकार ने इस शिकायत की जांच पूरी कर ली है कि भारतीय आप्रवासियों को उत्तरी इंगलैंड में ब्रैडफोर्ड ज्यूरी की सूची से निकाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ब्रैडफोर्ड के स्थानीय अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है । उन्होंने अनुदेश जारी किया है कि जब दूसरी बार मतगणना रजिस्टर तैयार किया जाएगा तो उन सभी भारतीयों को दिखाया जाएगा जो अभिनिर्णायक सेवा के लिए योग्य हैं । आगामी मतगणना रजिस्टर अक्तूबर, 1969 में तैयार किया जाएगा ।

राज्यों द्वारा संसाधन जुटाया जाना

1578. **श्री स० कुण्डू :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से कितनी धनराशि एकत्र की जायेगी और उन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता अथवा अनुदान के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी;

(ख) योजना सम्बन्धी खर्च के अतिरिक्त 6 पिछड़े राज्यों में बांटने के लिये कितनी धनराशि अलग रखी जायेगी; और

(ग) इस प्रकार की कितनी धनराशि उड़ीसा को दी जायेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पिछले अप्रैल, को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत 'चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) प्रारूप' के दस्तावेज अध्याय 3—योजना की रूपरेखा के अनुबन्ध 2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) और (ग). पिछड़े राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में जिस विशेष तत्व का समावेश किया गया है उसे राज्यों को आवंटित की जाने वाली कुल सहायता में पहले ही प्रतिबिम्बित किया जा चुका है।

बल्गारिया के साथ व्यापार

1579. **श्री न० रा० देवघरे :**

श्री स० कुण्डू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में बल्गारिया के दूतावास के वाणिज्य परामर्शदाता के उस वक्तव्य के बारे में पता है जो कि उन्होंने बल्गारिया को निर्यात किये जाने वाले भारतीय माल के दोषों के बारे में कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या दोष बताये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जहां तक सरकार को जानकारी है श्री बी० रशकोव ने, जो अभी तक भारत में बल्गारिया के वाणिज्य परामर्शदाता थे, बल्गारिया को निर्यात किये जाने वाले भारतीय माल के दोषों के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। बल्गारिया जनवादी गणतन्त्र के राजदूतावास ने मुख्य रूप से, निकट भविष्य में बल्गारिया के प्लोदिव में हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये 3 जुलाई, 1969 को एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई थी। भारत-बल्गारिया व्यापार के सम्बन्ध में पूछे गये कतिपय प्रश्नों का उत्तर देते हुए बल्गारिया के वाणिज्य-परामर्श-दाता ने अन्य बातों के साथ-साथ एक भारतीय फर्म द्वारा एक निर्यात क्रयादेश पूरा न किये जाने का उल्लेख किया था। इस विशिष्ठ मामले की जांच की जा रही है।

इथोपिया के साथ करार

1580. **श्री स० कुण्डू :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1969 में अदीस अबाबा में भारत तथा इथोपिया के बीच एक तकनीकी करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । इस वर्ष 2 जून को इथोपिया की सरकार के साथ तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग पर करार हुआ था ।

(ख) इस करार का उद्देश्य तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना है जिसे दोनों सरकारें अपने-अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभदायक समझें । इसमें तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाओं, विशेषज्ञों की सुविधाओं के, तकनीकी उपकरण और प्रलेखीकरण, पुस्तकें, प्रकाशन और दूसरी सूचना सामग्री का पारस्परिक आदान-प्रदान की और दोनों देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं और निकायों में आपसी सहयोग की व्यवस्था है । इस करार में सम्मिलित उद्योगों की स्थापना तथा टेकनोलोजिकल विकास में सहयोग करना भी आते हैं ।

जापान के सहयोग से चाय के बागान लगाना

1581. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी दल काश्मीर समेत हिमालय के क्षेत्र में चाय के बागान लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये भारत आया है अथवा उसके आने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सिपाहियों पर गोली चलाई जाना

1582. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री न० रा० देवधरे :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हुचे गौडा :
श्री क० लक्प्पा :
श्री समर गुह :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री अदिचन :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी सैनिकों ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेक क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में काफी अन्दर घुसकर 12 जुलाई, 1969 को भारतीय सैनिकों पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्योरा क्या है और उसमें कितने सैनिक हताहत हुए ; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). 10 जुलाई, 1969 को जब एक भारतीय गश्ती दस्ता यू० पी०-तिब्बत सीमा पर लिपुलेख दर्रे की ओर बढ़ रहा था, हमारे गश्ती दस्ते पर चीनियों ने दर्रे से पूर्व की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की अपनी ओर से गोली चला दी थी। चीनी गोलियां निष्प्रभाव रहीं, और उनका उत्तर नहीं दिया गया था। कोई हताहत नहीं हुआ। उसके पश्चात् उस क्षेत्र में चीनियों की कोई विशेष गतिविधि नहीं थी। अपनी प्रादेशिक समग्रता की सुरक्षा के हित में अपनी सीमाओं के पार सतर्क ध्यान रखा जा रहा है।

पारे का आयात

1583. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पारे का वार्षिक आयात कितना है और किन-किन देशों से इसका आयात किया जाता है ;

(ख) पारे के आयात पर वर्ष 1967, 1968 और 1969 में अब तक कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश में ही पारे का उत्पादन बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो उसके ब्योरे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1443/69**]

(ग) पारा गंधक के साथ मिश्रित रूप से प्राकृतिक अयस्क के रूप में विद्यमान रहता है जिसे सिंगरफ कहते हैं जो कि रासायनिक भाषा में मेरक्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी विद्यमानता का कोई पता नहीं है और इसके स्वदेशी उत्पादन का विकास भी नहीं हुआ है। आयातित सिंगरफ से भारत में इसे तैयार करना भी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा में उनके साथ अधिकारियों का जाना

1584. **श्री सूरज भान** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्री की वाशिंगटन यात्रा के समय उनके साथ अधिकारी गये थे ;

(ख) क्या मंत्री और अधिकारियों के साथ उनकी पत्नियां भी गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इन परिवारों का खर्च किसने उठाया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा पर विदेश मंत्री के साथ जाने वाले लोगों में, विदेश व्यापार मंत्रालय के सचिव श्री के० बी० लाल, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के० आर० नारायणन और कुमारी सी० बी० मुथम्मा तथा विदेश मंत्री के उप सचिव तथा विशेष सहायक श्री एस० वी० पुरुषोत्तम थे।

(ख) और (ग). विदेश मंत्री के साथ उनकी पत्नी भी गईं। उनकी यात्रा पर सरकार ने किसी प्रकार के खर्च नहीं किए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत-पाक सम्बन्धों के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भारत के प्रधान मंत्री को पत्र

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : श्रीमान, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पत्र, जो प्रधान मंत्री को प्राप्त हुआ बताया जाता है, और जिसमें दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे में प्रधान मंत्री के प्रस्तावों को कुछ शर्तों पर स्वीकार किया गया है।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने तथा उन्हें सुधारने का प्रयास करने के अनेक उपाय किये हैं। सदन को समय-समय पर इन उपायों से अवगत कराया जाता रहा है।

हाल में प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को सामान्य बनाने और उन्हें सुधारने की भारत की इच्छा फिर से जाहिर की थी। इस पत्र का मूल पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है।

प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति याहयां खां का उत्तर परसों ही मिला। इसमें पाकिस्तान की विदित स्थितियां दोहराई गई हैं। हम इसके विचार-तत्वों की परीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति याहयां खां के पत्र की प्रति मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं।

जनरल आगा मुहम्मद याहयां खां,
एच० पीके०, एच० जे०

राष्ट्रपति भवन
रावलपिण्डी
26 जुलाई, 1969।

श्रीमती प्रधान मंत्री,

आपके 22 जून, 1969 के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसे श्री केवल सिंह लाए थे।

हमें श्री सिंह का स्वागत करके प्रसन्नता हुई। इस अवसर से स्पष्ट है कि अगर सद्भावना

और समझबूझ का वातावरण तैयार किया जाए तो हमारे दोनों देश प्रतीयमान दुराधर्ष विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा सामान्य रूप से सुलझा सकते हैं। यह सच है कि हमारी दोनों सरकारों पर करोड़ों लोगों के कल्याण का उत्तरदायित्व है, अतः मैं नहीं समझता कि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को स्थायी, मित्रतापूर्ण आधार पर समस्या के समाधान का कोई अन्य स्वीकार्य दृष्टि-कोण हो। इसी भावना से श्री केवल सिंह के साथ हमने मामलों पर विचार-विमर्श किया। इसी भावना से मैं आपके पत्र का उत्तर दे रहा हूं।

हमारी जैसी स्थिति में किन्हीं भी दो पड़ोसी देशों में कुछ सतही और कुछ गहरे मतभेद और विवाद होंगे ही। इनमें से पहले तो ऐसे होते हैं जो क्षणिक होते हैं। ये उठते हैं और पड़ोसियों के व्यवहार में खुदबखुद ही सैकड़ों तरह से विलीन हो जाते हैं किन्तु गहरे मतभेद और विवाद वातावरण को दूषित कर देते हैं और सम्बन्धों को विषैला कर देते है। असल में इन्हीं को दूर किया जाना चाहिए जिससे कि छोटे-छोटे और बीच-बीच में खड़े हो जाने वाले मतभेद तूल न पकड़ें। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि इन छोटी-छोटी समस्याओं को दूर करना वांछनीय है लेकिन मैं इस ओर से भी आश्वस्त हूं कि सिर्फ इनके दूर हो जाने मात्र से ही परस्पर विश्वास की वह भावना नहीं आ सकेगी जिसके बिना पड़ोसियों की मित्रता भ्रम मात्र होगी।

इसी कारण मेरा यह कहना है कि हमें मामले की तह में जाना चाहिए और गम्भीरता-पूर्वक उन कारणों को दूर करना चाहिए जोकि हमारे आपसी मतभेदों की जड़ हैं। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि हमारी दोनों सरकारें अगर सतही समस्याओं रूपी छाया के पीछे दौड़ती रहीं और सचाई से बचती रहीं जिसका प्रतिनिधित्व जम्मू और काश्मीर तथा गंगा के पानी से सम्बद्ध दो मौजूदा विवाद करते हैं तो सौहार्दता और मित्रता निरन्तर ही भारत और पाकिस्तान से दूर भागती रहेगी।

आपने अपने पत्र में जो मसले उठाए थे और सम्बन्धों को सामान्य बनाने और उनमें सुधार करने के "अन्य पक्षों" पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये एक सम्मिलित निकाय बनाने का जो प्रस्ताव दिया था उस पर हमने विचार किया है। हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे बशर्ते कि यह सिर्फ समझी ही न जाए बल्कि दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट भी कर दिया जाए कि इस बातचीत के दायरे में सभी वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजने के इरादे से इन सभी पर बातचीत होगी।

हमने अपना दृष्टिकोण विस्तार से श्री केवल सिंह को समझा दिया है और स्वयं-शासी व्यवस्था किस तरह की हो इस बारे में अपने विचार भी उन्हें बता दिये हैं जो कि युद्ध न करने की संधि के साथ आवश्यक हैं।

मैं आपको अपनी परम आदर भावना का आश्वासन देता हूं।

महामान्य श्रीमती इंदिरा गांधी,
भारत की प्रधान मंत्री,
नई दिल्ली।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यह बड़ी अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री ने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को सामान्य बनाने तथा उन्हें सुधारने के बारे में पहल की है। भारत-पाक संयुक्त बोर्ड को जो सुझाव दिया गया है, वह भारत-पाक के अन्धकारमय सम्बन्धों में एक आशा की किरण प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से प्राप्त हुए पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान तब तक प्रस्तावित संयुक्त बोर्ड के गठन पर राजी नहीं होगा जब तक जम्मू तथा काश्मीर और फरक्का बांध के प्रश्नों को उस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में न लाया जाय। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में राजनीतिक सूझ-बूझ से काम लिया जायेगा और इन दो प्रश्नों को बोर्ड के कार्य क्षेत्र में लाने की पाकिस्तान की बात को देखते हुए इस सारे प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जायेगा। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह बोर्ड सचिव स्तर पर गठित किया जायेगा अथवा मंत्री स्तर पर और पाकिस्तान की जम्मू तथा काश्मीर और फरक्का बांध को इस बोर्ड के कार्यक्षेत्र में शामिल करने की बात पर जोर देने के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापार सम्बन्धों के बारे में प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की जो पेशकश की हैं, वे स्वागत करने योग्य हैं। मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के साथ दोनों देशों के व्यक्तियों को एक दूसरे की सीमा में जाने पर लगे प्रतिबन्धों को कम किया जायेगा और एक प्रकार से खुली-सीमा नीति अपनाई जायेगी ताकि इन विभिन्न गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिल सके ?

मैं एक और अन्य बात कहना चाहता हूं और समझता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्री को वह अच्छी नहीं लगेगी। परन्तु यह एक तथ्य है और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं। जहां तक विश्व मत का सम्बन्ध है विश्व मत हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा है तथा हमारे प्रतिकूल रहा है तथा इसका कारण हमारी गलती रही है।

अतः हमें दो बातें करनी चाहिये। एक तो हमें पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिये और दूसरे विश्व मत को अपने पक्ष में करने के प्रयास करने चाहियें।

मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या भारत सरकार प्रधान मंत्री द्वारा सुझाये गये युवक, सांस्कृतिक और पत्र प्रतिनिधिमंडलों के दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देगी और यदि आरम्भ में पाकिस्तान भारत के प्रतिनिधिमण्डलों का स्वागत करने में गहरी दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो क्या उस हालत में भी पाकिस्तान से आने वाले प्रतिनिधि-मण्डलों का भारत में स्वागत किया जायेगा ? दूसरे हमें बोर्ड की स्थापना मंत्री स्तर पर करनी चाहिये, ताकि कार्य सूची तैयार होते ही उन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार किया जा सके। तीसरे चूंकि रूस के सद्भाव से सम्बन्धों को सामान्य बनाने के हमारे प्रयास पहले ही विफल सिद्ध हो चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका के राष्ट्रपति से जोकि कल भारत

आने वाले हैं, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री द्वारा यह अपील की जायेगी कि वह इन सम्बन्धों में सुधार करने में सहायता करें तथा क्या इस अवसर का सम्बन्धों को सुधारने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री द्वारा किये गये उपायों की जो सराहना की है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। भारत सम्बन्धों को सामान्य बनाने, सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान करने तथा सीमा को खोलने आदि के मामलों में जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, कभी रुकावट नहीं डालता है। उन्होंने पूछा है कि यदि कोई पाकिस्तानी शिष्टमण्डल यहां आता है तो क्या हम उसका स्वागत करेंगे ? यदि वे यहां आना चाहते हैं, तो उन्हें यह इच्छा जाहिर करनी चाहिये कि वे यहां आना चाहते हैं। मुझसे यह सब प्रश्न पूछने का क्या लाभ है। यदि माननीय सदस्य अतारांकित प्रश्न संख्या 1474 को, जिसका उत्तर आज दिया गया है, देखें तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि इन सब बातों की पहल हमारी ओर से को गई है और अब पहल करना पाकिस्तान का काम है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : उक्त प्रश्न का उत्तर केवल आधा घन्टे पहले दिया गया है। माननीय सदस्य से यह आशा कैसे की जाती है कि इतने थोड़े समय में उन्होंने इसे पढ़ लिया होगा ?

श्री दिनेश सिंह : यह आधा घन्टे के समय का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न तो माननीय सदस्य के समझने का है। यदि माननीय सदस्य यह समझने को तैयार नहीं हैं कि ताशकन्द समझौते से लेकर आजतक हम इस दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं।

जहां तक प्रस्तावित संयुक्त निकाय में चर्चा करने के लिये किसी विशेष विषय को शामिल करने का प्रश्न है, मैं पहले वह यह स्पष्ट कर चुका हूं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी विषय पर चर्चा करने को रजामन्द हैं। हमने किसी विशेष प्रश्न पर चर्चा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। जहां तक अमरीका के राष्ट्रपति श्री निक्सन के सद्भाव से लाभ उठाने का प्रश्न है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेदों का निबटारा दोनों देशों की आपसी बातचीत से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाये। हम किसी तीसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : चूंकि प्रस्तावित संयुक्त भारत-पाकिस्तान के बारे में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पहल की गई है, इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बोर्ड मंत्री स्तर अथवा सचिव स्तर अथवा इससे कनिष्ठ स्तर पर स्थापित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि मंत्री स्तर पर इस बोर्ड की स्थापना अधिक अच्छी रहेगी क्योंकि उससे उद्देश्यपूर्ण बातचीत की जा सकेगी।

श्री दिनेश सिंह : अभी इस सम्बन्ध में कोई संकेत देना मेरे लिये सम्भव नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें यह मालूम नहीं है कि इस बारे में पाकिस्तान का क्या विचार है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम किसी स्तर पर, जिस पर पाकिस्तान सहमत हो, इसकी नियुक्ति करने को सहमत हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : After studying both the letters the view points of both the countries are made known. After reading these letters it appears that Pakistan wants to solve the basic questions first, whereas India is of the opinion that small disputes should be settled first and after solving them major questions would be tackled. Under India's policy there have been four agreements i.e, Indus water Agreement, Berubari Agreement, Kutch Agreement and Tashkent Agreement. In all these agreements India had been a loser. That is not all. Formerly only one problem i.e. Jammu and Kashmir dispute was a basic dispute for Pakistan, but it is evident from the latest letter of Pakistan that the number of basic disputes has risen to two. It is written in that letter"....and evade the reality that our two outstanding disputes regarding Jammu and Kashmir and the Ganges waters represent."

Formerly the basic question was this one, that their number has been increased to two and if these two questions are solved, then there will be third regarding linking the two parts of Pakistan. After that they will raise a fourth issue. So keeping in view the failure of the policy of the Government of solving the disputes and keeping in view the Pakistan's policy of raising the number of basic disputes, I want to know whether Government intends to raise the question of Pakhtoonistan before the proposed Joint Indo-Pakistan Body is set up. I want to know whether this question that injustice has been done to Pakhtoonistan will be raised. I also want to know whether the question of common citizenship, common defence policy, common foreign policy and common policy towards China etc. would be raised so that misunderstanding created after the partition is removed. Are Government of the opinion that the policy of solving the dispute one by one has proved unsuccessful ?

Similarly there is a vast difference between the demand made by Pakistan in the beginning and those made now in respect of the Ganges waters. Our basic policy that India and Pakistan will come nearer to each other to settle a certain dispute is fundamentally a wrong approach. Nothing will come out unless and until a policy to settle all the disputes is evolved as also steps taken to remove the ill-feelings generated due to partition. On the other hand, there is general feeling among the Pakhtoons that they are being used as an instrument by India to meet their own political ends and that we are not holding brief for them. May I know whether Government of India will make it a point to dispel all such doubts and misgivings in the minds of Pakhtoons particularly on the occasion when Khan Abdul Gaffar Khan visits the capital in the near future ?

Shri Dinesh Singh : The Hon. Minister has tried to mix up several questions. The first thing suggested by him is that we should initiate talks on all matters together instead of taking them up separately. I do not know how all the issues can be taken up together when we have a number of disputes to be settled. We cannot settle big issues unless we prepare a proper climate for the purpose by settling the smaller issues first. We cannot link them together. We feel we can settle disputes between the two countries amicably provided we have a joint machinery for the purpose. Therefore if and when a machinery is formed, both sides can place all issues they want. At this stage it is very difficult to say whether the proposed machinery will come into existence and if formed, when it would start functioning and all that.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : देश का विभाजन होने से पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी है और हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा है और वह करीब-करीब खत्म हो चुकी है । सबसे पहली तथा आवश्यक बात यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारे परिवहन, व्यापार तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहिए और समाचारपत्रों का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए । हमें पाकिस्तान को कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों तथा छात्रों

के सद्भावना मिशन भेजने चाहिए जिन्हें पाकिस्तान सरकार को सुझाव देना चाहिए कि वह भी भारत को ऐसे ही शिष्टमंडल भेजे जिससे तनाव कम करने में सहायता मिलेगी।

जहां तक प्रस्तावित संयुक्त व्यवस्था (निकाय) का सम्बन्ध है, हमारा सुझाव है कि उसमें प्रभावित क्षेत्रों यथा आसाम, पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल से अधिक लोग सीधे चुने जाने चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : इस संयुक्त निकाय का प्रस्ताव उन सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये रखा गया है जिनका उल्लेख ताशकन्द घोषणा के खण्ड 9 में है। जहां तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सम्बन्ध है हमने कई बार पाकिस्तान से टीमें आमंत्रित की हैं। मुशायरा के लिये टीम बुलायी गई थी, क्रिकेट के लिये आमंत्रित की गई थी और मई, 1968 में गालिब शताब्दी में भाग लेने के लिये आमंत्रण दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने कोई टीम नहीं भेजी। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस मामले में हमसे क्या करने को कहते हैं।

एक बात और मैं बताना चाहता हूं। श्री बलराज मधोक ने काश्मीर के प्रश्न का उल्लेख किया था। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि काश्मीर के बारे में हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : May I know whether with a view to discussing the basic issues between the two countries, it will be feasible for our Prime Minister Mrs. Gandhi and Pakistan President, General Yahya Khan to meet before a joint machinery is constituted ?

Shri Dinesh Singh : The Prime Minister will certainly meet the Pakistan President if it is found necessary.

Shri S. M. Joshi (Poona) : The Hon. Minister has stated that we are willing to discuss any subject with Pakistan. In the letter it is said that it would encompass all outstanding issues. Further, we have not placed any restriction on the discussion of any particular subject that they may bring up. It means the questions of Kashmir and the Ganges waters will also be brought there. Pakistan have stated that they had explained their view point at some length to Shri Kewal Singh and given him their ideas of the type of self-executing machinery. Earlier we had the Feroz Khan Noor Pact under which we were committed to go for arbitration and abide by their award. May I know whether Shri Kewal Singh has apprised the Hon. Minister or the Prime Minister of Pakistan's view point as also given them an idea regarding the type of self-executing machinery and if so, whether the Hon. Minister considers it feasible to proceed in the matter in the light of those ideas.

Shri Dinesh Singh : I do not want to go into details now. The letter is still under our study. Since the Hon. Member has raised a certain point here, I would like to clarify that the Joint Machinery India had suggested was envisaged under clause 9 of the Tashkent Pact. So far as self-executing machinery is concerned, it is not a new suggestion. Pakistan has always been suggesting for arbitration so that outsiders could be included therein and our contention is that we should settle our disputes between ourselves and should not invite outsiders.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकी संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता के वर्ष 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1431/69]**

टैरिफ आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) (1) सूती धागे तथा कपड़े के मूल्यों के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1962)।

(दो) उक्त प्रतिवेदन पर सरकारी संकल्प (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संख्या 1 (15)-टैक्स (I)/66-टैक्स(ए), दिनांक 15 मई, 1969।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में निर्धारित अवधि में उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज सभा-पटल पर न रख सकने के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 1432/69]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2588 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कपड़ा (बुनाई, कसीदाकारी, लेस बनाने और छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2589 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) रूई (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2590 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) कपड़ा (विद्युत्-करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2591 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) सूती कपड़ा (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2592 में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) सूती कपड़ा (वहन पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2593 में प्रकाशित हुआ था ।

[**पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०** 1433/69]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 51 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

शीरे के मूल्य उत्पादन तथा वितरण संबंधी याचिका
PETITION RE. PRICE, PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF MOLASSES

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं शीरे के मूल्य, उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण के बारे में मोसरा, तालुक बोधन, जिला निजामाबाद (आंध्र प्रदेश) के श्री बी० साया रेड्डी की एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर बीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty minutes past fourteen of the Clock.

[**श्री एम०बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M. B. Rana in the Chair]

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक—जारी
BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL—Contd.

खण्ड 2

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्डशः विचार करेगी । पहले हम खण्ड 2 को लेंगे । सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपने संशोधन संख्या 13 तथा 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा (जय नगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 46 तथा 47 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपने संशोधन संख्या 62 तथा 63 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 106 और 107 प्रस्तुत करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 3,

['दि'] ['the'] के स्थान पर ['एक'] ['a'] शब्द रखे जाये ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं संशोधन संख्या 154 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं संशोधन संख्या 162 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : मैं संशोधन संख्या 169 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं संशोधन संख्या 175 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं संशोधन संख्या 204 और 205 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 281 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 317 और 318 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं संशोधन संख्या 335, 336 और 337 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : मैं संशोधन संख्या 370 और 371 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं संशोधन संख्या 380, 381 और 382 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं संशोधन संख्या 197 और 198 प्रस्तुत करती हूं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am moving my both the amendments together to save time. My first amendment is that alongwith the Indian banks, foreign banks should also be nationalised. Some foreign banks, if not all, with the deposits of fifty crores of rupees or more such as, National and Grindlays, and Chartered Bank should be nationalised. As is clear, the Government is already thinking of nationalizing the foreign trade. I do not know why Government is not prepared to nationalize the foreign banks. Moreover our trade with the East European countries is increasing. Foreign trade has been nationalized in these countries. So we should also deal with them through the State Trading Corporation.

I have received a letter from the Hon. Finance Minister two or three days earlier wherein he has stated that Nepal has not accepted our proposal to route the commodities through State Trading Corporation. In this connection I would like to say that if we want to check smuggling then all commodities should be imported from Nepal through State Trading Corporation. This is why I say that foreign banks should be nationalized.

In my other amendment I have suggested that areas with the population of ten thousand or less should also be considered as villages for the purpose of opening the branches of the banks. These are two basic amendments which should be accepted.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : The decision to nationalize the banks has been taken in the interest of the nation. I do not understand then, why some of them have been left out. This is the first good step which the Government have taken during the last 21 years and the people have welcomed it. I would suggest that all the scheduled banks including the foreign ones irrespective of fact whether they have deposits of more than 50 crores of rupees or less should be nationalized.

Shri George Fernandes (Bombay South) : In my first amendment I have suggested that Cooperative Banks should be kept out from the definition of the banking companies. My second amendment is very important and it has received written support from many Congress members. They have also sought permission from the Prime Minister for supporting my amendment. All the banks including the foreign banks should be nationalised. The limit of 50 crores of rupees should be removed. If a small country like Burma can nationalize all the national and foreign banks why not India ?

Oriental Bank of Commerce had twelve crores of rupees at the end of 1967. Now it must have about 25 to 30 crores of rupees. Such banks should not be left out from the purview of nationalization. Similarly Andhra Bank which has deposits worth 40 crores of rupees and has eight thousand employees should also be nationlized. So my amendment is that all the scheduled and non-scheduled banks including foreign banks should be nationalized.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I congratulate the Prime Minister for the good work which she has done. It has been stated by her that some banks did not cooperate with the Government so far as the functioning of social control of banks is concerned. So it was hoped that only those four or five banks which did not cooperate with the Government would be nationalized. Now I want to know whether the banks who cooperated with the Government in the functioning of the social control have also been included in the list of fourteen banks which have been nationalized ? In this connection I would say that foreign banks should also be nationalised.

Another thing which I have suggested is this that only those banks should be nationalised which have deposits of more than hundred crores of rupees.

I also want to request the Hon. Prime Minister to start judicial proceedings against the corrupt directors of the banks who did not cooperate with the Government. Reserve Bank's officials should also be taken to task for conniving with the corrupt directors of the various banks.

I whole heartedly support this Bill. What I said earlier was that there was no emergency to bring the ordinance.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं महसूस करती हूं कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है वे न केवल जमा करने वालों बल्कि लेने वालों में भी विभेद उत्पन्न कर देंगे। हमारे यहां 79 अनुसूचित बैंक है जिनमें से केवल 14 का राष्ट्रीयकरण किया गया है, इससे पूर्व

इम्पीरियल बैंक तथा भारतीय रियासतों के कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे अब मेरे विचार में अनुसूचित जातियों के तीन चौथाई खाते अब तीन बड़े विदेशी बैंकों अर्थात नेशनल एण्ड ग्रिन्डले बैंक, चार्टर्ड बैंक और फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ अमरीका में आ जायेंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंगलौर अधिवेशन में प्रधान मंत्री ने जो नोट भेजा था उसमें अर्थव्यवस्था के नवीकरण का मामला उठाया गया था। यही कारण है कि 10 सूत्री कार्यक्रम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। अतः सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। यदि उस पर यह तर्क लागू हो सकता है तो यहां भी यह तर्क लागू हो सकता है।

बैंकों में धन जमा कराने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा विदेशी बैंकों में से किसी में धन जमा करा सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा करना मूल अधिकारों का उल्लघंन होगा। सरकार को इस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। इसी प्रकार ऋण लेने वालों के बीच भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। सब से अच्छी बात यह होगी कि विदेशी बैंकों तथा अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और उन सबको इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाये। मुझे आशंका है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन जमा कराने वाले व्यक्ति विदेशी बैंकों में धन जमा करायेंगे। अतः विदेशी बैंकों का सीधा राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

Shri Deven Sen : I have tabled amendments Nos. 45 and 361 to clause 2. They seek to bring the foreign banks under the purview of present legislation. If the foreign banks are not brought under its purview, a loophole will be left for continuing the monopolies. I do not know whether nationalisation of Indian banks and non-nationalisation of foreign banks will lead to a question of discrimination or not. To avoid such a contingency, foreign banks should not be left out.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : आज हम एकाधिकार आदि के विरोध का प्रश्न उठा रहे हैं। जो व्यक्ति बैंकिंग क्षेत्र में नियंत्रण से बचना चाहते हैं, उनके लिये कई छोटे-छोटे बैंक बनाना कठिन नहीं होगा।

यह उचित नहीं है कि हम अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें परन्तु विदेशी बैंकों को जो चाहे करने के लिये खुला छोड़ दें। हमें खण्ड दो में 'बैंक' शब्द की परिभाषा इस प्रकार रखनी चाहिये कि विदेशी बैंक भी उसके अन्तर्गत आ जायें ताकि उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सके।

कम से कम कलकत्ते का एक विदेशी बैंक ऐसा है जिसकी गतिविधियां आपत्तिजनक हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी विदेशी बैंक ऐसा कर रहे हैं परन्तु मैं यह तर्क नहीं मानती

कि विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे अथवा इससे हमारे विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। यदि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण तथा राष्ट्रीयकरण की नीति को सरकार ने स्वीकार किया है तो यह नीति समूचे बैंकिंग क्षेत्र पर लागू होनी चाहिये।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): Sir, my amendment to clause 2 seeks to delete the word "not" therein, which means that a foreign banking company will be included under the purview of the clause. I do not think any Member is satified with the explanation offered by the Prime Minister or the Law Minister on the question of leaving foreign banks from the purview of the clause.

If other banks are not nationalised, nationalisation of 14 banks will also prove a failure. The capitalists will try to sabotage our nationalised banks and will use the corrupt officers for unfair purposes. Thereafter, the rightist members will get an opportunity to say that nationalised banks have proved a failure.

Nationalisation of banks is a very good step but it can prove good in practice only if all the Indian and foreign banks, excepting cooperative banks are nationalised. Non-nationalisation of foreign banks and thereby leaving the way for the theft of foreign exchange by under-invoicing and over-invoicing will prove dangerous for the nation. The Government should nationalise all the Indian and foreign banks without waiting for another agitation in this direction.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : अब विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करना कहां तक उचित है, इस पर उच्चतम न्यायालय को निर्णय करना होगा। प्रधान मन्त्री ने इस बारे में कल कुछ कारण बताये थे। मैं उन्हें ठीक ही मानता हूं। इस बारे में हमें इलाहाबाद बैंक के मामले में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक बैंक है परन्तु इस के 95 प्रतिशत अशंधारी विदेशी हैं। समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने पौंडों में मुआवजे की मांग की है। ऐसा भी हो सकता है कि एक विदेशी बैंक हो परन्तु उसके अधिकांश अंशधारी भारतीय हों। ऐसी स्थितियों के बारे में भी विधेयक में व्यवस्था करनी होगी। बैंक को कई प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन सब पर विचार करके हमें इस विधेयक में आवश्यक उपबन्ध करने होंगे।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Sir, I have moved amendment No. 106 to clause 2. Its aim is that all small banks and foreign banks should be taken over by Government. The Prime Minister has said that foreign banks have net-work of branches throughout the world and they have the know-how, which we do not have. We do not want to take them over due to this. I am surprised to hear this. When small countries like Burma can nationalise foreign banks, why we cannot do the same? Was the Prime Minister afraid of its adverse reaction in other countries?

The foreign banks are draining out of the country huge sums of money. No doubt they send by way of profit, but it is loss of our national wealth. It is essential to put an end to this. The foreign banks should also be nationalised.

The remaining banks should be amalgamated. It will lead to effiiciency in their working. I would like that all the financial institutions should be taken over by the Government. It will mean that Government will be in a position to implement its policy in a betterway. We would be able to achieve socialism in real sense of the term.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : My amendment seeks that all the banks should be nationalised. When Government is taking a bold step, it should take over all the banks including the foreign banks.

This decision has been welcomed by all sections of our countrymen. There are only a few persons who are against this measure. No doubt they are educated persons, but they have their vested interest in it. I request that my amendment should be accepted. It is high time that all the banks are nationalised and the working conditions of bank employees are improved.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : I was expecting criticism of this Bill from capitalists' party. But I am surprised to hear criticism from progressive persons like Shri Madhu Limaye. Many people feel that the Prime Minster has taken a bold step.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय ।

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : The Hon. Members who have moved amendments should be called serially.

उपाध्यक्ष महोदय : जिस प्रक्रिया का हम अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार पहले संशोधन का प्रस्ताव करने वालों को बुलाया जाता है और फिर उन माननीय सदस्यों को जो उनके साथ सहमत नहीं होते हैं । सामान्यत: हम एक खण्ड के सभी संशोधनों पर विचार कर लेने तक विरोध करने वालों को बोलने की अनुमति नहीं देते । परन्तु सभापति ने जब माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है तो अब वे अपनी बात समाप्त कर लें ।

Shri M. A. Khan : I want to congratulate the Prime Minister for taking this bold step. But we should not be satisfied with it because our goal has not yet been achieved. At the same time I want to express my fear that bureaucracy should not be allowed to have an upper hand in the banks.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैंने खण्ड 2 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है कि "50 करोड़ रुपये" के स्थान पर 25 करोड़ रुपये" रखा जाये । मैं इस बात से सहमत हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

श्री क० नारायण राव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जहां तक खण्ड 2 का सम्बन्ध है, यह संशोधन निरर्थक है । अत: इस संशोधन को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य के विचार से इस में संशोधन करने की

आवश्यकता है तो अनुसूची में आनुषंगिक संशोधन प्रस्तुत करना पड़ेगा। अतः मैं उन्हें इस कारण बोलने से रोक नहीं सकता।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रयोजन अधिक संसाधन जुटाना है। यदि कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो संसाधन कम उपलब्ध होंगे और यदि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये तो संसाधन अधिक उपलब्ध होंगे। 50 करोड़ रुपये की जमा धनराशि वाले बैंकों को अपने हाथ में लेने से सरकार को 2800 करोड़ रुपये और मिल जायेंगे। इस राशि का 80 प्रतिशत प्रत्याभूतियों आदि के रूप में पहले ही सरकार के पास है। शेष 20 प्रतिशत के अनुसार 600 करोड़ रुपया रह जाता है। अतः इस उपाय से सरकार को 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। यदि विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो सरकार को अधिक धनराशि मिल सकेगी। छोटे बैंकों को छोड़कर शेष सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये ?

श्री राममूर्ति (मदुरै) : इस विधेयक में विदेशी बैंकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। जो व्यापार भारत का एक नागरिक नहीं कर सकता, वह व्यापार किसी विदेशी को भी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान की बात है।

मैं प्रधान मंत्री के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि इनमें से कुछ बैंक निर्यात तथा आयात के लिए धन की व्यवस्था करने में हमें सहायता देते हैं, अतः इन पर इस विधेयक के उपबन्ध लागू नहीं करने चाहिये। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि जो सरकार इस देश के बैंकों के 82 प्रतिशत धन को अपने नियंत्रण में ले सकती है, वह विदेशों में विदेशी बैंकों के साथ बातचीत कर के आयात तथा निर्यात के लिये धन की व्यवस्था न कर सके। अतः इन विदेशी बैंकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को उन्हें अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिये अन्यथा वे विदेशी मुद्रा को हड़प करने के लिये शरारत कर सकते हैं। अतः इन विदेशी बकों को भी इस विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

Shri Surendra Nath Dwivedi (Kendrapara) : This incomplete Bill will not achieve the purpose for which it has been introduced. In case we allow some people to carry on their business according to their wishes and ask others not to do the same, we cannot achieve our object. There is no provision of taking over foreign banks even at a later stage. I, therefore suggest that all the banks including foreign banks should be taken over. It has already been stated that these banks can harm the country. This is a constructive suggestion and Government should accept it.

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से संशोधनों की भाषा अलग-अलग है परन्तु अर्थ एक ही है। अतः मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें कोई नया सुझाव देना हो, तभी वे बोलें।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : इस विधेयक में विदेशी बैंकों का नियंत्रण संभालने के बारे में न अब और न ही भविष्य में ऐसा करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है। मैंने अपने

संशोधन में कहा है कि विदेशी बैंकों पर भी इस विधेयक के उपबन्ध लागू होने चाहिये। व्यापार, सट्टा आदि करने वाले लोग विदेशी बैंकों से काफी धन प्राप्त करते हैं। विदेशी बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का एक लाभ यह है कि सरकार को बहुत कम मुआवजा देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें अंशधारियों को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता। इस कार्यवाही से राष्ट्र को तथा देश की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचेगा।

मैंने एक दूसरा संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने 50 करोड़ रुपये की सीमा को घटा कर 1 करोड़ रुपये कर देने का सुझाव दिया है क्योंकि 50 करोड़ रुपये की सीमा रखने से बैंकों का व्यापार अवांछनीय व्यक्तियों के हाथ में रहेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ हमें लोगों के मन में बैंकों के प्रति रुचि भी पैदा करनी चाहिए अन्यथा इस विधेयक का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और किसानों तथा लघु उद्योगों के लिये धन उपलब्ध नहीं होगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : सरकार को कम से कम इस बात का कारण तो बताना चाहिये था कि वह विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रही है। क्या उनके राष्ट्रीयकरण का विदेशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर अथवा विदेश नीति सम्बन्धी मामलों पर प्रभाव पड़ेगा ? विदेशी बैंकों को अपने नियंत्रण में लेने का हमें अधिकार भी है और आवश्यकता भी। हमें यह कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विदेशी बैंकों का नियंत्रण अपने हाथों में इसलिये कम मूल्य के बीजक बनाने और अधिक मूल्य के बीजक बनाने के कारण लेना चाहिये क्योंकि इस देश को लगभग 400 अथवा 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होती है और इसमें अधिक तर विदेशी बैंकों का हाथ होता है। इस प्रकार के कदाचारों का अन्त करने के लिये सरकार को विदेशी बैंकों का कार्यभार स्वयं संभाल लेना चाहिए।

"अमेरिकन एक्सप्रैस" नामक बैंक में हम कमीशन देकर दलालों के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। वे एक चिट दे देते हैं और वह चिट देकर विश्व के किसी भी भाग में विदेशी मुद्रा मिल सकती है। बैंक का प्रबन्ध भारतीय लोगों के हाथ में होना चाहिये अन्यथा विदेशी व्यक्ति तो लूटपाट करके विदेश चले जायेंगे। सरकार को अपने ऊपर किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये और विदेशी बैंकों का कार्यभार स्वयं संभाल लेना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, at the time of executing the Zamindari Abolition Act in Bihar no discrimination between the big and small zamindars was made by the Government. But at this time only 14 banks have been nationalised and the rest of the banks have not been touched by the Government. It is against the directive principles of social justice as given in the Constitution.

Secondly, the public would like, now, to deposit their money in the small banks because of the nationalisation of big banks. Besides, it is quite strange that the Government have not nationalised all the banks because according to the aims and objects of this act, the Government have to undertake many works, such as to provide encouragement to the new entrepreneurs,

to develop the backward areas, to raise employment level, etc. which requires lot of money. All these objectives fixed by the Government cannot be achieved with the money amounting to Rs. 2700 millions proposed to be acquired through the nationalisation of only 14 banks.

I cordially appreciate the action taken by the Prime Minister in this regard. But I also submit that all these banks should have been nationalised in view of the fact that due to lack of resources many projects, such as Gandak and Kosi, could not be made **fait accompli.** It is also a fact that big industrialist, and capitalist, do not co-operate with the Government when they are appealed to lend money to the Government. In the circumstances, the Government have good reasons to nationalise these banks.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Sir, I feel that this act should be supported but I also observe that this act has been brought here in consequence of certain ill feelings stemmed within the party in power. Even then we should appreciate the objectives of this act.

In her statement the Hon. Prime Minister has laid much emphasis on the creation of the socialistic pattern of society. But I am constrained to state that the Government have not touched the foreign banks and the banks with the deposit of less than Rs. 50 crores which indicates that they are not really interested in for what the Hon. Prime Minister has pleaded. I would say that this act is a coincidence. If Government actually want to fulfil these objectives, they should nationalise all the banks including the foreign banks.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दो संशोधन प्रस्तुत करता हूं जिनके द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह जब भी चाहे बिना किसी विधेयक के लाये विदेशी बैंकों तथा अन्य शेष बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है।

मैंने यह भी सुझाव दिया है कि 50 करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर 50 लाख रुपये की राशि निश्चित की जानी चाहिए। इन संशोधनों के अपनाने से सरकार यदि विदेशी बैंकों और अन्य बैंकों के साथ कोई विभेद रखना चाहे तो रख सकती है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, the Nationalisation of Banks Bill has been brought in a dramatic manner which is opposed by our party. But the nationalisation of banks is being undertaken by the Government and at this stage we want to suggest that Government should certainly take over the foreign banks otherwise the capital of our country would drift to the foreign countries.

The Hon. Prime Minister has stated certain reasons for not including the foreign banks in this scheme but these reasons are not cogent. I want to state that the economy of our country should be framed and guided according to the needs of our country. The Government should not do any thing under the pressure of any country, whether it is America or Russia. We are aware of the fact that foreign banks indulge in many mischievous dealings and, therefore, these banks must be nationalised in order to have a deterrent measure to check drifting of our capital.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : Sir, I submit my amendment with a request that there is a vast difference between what our Government says and what it actually practices. They claim that they are the real custodian and the protector of the Indian agencies but the fact is well revealed when we see that the same Government have taken over the Indian banks

and have ignored the necessity of taking over the foreign banks. Thus we observe that this is a political step rather than an economical one. I should also warn the Government that if the foreign banks are not nationalised, the deposits will certainly be withdrawn from the Indian banks and will be transferred to the foreign banks.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सेठी के संशोधन संख्या 19 को स्वीकार करता हूं ।

अन्य सभी संशोधनों में इसी बात पर बल दिया गया है कि केवल 14 ही बैंकों का नहीं वरन् सभी बैंकों का तथा विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । किन्तु मेरा निवेदन है कि इस बात पर आगे विचार करने की आवश्यकता होगी । खण्ड 1 (2) के अन्तर्गत कहा गया है कि यह कानून 19 जुलाई, 1969 से लागू होगा । इस खण्ड के सम्बन्ध में श्री अब्दुल गनी दार का संशोधन है जिनका कहना है कि यह कानून 31 अक्तूबर, 1969 से लागू हुआ माना जाना चाहिए । माननीय प्रधान मंत्री ने कल बताया था कि इन 14 बैंकों को चुनने के क्या कारण थे । अब उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

जहां तक विदेशी बैंकों का सम्बन्ध है, हम चाहते हैं कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं विदेशों में रहें जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहे । यदि अधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता समझी गई तो हम विधान में संशोधन ला सकते हैं अथवा अध्यादेश ला सकते हैं । किन्तु अभी यही उपयुक्त समझा गया है कि केवल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । अतः सरकार ने यह निर्णय किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 4 और 5 को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिये रखे गये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 59 : विपक्ष में 198

Ayes 59; Noes 198

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन 13 और 14 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 13 and 14 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 154 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 154 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 162 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 162 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 169 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The ameudment No. 169 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 204 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 204 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 318 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 318 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 381 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 381 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 106 और 107 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 106 and 107 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सरकारी संशोधनों को छोड़ कर शेष सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Excepting the Government amendments, all the rest of the amendments were put to vote and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में "the" [दि] के स्थान पर "a" [ए] रखा जाय [119]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि **खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह का एक संशोधन खण्ड 2-क के बारे में है किन्तु माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

खण्ड 3—(तत्स्थानी नये बैंकों की स्थापना और उनका कार-बार)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 में जिन संशोधनों का प्रस्ताव है वे इस प्रकार हैं, संख्या 64, 92, 108, 156, 157, 176, 177, 209, 219, 282, 303, 319 और 330।

खण्ड 3

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपना संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हुमायून कबिर : मैं अपना संशोधन संख्या 92 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 156 और 157 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधुलिमये : मैं अपने संशोधन संख्या 176 और 177 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 209 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 219 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं अपना संशोधन संख्या 303 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 319 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 330 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं अपना संशोधन संख्या 108 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 282 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन पर बोलने के लिये मैं प्रत्येक दल से एक सदस्य को अवसर दूंगा। यदि संशोधन भिन्न होगा तो मैं दूसरे व्यक्ति को अवसर दूंगा।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : क्योंकि यह विधेयक अध्यादेश के चार दिन पश्चात ही प्रस्तुत किया गया अतएव सरकार की ओर से ही अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये। कई संशोधन तो मूल विधेयक के सम्बन्धी उपबन्धों से भी बड़े है। इतनी शीघ्रता में हम विधेयक के प्रति न्याय नहीं कर सकते।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय क्या है ? बैंकों के निजी स्वामित्व के विरुद्ध सबसे बड़ी दलील यह है कि इनसे समुदाय के संसाधनों को निजी उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाया जाता है।

इस विधेयक द्वारा निजी व्यक्तियों के स्थान पर कुछ सरकारी अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था की जायेगी।

हमारे अधिकारी योग्य व्यक्ति हैं। इससे वित्तीय शक्ति तथा राजनैतिक शक्ति एक ही वर्ग के हाथ में केन्द्रित हो जायेगी, जो कि जन साधारण के लिये हितकर बात नहीं होगी।

मैं सामाजिक नियन्त्रण एवं राष्ट्रीयकरण का पक्षपाती हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण सही रूप में हो। संसदीय प्रजातन्त्र में एक दल के हाथ में सत्ता रहेगी ही। इस प्रकार का

केन्द्रीयकरण अनुचित है। राष्ट्रीयकरण की दशा में एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे हम निजी स्वामित्व तथा सरकारी नियंत्रण दोनों के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अन्ततः नियन्त्रण जनता के पास रहे न कि सरकार के पास। यदि 25 प्रतिशत शेयर सरकार के पास तथा शेष जनता के पास रहते हैं तो जनता की रुचि बनी रहेगी। किसी भी प्रकार के एकाधिकार से हमें बचना चाहिए। मेरे संशोधन के अनुसार सरकार के अतिरिक्त कोई भी 10% से अधिक हिस्से नहीं रख सकेगा। यदि आपने अधिकारीतन्त्र स्थापित कर दिया तो उससे पूंजीवाद दूसरे रूप में बना रहेगा और समाजवाद को बढ़ावा नहीं मिल सकेगा। मेरे संशोधन के अनुसार अधिकतर शेयर जनता के रहेंगे परन्तु नीति निदेशन, सामान्य नियन्त्रण सरकार के हाथ में रहेगा, जिससे हम सत्ता के केन्द्रीयकरण के दोष से बच जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : राष्ट्रीयकरण साध्य नहीं अपितु साधन है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बड़े, मध्यम तथा छोटे उत्पादकों के मध्य हमें संसाधनों समुचित बटवारा करना चाहिये। पूंजी विनियोजन चुने हुए क्षेत्रों में करना होगा। यदि बैंक पुराने ढंग से कार्य करते रहेंगे तो स्थिति में कोई सुधार न होगा। इसलिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि बैंक जिन मदों में पूंजी पहले लगाते रहे हैं, उसमें अब नहीं लगाने दिया जाना चाहिये।

उचित नीति निदेशों के अभाव में स्टेट बैंक की 87% पूंजी 20 एकाधिकारियों के उद्योगों में लगी है और उसी प्रकार जीवन बीमा निगम की पूंजी का 97% बड़े व्यापारियों को मिला है। बदली हुई परिस्थितियों में सरकार के पास अबाध शक्ति रहनी चाहिये, जिससे कि सरकार घोषित नीति का पालन कर सके।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैंने गोल्ड कन्ट्रोल के जिन संवैधानिक दोषों को बताया था, वह सभी उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किये गये हैं। सदन की गरिमा के हित में ऐसे विधेयक को पारित नहीं करना चाहिये, जिसे उच्चतम न्यायालय बुरी तरह रद्द कर दे।

सम्पत्ति का हस्तान्तरण समाज के हित में ही किया जा सकता है। इस विधेयक से कौनसा सामाजिक हित होगा मैं नहीं जनता ?

स्टेट बैंक में पूंजी का विस्तार 33% है जबकि जमा धन केवल 21% है, इसमें भी अधिकतर जमा धन सरकारी है।

सरकार के पास जमा ऋणों का संरक्षण कहां है ? राज्य सरकारों के ऋण वापिस नहीं किये जाते। राष्ट्रीयकरण से जमा राशि कम हो जायेगी।

यदि धन बैंकों में जमा नहीं होगा तो, अनावश्यक रूप से व्यय किया जायेगा जिससे जनहित नहीं होगा।

जहां तक कृषि, लघु-उद्योग, नौकरी, निर्यात का सम्बन्ध है स्टेट बैंक द्वारा लगाया धन

अन्य बैंकों की तुलना में न्यूनतम है। छोटे उद्योग स्टेट बैंक से $7\frac{1}{2}\%$ दर पर ऋण लेने की अपेक्षा 13% पर अन्य बैंकों से लेना पसन्द करते थे।

इस विधेयक से सरकार को शक्ति मिली है जिससे 4000 करोड़ रुपये की पूंजी पर सरकार का अधिकार हो जाता है तथा जिस अधिकार से वह उद्योगों को समाप्त कर सकती है। यह एक राजनीतिक चाल है जिससे सामान्य जनों का कोई हित नहीं होगा।

अर्थ-व्यवस्था को अवरुद्ध करके क्या आप जन-हित का कार्य कर रहे हैं। इस शक्ति से आप तानाशाही ला रहे हैं, विद्रोह को निमंत्रण दे रहे हैं जिससे आप स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। हमारे देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है। आप 51% तक शेयर अपने पास रखें और शेष निजी क्षेत्र में। इससे नियन्त्रण भी आपके पास रहेगा और यह भी नहीं समझा जायगा कि हम साम्य-वाद अपना रहे हैं। मेरा छोटा-सा संशोधन है कि इसे 'सामाजिक उद्देश्य' से करें।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : विधेयक में निहित है कि योजना बाद में प्रस्तुत की जायेगी। इससे शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिक मात्रा में होगा। उच्चतम न्यायालय की भी इस विधेयक पर आपत्ति हो सकती है।

मेरे विचार से इन 14 बैंकों को पृथक रखना चाहिये, कम से कम स्टेट बैंक के सहायक ग्रुपों से पृथक अवश्य रखा जाये जिससे उनकी परस्पर प्रतिस्पर्धा बनी रहे। बीमा निगम को कम से कम पांच भागों में विभाजित कर दिया जाये।

राष्ट्रीयकरण के बाद अधिकारी तंत्र आयगा ही जिससे अर्थव्यवस्था एवं खातेदारों के प्रति सेवा में कमी आएगी। आवश्यकता यह है कि वास्तव में व्यवसायी बैंकरों को ही अधिकार दिया जाना चाहिये तथा सचिवालय के अधिकारियों को कम से कम अधिकार दिये जाएं।

कोई भी आधारभूत परिवर्तन संसद की अनुमति के बिना न किये जाये। कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण से चौथी योजना के साधन स्रोत बढ़ेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यदि इन बैंकों का धन उन संस्थानों पर लगाया जाता है जो कोई लाभ नहीं कमातीं तो इससे जनता को लाभ नहीं होगा और खातेदारों को भी ब्याज कम मिलेगा। इसलिये योजना के लिये कोई धन नहीं लगाया जाना चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Only yesterday the Prime Minister has stated that she does not intend to create any monopoly and that the investment would not be utilised for party purposes. On the other hand, the Government is making efforts to concentrate all the powers in their hands. Some checks should be imposed on the Government.

The public undertakings were kept outside the purview of U. P. C. C. and consequently all sorts of dishonest incompetent persons were put in charge of these undertakings. As a result thereof these are running at a loss of crores of rupees. Please remove the dishonest persons and take care that the services of lowest persons are properly utilised.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I hope the Hon. Minister will accept my amendment No. 176. My amendment is not basic but it is related with the principles of the Bill. If the Hon. Minister assures that he will include this provision in the scheme or the rules, he makes, I am prepared to withdraw my amendment.

We are also in favour of nationalization of Banks. But we want that the Government should give a sort of guarantee that the working of those 14 banks will go on smoothly. Punjab National Bank and the United Commercial Bank advanced 25 lakhs of rupees to A. I. C. C. during the last midterm election.

All the expenses incurred on the tours of Bihar by late Prime Minister Shri Nehru and the present Prime Minister Shrimati Indira Gandhi have been shown as loan given to Sadakat Asram. I want to know whether that loan has been returned by the Congress Party or not. I also want that a clear assurance should be given in this respect. I request that all the restrictions imposed on labourers and staff of the Trade Unions should be lifted.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह चाहता हूं कि सारे बैंक एक निगमित निकाय के अन्दर आयें जिसका एक ही नाम हो। माननीय मंत्री को बैंकों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। चूंकि इस समय बैंकों का प्रबन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र में है अतः उनमें कुप्रबन्ध है। अतः मुझे आशा है, मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को 20 लाख रुपये दिये गये थे ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं खंड के अन्त में केवल यह जोड़ना चाहता हूं कि "यदि आवश्यक हो तो अन्य बैंकों के साथ एककीकरण किया जा सके।" अब ये 14 बैंक एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन उनके कार्य अलग-अलग हैं। आगे चलकर एककीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। एककीकरण का अभिप्राय छंटनी नहीं अपितु बैंकों के कार्य और सेवा में सुधार करना है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सरकार इस बारे में संशोधन प्रस्तुत करने वाली है।

श्री नम्बियार : बैंकों में अधिकारियों, नियंत्रकों बैंक के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की नौकरशाही को समाप्त किया जाना चाहिये। सुचारु प्रशासन के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग समाप्त किया जाना चाहिये। यदि जनता ने इस मामले में भी जीवन बीमा निगम की भांति बातों को दोहराया तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कुछ लाभ नहीं होगा। सरकार को इन नौकरशाही अफसरों को अच्छी पेंशन और भविष्य निधि और अच्छी सुविधाएं देकर बैंक छोड़कर चले जाने के लिये कहना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री सोमानी और श्री लोबो प्रभु के संशोधनों में कोई अन्तर नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मेरा संशोधन निम्नलिखित है :

"केन्द्रीय सरकार द्वारा नये बैंकों में धनराशि जमा करने वालों को उनकी पूरी धनराशि का भुगतान देने की गारन्टी दी जानी चाहिये।"

सभा में या सभा के बाहर जो भी कुछ कहा गया है, उससे जमाकर्ताओं के विश्वास को धक्का लगा है। सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिये कि जमाकर्ताओं की धनराशि को किसी प्रकार का खतरा नहीं हैं और सरकार उनकी धनराशि का शत-प्रतिशत भुगतान करने के लिये तैयार है। यदि सरकार जमाकर्ताओं को इस प्रकार का आश्वासन दे देगी तो उन्हें बैंकों पर पूरा विश्वास रहेगा और उनसे धनराशि नहीं निकाली जायेगी। यदि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो बैंक भविष्य में अधिक जमाकर्ताओं को आकर्षित कर सकेंगे। यदि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करने से इंकार करती है तो इसका अभिप्राय यह होगा कि वह जमाकर्ताओं को उनकी पूरी धनराशि लौटाना नहीं चाहती।

मैं श्री मधु लिमये के संशोधन का पूरा समर्थन करता हूं। इस संशोधन के बारे में सभा के किसी भी वर्ग का भिन्न मत नहीं होगा।

सरकार को श्री हुमायूंन कबीर के संशोधन को स्वीकार कर लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये।

Shri Deven Sen (Asansol) : My amendment to clause 3, is as follows :—

"after line 42, add—

"(7) The Central Government may take over any other bank whose name does not appear in the First Schedule at any time by issuing a notification in the Gazette".

I do not want that all banks should be nationalised, but I want that Government should have the power to nationalise any bank, by issuing a notice if it thinks necessary. In that case there will not be any necessity of issuing any ordinance.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : यदि भारत सरकार का उद्देश्य बैंकों को एक नई दिशा में ले जाना है, जिसे वह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना मानती है, और यदि सरकार बैंकों के वर्तमान कार्य से सन्तुष्ट नहीं है, तो वह श्री कबीर के सुझाव को स्वीकार कर इन सब कमियों को दूर करने में समर्थ हो सकती है। यदि सरकार इस बात से भी सन्तुष्ट नहीं है तो वह बैंकों की 51 प्रतिशत शेयर पूंजी को अपने हाथ में ले लें और 49 प्रतिशत शेयर पूंजी शेयर होल्डरों के पास रहने दे। ऐसा करना बैंकिंग प्रणाली के हित में होगा।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I want to say something with regard to my Amendment No. 330. We are also in favour of the principles underlying the nationalisation. These are definitely in the interest of the country. But we oppose the way in which the nationalisation of the banks have been done. It has been said that separate status will be kept for all banks. There is no sense in keeping the status of all the banks after nationalization. I suggest that all the banks should be amalgamated with State Bank of India, which is itself a national bank. There are several branches of a bank in one city. A good deal of money will be spent for selecting officer. It is, therefore, suggested that all the banks should be amalgamated with the State Bank of India and then the branches of the State Bank should be opened in such villages, whose population is more than 5000. It will greatly help the peasants and the small industrialists.

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद उनके शेयरों को जनता को बांट दिया जाना चाहिये। प्रतिशतता के बारे में माननीय सदस्यों

के विभिन्न मत हैं। इन सब बातों पर बाद में विचार किया जा सकता है। सरकार को ऐसा करने से कोई नहीं रोकता।

स्टेट बैंक के साथ बैंकों के एककीकरण के सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं। बैंक केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देंगे जिन व्यक्तियों की उचित साख होगी। देश में यही बैंकिंग सम्बन्धी योजना है और यदि इसमें संशोधन किया जाता है तो हमें बैंकिंग समवाय अधिनियम में भी संशोधन करना पड़ेगा। अतः मैं इन सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : जमाकर्त्ताओं को उनके धन के बारे में गारंटी देने सम्बन्धी मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

श्री गोविन्द मेनन : इस पर भी जमा बीमा अधिनियम लागू होगा। माननीय सदस्य के इस सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं कि जनता और जमाकर्त्ताओं को अपनी धनराशि की सुरक्षता के बारे में कोई सन्देह है। सरकारी क्षेत्र में 10 या 12 बैंक है और इस प्रकार का सुझाव दुराशय-पूर्ण हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें। (**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Madhu Limaye : Hon. Minister has not followed my amendment.

श्री गोविन्द मेनन : संशोधन योजना में उपयुक्त नहीं होगा। मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : किसी संशोधन को स्वीकार अथवा स्वीकार न करने का मंत्री महोदय को अधिकार है। अब मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 176 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 176 को मतदान के लिये रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 61 विपक्ष में : 173

Ayes 61 : Noes 173

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

सभापति महोदय : अब मैं श्री देवकीनन्दन पाटोदिया द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 282 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 282 को मतदान के लिये रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 29 विपक्ष में : 191

Ayes 29 : Noes 191

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

सभापति महोदय : अब मैं खंड 3 से सम्बन्धित सब संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधनों को मतदान के लिये रखा गया

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

पटसन उद्योग में संकट*

CRISIS IN JUTE INDUSTRY**

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है । कलकत्ता का अस्तित्व और इसका विकास इस उद्योग पर ही निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त इस उद्योग से हमें विदेशी व्यापार से होने वाली आय की 23 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं । इस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 2,33,000 श्रमिक काम करते हैं और इससे कई गुना लगे पटसन की खेती, विपणन और परिवहन में हुए हैं । राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को इस उद्योग से प्रति वर्ष 75 करोड़ रु० की आमदनी करों के रूप में होती है ।

अब जैसा कि आप जानते हैं इस उद्योग के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों में मजूरी के प्रश्न पर गतिरोध पैदा हो गया है । 4 अगस्त से होने वाली हड़ताल इस उद्योग के लिये तथा श्रमिकों के लिये घातक सिद्ध होगी । आपके माध्यम से मैं श्रमिक नेताओं से अपील करता हूं कि वे विभूति मिश्र समिति तथा प्रशुल्क आयोग द्वारा जांच किये जाने तक हड़ताल को न होने दें । पटसन मिलों के श्रमिकों को देश में सबसे कम मजूरी मिलती है और उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये । इस उद्योग की कई एक कठिनाई हैं और जब तक सरकार पटसन पर से उत्पादन शुल्क को कम नहीं करेगी और निर्यात शुल्क को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगी इनका समाधान नहीं हो सकेगा । इस उद्योग में भारत को पाकिस्तान से कड़ा मुकाबिला करना पड़ रहा है । विदेशी मण्डियों में भारतीय पटसन की बिक्री के लिए यह आवश्यक है कि इसकी लागत को कम किया जाये और यह तभी संभव हैं जबकि पटसन पर लगे सभी केन्द्रीय करों में कमी की जाए ।

---

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour discussion

स्वतन्त्रता से पहले इस उद्योग में भारत का एकाधिकार था और हम मुंहमांगे दाम प्राप्त कर सकते थे। किन्तु विभाजन के पश्चात स्थिति बदल गई है। पटसन पैदा करने वाला बड़ा क्षेत्र पूर्व पाकिस्तान को चला गया है। पिछली शताब्दी में पटसन से बनी वस्तुओं का पाकिस्तान का निर्यात 7 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि में प्राप्त का निर्यात 83 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत हो गया। 1964-65 में इस उद्योग का शुद्ध लाभ 2.6 प्रतिशत था जब कि अन्य उद्योगों का 9.2 प्रतिशत और उसके बाद यह लाभ निरन्तर रूप से घट रहा है। 1969 से यह उद्योग प्रतिमास लगभग 3 करोड़ रु० की हानि उठा रहा है। यह सब केन्द्रीय सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण हैं। बोरियों का निर्यात धीरे-धीरे घटता जा रहा है। हैसियन का निर्यात भी पाकिस्तान के पक्ष में होता जा रहा है। कलकत्ता में 15-20 मिलें पहले ही बन्द हो चुकी है। यदि ऐसी ही हालत चलती रही तो और मिलें भी बन्द हो जाएंगी। हालत इतनी खराब है कि केवल निर्यात शुल्क को समाप्त करने से ही काम नहीं चलेगा। सरकार को पाकिस्तान की तरह इस उद्योग को कुछ राज सहायता भी देनी चाहिये। केवल तब ही इस उद्योग को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है। मेरा सुझाव है कि इस उद्योग के विकास विस्तार आदि के लिए सरकार को कुछ निधियां उपलब्ध करानी चाहिए।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रमिकों सम्बन्धी समस्याओं पर आज सुबह हमने चर्चा की और मैंने सरकार के दृष्टिकोण को सामने रखा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि श्रमिक महीनों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं और निश्चय ही इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई कार्यवाही करना होगी। इस प्रश्न को हमें शीघ्र हल करना चाहिए और हड़ताल की नौबत नहीं आने देनी चाहिए।

इस उद्योग की बड़ी कठिनाई पटसन के रेशों की सप्लाई की है। पिछले वर्ष पटसन के रेशे की कमी और इसकी कीमत 75 रु० प्रतिमन तक पहुंच गई थी। इसके परिणाम स्वरूप केवल उत्पादन में कमी हुई है अपितु बेरोजगारी भी बढ़ी है और निर्यात व्यापार को भी धक्का लगा है। अब प्रश्न यह है कि उत्पादकों को एक उचित मूल्य मिलना चाहिये। कच्चे पटसन के उत्पादन में उतार चढ़ाव आने के कारण मूल्यों में भी उतार चढ़ाव आता है और इस कारण यह उद्योग संकट में पड़ जाता है। अतः हमें मूल्यों को एक ऐसा स्तर पर स्थिर करना होगा औद्योगिक दृष्टि कोण से हमारी पटसन वस्तुओं का स्थान बना रहे। निः सन्देह पाकिस्तान में मूल्य बहुत कम और माल बहुत अच्छा है। अतः हमें प्रति एकड़ उपज बढ़ाने और किस्म में सुधार करने के लिये काफी अनुसंधान करना होगा। अतः हमने कच्चे पटसन के व्यापार को राजकीय व्यापार निगम को सौंपने का फैसला किया है। मंत्रिमण्डल ने कृषि मूल्य आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि इसका मूल्य प्रति क्विंटल 107.17 रु० होना चाहिये। यह समर्थन मूल्य है। इस समय बाजार में मूल्य अधिक है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि मूल्य अधिक होने चाहिए। किन्तु हमें सबकी राय लेनी होती है। आगामी वर्षों में हम कृषकों को अधिक मूल्य दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरी चीज यह है कि हम उत्पादन पर से नियंत्रण हटा रहे हैं ताकि क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। हाल ही तक पटसन आयुक्त पटसन की अधिकतम मात्रा जिसे कि एक मिल खरीद सकती है, निर्धारित करता था। अब चूंकि अच्छी फसल के कारण पटसन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उत्पादन नियंत्रण को अगस्त से हटाया जा रहा है। अब मिलों को स्वतंत्रता होगी कि वे जितना पटसन चाहें खरीद सकते हैं और जितना चाहें उत्पादन कर सकते हैं। और इसीलिये मेरा कहना है कि यदि इस समय हड़ताल हो गई तो इसका उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा।

पटसन की वस्तुओं के व्यापार में पाकिस्तान से हमारी कड़ी प्रतिस्पर्धा है और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हमारी वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के कारण निर्यात हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अधिक महत्व की चीज यह है कि जिन मण्डियों में अब तक हमारा एकाधिकार था वहां अब हमें कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। अब हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और माल की खपत बढ़ा सकते हैं। यदि अब हड़ताल हो गई तो मिलें कुछ भी नहीं खरीदेंगी। यही कारण है कि हम इस समस्या का ऐसा समाधान ढूंढना चाहते हैं जिसमें हड़ताल की नौबत न आये।

जहां तक उद्योग के आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है, कताई क्षेत्र में ऐसा कर दिया गया है। बुनाई क्षेत्र में स्वचालित करघों के लिये अभी यह निर्णय करना है कि किस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होगी। पिछले बजट में हमने निर्यात शुल्क में कुछ राहत दी थी किन्तु उसका परिणाम यह निकला कि कीमतों में वृद्धि कर दी गई। निर्यात शुल्क में कमी करने की मांग की जाती है। यदि हम निर्यात शुल्क में राहत देते हैं तो उसे मजूरी में वृद्धि करने के लिये नहीं समझा जाना चाहिये। यह इसलिये दी जाती है कि हम विदेशी मन्डियों में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

मेरे साथी श्री विभूति मिश्र की समिति उत्पादकों की ओर से इस समस्या की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार भी एक व्यापक जांच समिति नियुक्त करने जा रही है। हम सब यह चाहते हैं कि यह उद्योग बना रहे।

श्री समर गुह (कंटाई) : माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि उनसे कहा गया तो वह पश्चिम बंगाल जायेंगे। यदि उनको घेराव का डर नहीं है तो उन्हें तुरन्त जाकर बातचीत करनी चाहिये और हड़ताल को रोकना चाहिए। मूल समस्या क्या है? सुबह मंत्री महोदय यह कह रहे थे कि श्रमिकों की अधिक मजूरी की मांग उचित है। पटसन मिल संस्था के प्रतिनिधि भी यह कहते रहे हैं कि अधिक मजदूरी की मांग को उन्होंने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और इतना ही नहीं वे पिछले कुछ महीनों से मजूरी बोर्ड का गठन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग कर रहे हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। प्रशुल्क आयोग का उन्होंने स्वागत किया है।

पटसन मिलों की संस्था के प्रतिनिधि का कहना है कि उन्हें प्रति मास 3 करोड़ रु० की

हानि हो रही है। उनका यह भी कहना है कि 21 करोड़ रु० के उत्पादन शुल्क और 23 करोड़ रु० के निर्यात शुल्क के कारण उनके लिये इस हानि को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है। उनका कहना है कि भविष्य में उनको लगभग 5.07 करोड़ रु० की हानि होगी। उनको यह भी डर है कि इस बार उनके पास 32 लाख पटसन की गांठें बच रहेंगी। सरकार द्वारा उनके खरीदे जाने की कोई सम्भावना नहीं है। पटसन मिल संस्था का कहना है कि जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशुल्क में राहत नहीं दी जाती वे श्रमिकों को अधिक मजूरी देने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार कहती है कि प्रशुल्क आयोग नियुक्त कर दिया गया है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार हड़ताल को रोकने के लिये तदर्थ आधार पर करों में राहत देने के लिये क्यों नहीं सहमत होती है ? बाद में यदि आयोग के प्रतिवेदन में यह दिया हो कि मिलें घाटे में नहीं चल रही हैं तो दी हुई राहत को समाप्त किया जा सकता है।

श्री ब० रा० भगत : पटसन उद्योग में पटसन की खपत 76 लाख गांठें प्रति वर्ष पहुंच गई थी और अनुमान है कि 65 लाख गांठों से कम की मांग नहीं होगी। राजकीय व्यापार निगम के द्वारा हम 10-12 लाख गांठों का रक्षित भण्डार बनाने को तैयार हैं। अतः मूल्यों में भारी गिरावट आने की आशंका नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त पटसन जांच आयोग का विरोध करता हूं। जब मैंने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा तो मैंने मुख्य मंत्री को बताया कि इस मामले में हमने दो बातें पहले ही कर दी हैं। पहले तो यह कि हमने प्रशुल्क आयोग को कहा है कि वह कुछ ऐसे तरीके सुझाये जिससे हम स्थिति का शीघ्र पता लगे और दूसरे हमने कच्चे पटसन के उत्पादन के सम्बन्ध में विभूति मिश्र के नेतृत्व में समिति नियुक्त की हैं। उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधि भी है। मुझे नहीं पता कि उनकी जांच का ध्येय क्या है। यह तो समन्वय का प्रश्न है। न तो पहले हमने इसका विरोध किया है और न अब करते हैं। समस्या का समाधान करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

फिर, उन्होंने तदर्थ राहत देने की बात कही है। जैसा कि मैंने कहा इन दोनों प्रश्नों में कोई सम्बन्ध नहीं है। इस पर हम स्वतन्त्र रूप से निर्णय कर सकते हैं। किन्तु इस समय इस प्रश्न को राहत देने से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे, पिछले बजट में हमने कुछ अनुमानों के आधार पर कुछ वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री कलकत्ता जा कर मुख्य मंत्री से मिलेंगे और इस हड़ताल के बारे में कोई समझौता कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : इस उद्योग के मालिक करोड़ों रुपया कमाते हैं और यन्त्रीकरण के नाम पर मजदूरों का शोषण करते हैं। अब वे आयात करने वाले देशों से रुपयों के झूठे दावे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय मंत्री को उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिये। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री कलकत्ता जायें और वहां की सरकार को अपना सहयोग दें और श्रमिकों को उचित मजूरी दिलाने के लिये प्रयत्न करें।

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न मेरे साथी श्रम मंत्री के कार्य क्षेत्र में है। मजूरी बोर्ड की अवधि समाप्त होते ही नये मजूरी बोर्ड का प्रश्न उठा। तब केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि इसमें तो काफी समय लगेगा, तुरन्त भुगतान के बारे में क्या किया जा रहा है? अतः वह सफल नहीं रहा। अब मामला पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है। वे मामले पर बातचीत कर रही है। मैंने सुझाव दिया है कि हड़ताल को रोकने के लिये एक ऐसी व्यवस्था की जाये जिसमें मालिकों और मजदूरों के दो-दो प्रतिनिधि हों और एक ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। वह जो-जो सिफारिश दें दोनों पक्षों को स्वीकार होनी चाहिये। यदि हम इस मामले में कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं तो हम इसके लिये तैयार हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 31 जुलाई, 1969/ 9 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, July 31, 1969/Sarvana 9, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—17-11-1969—600